Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३१वां दिवस [संख्या २२

शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[नियुक्ति, गृह, खाद्य एवं रसद, ग्रामोद्योग, सामुदायिक विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, सहकारी, विधि, पंचायत, यातायात एवं सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह।

श्री सत्संगी, इन्जीनियर के विरुद्ध चल रहे मामलों में जांच

६५२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि इन्जीनियर, श्री सत्संगी के विरुद्ध जिस समय एक मामले में अदालत में चालान किया गया था, कई और मामलों के सम्बन्ध में जांच चल रही थी ?

(ख) यदि हां, तो किन २ मामलों में, तथा यह जांच किस २ अधिकारी द्वारा की जा रही थी ?

(ग) ऐसी प्रत्येक जांच का क्या परिणाम रहा ?

(घ) इन जांच की तथा इन मामलों की फाइल कहां है ?

(ङ) इन मामलों की यदि जांच नहीं की गई, तो क्या सरकार जांच कराना नहीं चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जिस समय श्री सत्संगी के विरुद्ध अदालत में चालान किया गया था उस समय एक और मामले के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी।

(ख) उपरोक्त जांच श्री सत्संगी द्वारा इन्डस्ट्रियल कमान्ड, जयपुर से बिजली विभाग के लिये पंखों की खरीद करने में

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में थी। यह जांच सर्व श्री श्यामलाल, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, सी. जे. मीरचन्दानी, भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता, बिजली विभाग एवं बी सी. दत्ता, भूतपूर्व विशेषाधिकारी, पेन्शन द्वारा करवाई गई थी।

(ग) इस जांच के फलस्वरूप श्री सत्संगी के विरुद्ध अनियमिततायें बरतने का आरोप सही पाया गया और इसलिए उनके वेतन में दो साल के लिये ५०)रु० माहवार की कमी तथा उन्हें सेन्सर की सजा दी गई।

(घ) जांच के कागजात नियुक्ति विभाग के पास हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : उस अनियमितता के फलस्वरूप सरकार को कितने रुपये की हानि हुई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : हानि होने का प्रश्न नहीं था। पर्चेजेज़ में इर्रेगुलेरिटी की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोयला खरीद के मामले के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध इन्क्वायरी चल रही थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका प्रश्न था कि जिस समय एक मामले में अदालत में चालान किया गया था कोई किसी और मामले के संबन्ध में जांच चल रही थी? मैंने कहा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय चालान हुआ, क्या उसी समय के दौरान राणावत कमेटी की सिफारिश के अनुसार उनके खिलाफ कोयले के खरीदने में अनियमितता की थी, उस संबन्ध में इन्क्वायरी चल रही थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है जिस वक्त चालान हुआ उस वक्त कोई नहीं थी, शायद उसके पहले चल रही हो।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त से और जिस दिन चालान पेश हुआ एक मुकदमे का चालान हो गया, बाकी केसेज़ में इन्क्वायरी चल रही थी वे केसेज़ कितने थे?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल में जो साफ लिखा है कि इन्जीनियर सत्संगी के विरुद्ध जिस समय एक मामले में अदालत में चालान किया गया था उसकी बात कह रहे हैं, तो मैंने उसका उत्तर दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब day of prosecution से है?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत लिटरल ट्रान्सलेशन है।

श्री भैरोंसिंह : इस लिटरल ट्रान्सलेशन का यह मतलब लिया आपने कि जिस दिन कोर्ट में चालान हुआ उस दिन कोई नहीं था तो उसके पहले कितने मामलों की जांच हो रही थी....

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying because that means this. Put a straight question.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है जिस

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

दिन इनका अदालत में चालान पेश किया गया उस दिन कोयले के मामले के संबन्ध में इन्क्वायरी चल रही थी और वह खास तौर से राणावत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चल रही थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, उस रोज कोई इन्क्वायरी नहीं चल रही थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस तारीख के पहले इन्हीं सत्संगी के खिलाफ़ यह आदेश दिये गये थे कि कोयले की खरीद के बारे में इन्क्वायरी की जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आपका सवाल बहुत साफ है। आपने पूछा, जिस रोज़ चालान किया गया था, कोई इन्क्वायरी चल रही थी, उसका मैंने जबाव दे दिया "नहीं"। पिछली कोई इन्क्वायरी के लिये अमाल नामा या कितने केसेज़ चल रहे हैं, कितने पेन्डिंग हैं, यह सब जानकारी थोड़े ही लेकर आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब जो था केवल उस दिन से था। उस दिन तक या उससे पहले कोई इन्क्वायरी चल रही थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा 'नहीं'।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कोयले की इन्क्वायरी हुई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। यदि माननीय सदस्य यही प्रश्न पूछना चाहते तो उनके लिये बैटर यही होता कि पर्टिकुलर पीरियड का पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेते। इस प्रकार से तो सवाल नहीं पूछते। आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर दे दिया। आप यदि किसी के संबन्ध में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते तो गवर्नमेन्ट भी उसके संबन्ध में मेटीरियल इकट्ठा करती, उसके बाद हम सदन में सूचना दे सकते थे। आप जो जानना चाहते हैं उसका इस प्रकार के सवाल से मकसद पूरा हल नहीं होता, सारे डिपार्टमेन्ट की सारी फाइल्स तो हम लाने से रहे। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का नोटिस दीजिये, हम आपको बराबर जानकारी देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस केस के अलावा और भी केसेज़ में इनके बारे में इन्क्वायरी चल रही थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रश्न अलग है।

श्री भैरोंसिंह : जो इन्क्वायरी चल रही थी उसको दबा क्यों रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें दबाने का सवाल नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जैसा आपने सवाल पूछा एक मामले में चालान पेश हुआ, कई और मामले भी चल रहे थे; वे कहते हैं 'नहीं'। उसके बाद आप पूछते हैं उसके लिये वे इन्कार कर रहे हैं कि उनको पता नहीं हो सकता है. इस प्रकार की इन्क्वायरी पहले ही खत्म हो गई हो या फाइल हो गई हो। चालान हुआ, उस वक्त एक केस था।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : ऐसे मामले कोई एकाध पकड़ में आते हैं, उन मामलों को पकड़ कर राजस्थान में धड़ाका किया जा सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) : ऐसे को तो सजाये मौत होनी चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सजा पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से दी गई है ।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री वीराराम ।

सिरोही जिले में चर्म उद्योग हेतु हरिजनों को प्रदत्त ऋण

६५५. **श्री वीराराम** (सिरोही-सु०) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

सिरोही जिले में चर्म उद्योग के लिये सन् १९५७, ५८, ५९ व ६० में हरिजनों को ग्राम वार कितना कितना ऋण दिया गया है ? उन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा चर्म उद्योग के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण नहीं दिया गया है । इसलिये सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री गुप्ता, एस० पी० भीलवाड़ा द्वारा गिरफ्तारियां

६५६. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री गुप्ता' एस० पी० भीलवाड़ा ने पुरनिवासी श्री फतेहलाल करनावट व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कराया था ? यदि हां, तो किस मामले में, किस तारीख को और किस समय ?

(ख) क्या यह सही है कि केस दायर करानेवाले फतेहलाल की पत्नी के रिश्तेदार हैं ? यदि हां, तो उनका क्या रिश्ता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) श्री फतेहलाल करनावट को ता० १८-११-५९ एवं १९—११—५९ की रात्रि को २ बजे मुकदमा नम्बर १३६ दफा १४७,१४९,३१३, ३३२ ताजीरात हिन्द, तारीख १८-११—५९ थाना भीलवाड़ा में गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया क्योंकि अपराध जमानत लेने योग्य था । इनकी पत्नी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया किन्तु उसे प्रथम श्रेणी दंडनायक, भीलवाड़ा द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा विधान १०० के अन्तर्गत प्रचलित किये गये वारन्ट के अन्तर्गत पुलिस द्वारा बरामद किया गया और उस समय पुलिस दल पर आक्रमण किया गया था ।

(ख) थाना भीलवाड़ा के उपरोक्त मु० न० १३६ में स्वयं पुलिस ही वादी है ।

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

जिस मुकदमे में अदालत द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा १०० के अन्तर्गत मुकदमा अंकित किया गया उस मुकदमें में वादी का नाम अभी ज्ञात नहीं है।

श्री शिवचरणदास : इनको गिरफ्तार कहां किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसी गांव में।

श्री शिवचरणदास : कौन से गांव में ?

श्री रामकिशोर व्यास : शायद पुर होगा।

श्री शिवचरणदास : पुर, उनके सुसराल में गिरफ्तारी की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहीं भी होगा।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि ११ बजे रात्रि को गिरफ्तारी की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : टाइम का मुझे पता नहीं है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह बात सही है कि उस समय भीलवाड़ा के एस० पी० उपस्थित थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : मैं माननीय मंत्रीजी को जानकारी दूं कि एस०पी० भीलवाड़ा उपस्थित थे। वे कितनी बजे रात्रि को भीलवाड़ा ले जाई गई और किस साधन से ले जाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

मेजर श्री फतेहसिंह : एस. पी. भीलवाड़ा रात्रि को ११ बजे अपनी जीप में बैठा कर उसको ले गये और उसको रात्रि को कहां रखा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हॉस्पिटल में रखा गया।

मेजर श्री फतेहसिंह : हॉस्पिटल में कितने बजे पहुँचाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : टाइम का पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी की टेबल पर जो सूचना है उस सूचना में यह बात लिखी हुई है कि एस० पी० ने खुद ने जाकर गिरफ्तार किया !

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय सदस्य ने इतनी दूर से उनकी टेबल पर रखी हुई सूचना पढ़ ली ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): आपको यह गलत सूचना कहां से मिल गई ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय गृह मंत्री अपनी टेबल पर पड़ी सूचना को देख लें। एस० पी० भीलवाड़ा ने यह रिपोर्ट की है कि मैंने जाकर लड़की को बरामद किया है।

Page No.6

श्री अध्यक्ष : वारन्ट के कम्पलॉयेन्स के लिये गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है, किन्तु गृह मंत्री इंकार कर रहे हैं कि एस० पी० नहीं थे।

मेजर श्री फतेहसिंह : किसी प्रार्थना पर खर्च वारन्ट इश्यू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : टेबल पर, कुर्सी पर और दराज में भी कागजात हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन केवल इतना ही है, वही लेकर आये थे और उसी तरह की रिपोर्ट गृह मंत्री को भी दी है। इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है; किन्तु वे इन्कार क्यों कर रहे हैं ? मैं उनसे चाहूँगा कि जो रिपोर्ट एस० पी० की उनके पास आयी है उससे वे वेरीफाई कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास क्या इन्फोर्मेशन है, इससे आपका क्या मतलब ?

श्री भैरोंसिंह : एस० पी० ने जो रिपोर्ट की है गृह मंत्रीजी को कि मैंने जाकर उस लड़की को बरामद किया है और गृह मंत्रीजी कहते हैं कि एस० पी० नहीं गये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उनके पास जो मिसल है, जो कागजात हैं, जो एस० पी० के जाने की सूचना है वह हाउस की टेबल पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : कागज़ और सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं। माननीय मंत्री महोदय जो कहते हैं वही हमें मानना चाहिये और नही अधिकृत उत्तर है।

श्री भैरोंसिंह : एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम अधिकारियों की सूचना के आधार पर जवाब देते हैं, दूसरी तरफ एस० पी० ने सूचना दी है वे कह रहे हैं कि वह वहां नहीं गये और एस० पी० कहते हैं कि मैं वहां गया, आखिर कौन से जवाब को सही माना जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना मैं दे रहा हूँ वह सही है।

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर): जहां महिलाओं का अपमान हो रहा है वहां इस प्रकार से गोल-माल जवाब दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका गलत अन्दाज है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस० पी० भीलवाड़ा ने इस प्रश्न के पूछने का कारण बताते हुए सूचना दी है कि वे श्री शिवचरणदास की एक्टीविटीज़ को खत्म करना चाहते हैं और उसी के प्रतिशोध स्वरूप श्री शिवचरणदास ने इस प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : How does this arise out of this question ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसे कि मैं गिरफ्तार कर रहा हूं इसलिये प्रश्न पूछा है....

श्री अध्यक्ष : वह चाहे कुछ भी लिखें, आप जानकारी इनसे लें। आप इनसे पूछ लीजिये।

Page No.7

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस लड़की की बरामदगी की फर्द स्वयं एस० पी० ने तैयार की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस लड़की को स्वयं एस० पी० साहब अपनी जीप में बैठा कर लाये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब एस० पी० साहब इस लड़की को लेकर आये तो काफी जनता वहां थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो हॉस्पिटल गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय लड़की को लाया गया वह एस० पी० के घर थी; इसकी शिकायत की थी, उस पर सरपंच को गिरफ्तार करके लाया गया और यह गल्ती की गई थी, पब्लिक काफी वहां जमा थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां तो मुकदमा भी चालान हो गया।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक आई थी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको जानकारी हो सकती है। फिर मुमकिन है जनता गई हो, न गई हो।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम मुलाणियां।

विकास अधिकारियों में परिगणित जाति एवं जन-जाति व्यक्तियों की नियुक्ति

६५७. **श्री लादूराम मुलाणियां** (दूदू-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितने विकास अधिकारी हैं और उनमें आर० ए० एस० ऑफिसरों की क्या संख्या है ?

(२) पदोन्नति द्वारा विकास अधिकारी नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(३) राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा सीधी नियुक्तियों की पृथक् पृथक् क्या संख्या है ?

(४) इन नियुक्तियों में परिगणित जातियों और जन-जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

(५) क्या रिज़र्वेशन का कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) कुल विकास अधिकारियों की संख्या २३२ है। इनमें से आर० ए० एस० की संख्या ५० है।

(२) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये विकास अधिकारियों की संख्या ३१ है।

(३) राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई। राज्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किये गये विकास अधिकारियों की संख्या १ है।

(४) एक भी नहीं।

(५) जी नहीं। सीधी नियुक्ति केवल एक ही हुई है इसलिये रिज़र्वेशन का कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणियां : क्या यह सही है कि परिगणित जातियों का एक भी व्यक्ति इनमें नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न कोटे के हिसाब से इसमें नहीं उठता है। सीधी नियुक्ति हुई ही नहीं। यह तो कोई आर० ए० एस० ऑफिसर हैं, कई आई० ए० एस० हैं, कई तहसीलदार सर्विस में से हैं। इनमें बहुत से जो परिगणित जाति के हैं वे हैं।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैं यह पूछना चाहता था कि २५० विकास अधिकारियों की आपने सीधी नियुक्ति नहीं करके जैसी भी की है तो उनमें परिगणित जातियों के आदमी क्यों नहीं भेजे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि आर० ए० एस०, आई० ए० एस०, तहसीलदार सर्विस के लोगों में से विकास अधिकारी लिये गये हैं। अब इनमें जो भी कोई परिगणित हैं वे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इन विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में ? आप आर० ए० एस० से भी ले लेते हैं, आई. ए. एस. से भी ले लेते हैं और तहसीलदारों में से भी लेते हैं, पर आखिर आपकी निश्चित पॉलिसी क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इसीलिये है कि इसमें वेरियस सर्विसेज़ के लोग लगाये जाते हैं। अब नियम बनाये जा रहे हैं। कमेटी बनाई गई थी इसके लिये पहले, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसने कुछ नियम बनाये हैं। वे सरकार के विचाराधीन हैं। पहले तो हां; चूंकि करना था इसलिये वेरियस सर्विसेज़ के आदमी ले लिये, पर अब नियम लागू होने के बाद उस तरह से होगा।

श्री पी० के० चौधरी : विकास अधिकारी की क्या कोई स्पेसिफिक ग्रेड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. People belong to various classes. Some are from R. A. S. and some from Tehsildars......

श्री पी. के. चौधरी : That is no grade. The Whole question is that when there is a cadre of a Vikas Adhikari in every Government, it should have a cadre fixed for those.

श्री अध्यक्ष : जब ये कहते हैं कि आर. ए. एस. के भी हैं। those from R A. S. have got R. A. S. Cadre.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir. The point is that every nost carries a grade for it. So whether the post of a Vikas Adhikari carries a grade or not ? If not, why ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की नीति है कि अभी तक आर. ए. एस. और दूसरी सर्विसेज़ के आदमी भी विकास अधिकारी के तौर पर काम करें।

श्री पी० के० चौधरी : Whether the post carries a grade ?

श्री अध्यक्ष : Because they don't want one grade. Thay take personb from different grades to work as B. D. Os. even by promotions.

श्री पी० के० चौधरी : How can they be taken by promotion ? It is wastage if they take R. A. S.

श्री अध्यक्ष : There is nothing like wastage. He will serve well when he goes. It is a healthy policy.

श्री पी० के० चौधरी : Tomorrow they will take I. A. S. people.

श्री अध्यक्ष : Let us not ask hypothetical Questions.

श्री लादूराम सुलाणियां : क्या यह सही है कि मिडल परीक्षा पास किये हुए लोग भी इनमें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है और कोई तहसीलदार मिडल पास है तो हो सकता है।

श्री लादूराम सुलाणियां : तब मैं यह आपकी जानकारी के लिये निवेदन करता हूँ कि मिडल से भी नीचे की योग्यता के लोग बी. डी. ओ. बन बन कर आये हैं। कई लोग इनमें मिडल भी नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : कोई शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये रिज़र्व्ड कोटा है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वेरियस सर्विसेज़ में लिये जाते हैं-आई. ए. एस. में और आर. ए. एस. में और तहसीलदारों में और ये विकास अधिकारी इनमें से लिये गये हैं। इन लोगों में जो शिड्यूल्ड कास्ट के होंगे वे इसमें भी एपोइन्ट किये जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Whether you have got any reserve quota स्ट्रेट रिप्लाई दीजिये !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बहुत स्ट्रेट रिप्लाई दे रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : आप स्ट्रेट रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। Say categorically "wheather yes or not ? Whether you have got any reserve quota or not ?

श्री लादूराम सुलाणिया : तो क्या जो २५० लिये गये उनमें से २४६ आपने सीधे लिये हैं, तो उनकी जगह जो खाली हुई उन जगहों पर कोई परिगणित जाति का लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : वह तो तहसीलदारों में प्रोमोशन हो जाता है।

श्री लादूराम सुलाणियां : यह सरकार की सबसे बड़ी चालाकी है। २५० इधर लेने थे। उनको इनमें से इधर-उधर ले लिया और बाकी उनकी जो जगह खाली हुई उन पर भी वे इधर उधर से पूरे कर लिये।

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : वे भी इनमें हैं। कितने हैं, कौन है, यह तो डिटेल का सवाल है। वे तहसीलदार, आर. ए. एस., आई. ए. एस. वाले हैं। उनमें अब नाम, गांव, पता वगैरह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैंने भी पूछा है, "कितने हैं?" इसलिये आपको बताना चाहिये कि इतने हैं। हैं ही नहीं बिल्कुल ही?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिये सवाल पूछा, उसका मैंने जवाब दिया कि केवल एक हुआ है और बाकी कोई नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बलात्कार के मुकदमे

६४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५८–५९ व ५९–६० में राजस्थान में बलात्कार के कुल कितने कितने मुकदमे हुए?

(२) किस किस वर्ष में कितने कितने मुकदमात का चालान किया गया और कितने मुकदमात में फाइनल रिपोर्ट्स दी गई?

(३) कितने कितने मुकदमात में सजा हो गई तथा कितने कितने पेन्डिग हैं तथा कितनों में मुलजिमान बरी हो गये?

(४) इन दोनों वर्षों के इन मुकदमात में क्या सरकारी कर्मचारी भी मुलजिमान में शामिल हैं? यदि हां, तो किस किस मुकदमे में और कौन कौन? कृपया उपरोक्त प्रश्नों सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या ऐसे सरकारी मुलज़िमान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और नहीं, तो क्यों?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) १–४–५८ से ३१–३–५९ तक ११२ और १–४–५९ से ३१–१–६० तक १२१ मुकदमों की रिपोर्ट हुई।

(२) और (३) सन् १९५८ और १९५९ में ८३ मुकदमों का चालान किया गया, ४० मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट दी गई, १५ में सजा हुई, ३० में बरी हुए और ३० अदालत में पेन्डिग हैं।

५९ और ६० में चालान किये गये ७३। फाइनल रिपोर्ट दी गई १७ में, मुलजिमान को सजा हुई १४ को और बरी हुए ८, जिनके मुकदमे अदालत में पेन्डिग हैं वे हैं ५१।

(४) सरकारी मुलाजिमों का अलग से कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता। अतः यह बताना सम्भव नहीं कि किस मुकदमे में सरकारी मुलाज़िम कितने हैं?

(५) ऐसा कोई रेकॉर्ड पुलिस विभाग में रखा नहीं जाता।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की जान-

(श्री भैरोंसिंह)

कारी रहती है या नहीं कि किस रेप केस में सरकारी मुलाजिम इन्वोल्व्ड हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि अलग से इसका कोई रेकॉर्ड मेन्टेन नहीं रहता कि सरकारी इतने और गैर सरकारी इतने हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिसमें रिपोर्ट होती है उस केस में तो रहता है न ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी केस रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं। उनमें यह क्लासिफिकेशन नहीं होता कि ये मुकदमें सरकारी आदमियों के हैं और ये गैर सरकारी के।

श्री भैरोंसिंह : गैर सरकारी और सरकारी नहीं, मैं तो यह पूछता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह तो पता रहता है न कि फलां मुलजिम सरकारी मुलाजिम है और फलां नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो इतने सैकड़ों केसों में से अलग अलग छंटवाया जावे और सारी फाइलें पढ़ी जावें तो पता चल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : तो रेकॉर्ड तो रहता है न ? मुकदमे में तो रेकार्ड रहता है न ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुकदमे चलते हैं, सब साथ साथ चलते हैं; उनमें यह नहीं रेकॉर्ड रहता कि कौन सरकारी मुलाजिम है और कौन प्राइवेट है। अब तो अलग अलग फाइलें देखी जावें तो और उनको पढ़ा जावे तो पता चल जावे शायद। पर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन रहता नहीं कि यह सरकारी आदमी के खिलाफ है और यह गैर सरकारी आदमी के खिलाफ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आई. जी. पी. राजस्थान के ऑफिस में इस बात का रेकॉर्ड रखा जाता है कि किस किस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ चालान करने के सम्बन्ध में दूसरे विभाग के वे मुलाजिम हों तो दूसरे विभागों से और पुलिस विभाग के हों तो पुलिस विभाग से नियमों के अन्तर्गत मुकदमा चालान करने से पहले परमिशन दी गई है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो इन्डिविजुअल केस में होता है। इसका भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करके रखते हैं कि फलां मुकदमा चालान हुआ है और सरकारी मुलाजिम के खिलाफ हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो क्वेश्चन यह है कि क्या इस प्रकार का रेकॉर्ड आई. जी. पी. राजस्थान के ऑफिस में रखा जाता है या नहीं कि पुलिस विभाग के द्वारा किन किन सरकारी मुलाजिमान के खिलाफ चालान किया जा चुका है और किन किन के लिए सम्बन्धित विभागों से इजाजत हासिल की गई है ? नियमों के अन्तर्गत चालान करते वक्त विभागों से परमिशन लेने का काम आई. जी. पी. के ही दफ्तर से होता है। इसलिए यह आसानी से वहां से मालूम किया जा सकता है। औरों के केसों में परमिशन की जरूरत नहीं होती, पर चूंकि सरकारी मुलाजिमों के केसों में इजाजत की जरूरत होती है इसलिए निश्चित् रूप से वे केस आई. जी. पी. के दफ्तर में आते हैं।

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास : उनका अलग से कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता। कोई पर्टिकुलर केस है और पर्मिशन के लिये आवे तो वह रखा जाता है। क्लासिफिकेशन रेकॉर्ड का होकर रखा जाता हो, ऐसा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध के नाम इकट्ठे नहीं कर सकती कि किन किन सरकारी मुलाजिमान का इन तीन वर्षों में चालान हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बहुत डिफिकल्ट है इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना क्योंकि सारी फाइलें छंटवाई जायें और फिर देखा जाये। वैसे इस चीज का रेकॉर्ड नहीं रखा जाता कि सरकारी मुलाजिमान के कितने केसेज़ हुए और बाहर वालों के कितने।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आई. जी. पी. के ऑफिस में उन लोगों के नाम आते हैं कि जिन लोगों का चालान किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि डिपार्टमेंट में पर्टिक्यूलर केस आकर चला जाता है और इसका सेपरेट रेकॉर्ड नहीं रखा जाता कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कितने केसेज़ हुए और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कितने केसेज़ हुए ?

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट इस बात को महसूस करती है कि सरकारी मुलाजिमान बलात्कार के मुकदमों में पकड़े जाते हैं और उनका नम्बर ज्यादा बढ़ रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठीक है।

श्री पी० के० चौधरी : जब बलात्कार के मुकदमों में सरकारी मुलाजिमान पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपने क्या ऑपरेटिव एक्शन लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो सजा अदालत देती है, उसमें हम और क्या कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि जिन केसेज़ में एक्विट (बरी) हुए हैं उनमें सरकारी मुलाजिमान इन्वोल्व्ड हैं, ऐसा आपने भी माना है, तो उनके सरकारी मुलाजिमान होने के नाते उनके केसेज में पैरवी ठीक नहीं हुई और उसके परिणामस्वरूप बरी हुए ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने जनरल बात कही है।

श्री रामकिशोर व्यास : अब इतने सैकड़ों केसेज़ में मुकदमों का कैसे पता चले ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम सदन को यह सूचना तो मिलनी चाहिए कि कितने सरकारी ऑफिसर्स रेप केसेज़ में इन्वोल्व्ड हैं। इसमें कोई कैलकुलेट करने में दिक्कत हो, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दिया कि उसका रेकॉर्ड नहीं रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जितने भी केसेज़ पेन्डिंग हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय गृह

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी इस आशय का एक आदेश दें तो यह सूचना आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : शायद उतना नम्बर नहीं है जितना आप समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं उतना ही नम्बर है तभी तो सरकार नहीं दे रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : तो इसमें फिर नहीं देने की क्या बात है? Nothing to keep Seret गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के खिलाफ हैं या न नहीं हैं, इसका रेकॉर्ड मेन्टेन नहीं करते हैं। अगर हो तो आपको देने में सरकार को क्या आपत्ति है? दरअसल ऐसा रेकॉर्ड रखा ही नहीं जाता है।

श्री भैरोंसिंह : रेप केसेज़ का नम्बर बढ़ रहा है और जो सरकारी अधिकारी इन्वोल्व्ड होते हैं उनका और नम्बर बढ़ता जा रहा है, इसको आपने भी माना है। यह सूचना इसलिए नहीं दी जा रही है ताकि एक्सपोज़ न हो जाये कि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जो सही है सो है। दरअसल ऐसा कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): आपने अभी बताया कि १६५८-५६ में ११२ मुकदमों की रिपोर्ट हुई और उसमें से ८३ मुकदमों का चालान हुआ और १६५६-६० में १२१ मुकदमों की रिपोर्ट हुई और ७३ मुकदमों का चालान हुआ; तो बाकी मुकदमे क्या झूठे दर्ज हुए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत ने खारिज कर दिए होंगे।

श्री सम्पतराज जैन : तो क्या ये सब झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे?

श्री रामकिशोर व्यास : आप पूछें, मैं अर्ज कर दूंगा।

श्री सम्पतराज जैन: आपने कहा है कि ५८-५६ में ११२ मुकदमों की रिपोर्ट हुई जिसमें से ८३ मुकदमों का चालान हुआ और ५६-६० में १२१ मुकदमों की रिपोर्ट हुई और ७३ मुकदमों का चालान हुआ; तो बाकी का क्या हुआ? ये चालान क्यों नहीं किये गये?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

विश्व कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली में निर्मित राजस्थान पैविलियन का गेट

६५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) विश्व कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली में राजस्थान पैविलियन में जो गेट बनाया हुआ है वह किससे और किस कीमत में बनाया गया है?

(ख) इस गेट बनाने का कार्य कब और किस तरह से दिया गया था?

(ग) क्या यह सही है कि गेट का जो नकशा दिया गया था उसके अनुसार नहीं बनाया गया? यदि हां, तो क्यों और इस संबंध में ठेकेदार के प्रति क्या कार्यवाही की गई?

(श्री भैरोंसिंह)

(घ) यदि नहीं, तो कृपया यह बताया जावे कि दरवाजे के ऊपर के झरोखे, छाजे व गुम्बज वगैरह की दरवाजे से कितनी ऊंचाईनकशे द्वारा चाही गई, और अब प्रत्यक्ष में कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) मंडप का मुख्य द्वार, ऊपर की छतरी सहित जयपुर के शर्मा फर्नीचर वर्क्स से ६,१००) रु० में बनवाया गया था।

(ख) यह काम टेंडर मांग कर मंडप के लिए नियुक्त एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने किया था।

(ग) यह सही नहीं है। द्वार निर्धारित नकशे के अनुसार बनाया गया था।

(घ) नकशे के अनुसार १६॥ फीट चाही गई और अब भी १६॥ फीट ही है।

श्री भैरोंसिंह : १६॥ फीट तो दरवाजे से गुम्बज तक चाही थी पर गुम्बज और छतरी के बीच में कितना डिफरेंन्स होना चाहिए ? ठेके के अनुसार यह ऊंचाई कितनी चाही गई थी और कितनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी चाही गई थी उतनी ही हुई, १६॥ फीट।

श्री भैरोंसिंह : १६॥ फीट तो गुम्बज की ऊंचाई बताई गई थी पर गुम्बज और छतरी के बीच में कितना डिफरेंन्स होना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना होता आया है उतना ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह क्या जवाब है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना स्पेसीफिकेशन दिया उसके मुताबिक बनाया गया और पी० डब्ल्यू० डी० के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने बनाया और उनके संरक्षण में सारा काम हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं, मेरा सवाल था कि कृपया यह बताया जावे कि दरवाजे के ऊपर के झरोखे, छाजे व गुम्बज वगैरह की दरवाजे से कितनी ऊंचाई नकशे द्वारा चाही गई और अब प्रत्यक्ष में कितनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नकशे के अनुसार १६॥ फीट चाही थी और अब भी उतनी ही है। फैक्ट्स तो मैंने अर्ज कर दिए।

श्री अध्यक्ष : जो स्पेसीफिकेशन दिया गया था उसके माफिक ही है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है लेकिन गुम्बज और छतरी के बीच में कितना डिफरेंस रहता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जन सम्पर्क विभाग पर तो आपकी मेहरबानी है। वह तो पी० डब्लयू० डी० के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने सारा काम किया है। उसका होता तो ला ही जाते। एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने किया, हमने तो किया भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो टेन्डर्स इन्वाइट किये थे या कॉन्ट्रेक्ट किया था उसके बेसिस पर गुम्बज से ऊंची छतरी बनती है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए थी और वह उतनी बनी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं, जितना स्पेसीफिकेशन में था और जितना चाहा गया था उतना ही बना है ।

श्री भैरोंसिंह : उतना नहीं बना है, मैं भी तो नाप कर आया हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया ।

कोटा जिले में विस्तार सेवा खण्डों की स्थापना

६६०. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां-सु०) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत २-३ वर्षों से कोटा जिले की स्थानीय तहसीलों में सागोद, कनवास, रामगंज मण्डी व चेचट तहसीलों में से किसी भी एक स्थान पर राष्ट्रीय विस्तार योजना खण्ड कायम किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इन तहसीलों में राष्ट्रीय विस्तार योजना खण्ड क्यों नहीं कायम किये जा रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि गत २ वर्ष पूर्व स्थानीय जिला विकास अधिकारी ने सागोद, कनवास में राष्ट्रीय विस्तार खण्ड कायम करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की थी व इस स्थान को विकास खण्ड कायम करने की शर्तों में उपयुक्त स्थान के योग्य माना गया था ?

(४) यदि हां, तो फिर भी इस संबंध में अभी तक निर्णय नहीं करने में क्या अड़चन है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां ।

(२) अब तक खोले गए विकास खण्डों द्वारा इस जिले की ६० प्रतिशत ग्रामीण आबादी सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आ चुकी थी जब कि अन्य कई जिलों में इससे भी कम थी । पहली अप्रेल, सन् १९६० से एक और विकास खण्ड कोटा जिले में खोला जाना निश्चित हुआ है ।

(३) जिला विकास अधिकारी ने जो सिफारिश भेजी थी उसमें इन क्षेत्रों के नाम भी थे किन्तु इटावा के लिए प्राथमिकता दी गई थी ।

(४) उस समय निर्णय लिया जाकर इटावा में विकास खण्ड खोला गया था । अब नये विकास खण्ड के लिए जिला परिषद् की सिफारिश मांगी गई है ।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

झालावाड़ में मकसूम नामक कैदी की जेल के बाहर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

६६२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि दिनांक ३०-६-५६ को झालावाड़ में मकसूम नाम का कैदी जेल के बाहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्यों और किस प्रकार से ?

(ख) यह गिरफ्तारी किस समय की गई थी तथा यह कैदी जेल से बाहर उस समय किस प्रकार से आ सका था ?

(ग) इस गिरफ्तारी के बाद इस सिलसिले में आगे क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या यह सही है कि आई० जी०, प्रिज़न्स के पास इस बात की कई शिकायतें आई हैं कि तत्कालीन जेलर, झालावाड़ कैदियों से रिश्वत खाता है, व्यभिचारी है, सामान कैदियों के लिए देने में अनियमित कार्यवाही करता है तथा मकसूम के साथ सिनेमा तथा बाजार में आता-जाता रहता है ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, मुलजिम मकसूम (कन्विक्ट वार्डर) को दिनांक ३०-६-५६ को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पेट में तकलीफ होने के कारण तारीख ३०-६-५६ को रात के समय उसको हैड वार्डर गुलाबखां व वार्डर उस्मानखां के साथ सफाखाने भेजा गया था। इलाज के बाद सफाखाने से लौटते समय एक दूसरे वार्डर के खबर देने पर कि जेलर सिनेमा में है वे मुलजिम मकसूम के साथ सिनेमा में जेलर के पास रिपोर्ट करने गये। वहां पर पुलिस द्वारा मुलजिम को पकड़ लिया गया।

(ख) यह गिरफ्तारी रात को करीबन ६॥ बजे हुई थी। शेष प्रश्न का उत्तर (क) में दिया जा चुका है।

(ग) जब एस० डी० एम०, झालावाड़ को जो कि इस सब-जेल के ऑफिसर इन्चार्ज भी हैं इस गिरफ्तारी का पता लगा तो उन्होंने एस० एच० ओ०, पुलिस झालावाड़ को दिनांक १-१०-५६ को यह बतलाते हुए कि मुलजिम मकसूम जेल स्टाफ के साथ था जो कि नियमानुसार था और यह जेल पर सजा इका कर रहा है वापिस भेजने के वास्ते पत्र लिखा।

(घ) जी हां, आई० जी०, प्रिज़न्स के पास इस प्रकार की शिकायतें तत्कालीन असिस्टेन्ट जेलर के विरुद्ध पहुंची थी। उन्होंने इन शिकायतों की प्रतिलिपियां एस० डी० एम० झालावाड़ जो कि जेल के ऑफिसर इन्चार्ज हैं उनके पास जांच करके शीघ्र रिपोर्ट भेजने के वास्ते भेज दी। एस० डी० एम० द्वारा जांच करने पर शिकायतें गलत पाई गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय मकसूम को गिरफ्तार किया गया उस समय मकसूम ने या उसके साथी वॉर्डर ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी कि उसके पेट में दर्द था और वह किस समय हॉस्पिटल आया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी आपस में क्या टॉक्स हुई, यह पता नहीं। पुलिस ने देखा और अरेस्ट कर लिया।

Page No.17

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस समय मकसूम से पुलिस ने पूछा था कि तुम कहां से आये हो और उसके उत्तर में मकसूम ने कहा कि मैं जेलर साहब के साथ सिनेमा देख कर आया हूं, इसलिए गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह सही नहीं है। मैंने मालूम भी किया था वह हॉस्पिटल में गया था, उसके इन्जेक्शन भी लगा और एनीमा भी लगा था।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने जिस समय गिरफ्तार किया उस समय मकसूम ने क्या स्टेटमेंट दिया था और पुलिस ने क्या रेकॉर्ड किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या स्टेटमेंट दिया था और क्या रेकॉर्ड किया गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : न तो वह हॉस्पिटल गया था और न उसके पेट में दर्द था और न उसके एनीम–लगाया गया था। हॉस्पिटल में जाकर वैसे ही एन्ट्री कराई गई थी और इस बात का उल्लेख पुलिस ने अपनी डायरी में किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जो जानकारी दी गई है या इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसमें यह कहा गया है कि हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में उसके इन्जेक्शन लगाया गया और एनीमा का ट्रीमेंट होता है। इसलिए आप जो फर्मा रहे हैं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या जेल मैन्युअल के अनुसार जब कभी किसी प्रिज़नर को बाहर ले जाते हैं, किसी लोग टर्म कैदी को बाहर ले जाते हैं तो किस तरह से ले जाते हैं ? उसको खुला ले जाते हैं या हैण्ड कफ्स में या प्रिज़न वान में ले जात हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : छोटी जगह पर प्रिज़न वान नहीं है। वैसे ही वार्डन के साथ भेज देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबंध में जांच आई. जी. प्रिज़न्स ने की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : फैक्ट्स जो मालूम हैं वे मैंने अर्ज किये।

श्री भैरोंसिंह : क्या आई. जी. प्रिज़न्स ने जांच की थी इस बात की ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस बात की ?

श्री भैरोंसिंह : कि वह बाहर गया था और सिनेमा के अन्दर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जेल से गया है उस वक्त की उसकी एन्ट्री है। हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में एन्ट्री लगी है। थोड़ी देर के लिए यह समझ भी लें कि जेलवालों ने झूठा बना लिया तो हॉस्पिटल वालों ने तो नहीं बनाया होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो यह पूछा था कि आई. जी. प्रिज़न्स ने जांच की थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास इस बात की इनफॉर्मेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह)

जो आई. जी. प्रिज़न्स ने जांच की उसमें बताया है कि डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट दिया है ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या मकसूम के साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र : रात को किस वक्त गिरफ्तार किया गया था और कहां पर यह गिरफ्तार हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैंने अपना जवाब दिया था कि रात के साढ़े नौ बजे का टाइम था और सिनेमा बताया था। अस्पताल में दवा लेने गया था उसका इन्द्राज है।

श्री रामचन्द्र : क्या उसके साथ में जेलर को भी गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबंध में....

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(प्रश्न संख्या ६६३ का उत्तर पढ़ते हुए)

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एस. डी. एम. के बयान लिखे गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Question has been called.

श्री भैरोंसिंह : Don't try to protect.

श्री अध्यक्ष (श्री दामोदरलाल व्यास को बैठने का इशारा करते हुए) : आप....

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं मुकम्मिल जानकारी देना चाहता हूं। यह जेलर और यह मकसूम और एक २० साल की लड़की तीनों को सिनेमा के बाहर पकड़ा गया था और रात के साढ़े नौ बजे नहीं पकड़ा गया, बल्कि रात के १२ बजे पकड़ा गया है और गिरफ्तार करके लाया गया है और सुबह से पहले पहले रात में ही तमाम कार्यवाही करके उनको घर पर भेज दिया है, और कुछ नहीं हुआ है।

(विपक्ष की ओर से "शेम-शेम")

श्री रामकिशोर व्यास : जिस रोज का यह वाकया बताया जाता है उस रोज की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। अगर आप फरमाते है तो I shall get the matter enquired and if there is any truth in the matter, action will be taken.

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मंत्री महोदय ने कहा है कि उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो सदस्य इन्फॉर्मेशन देते हैं वह सही होते हुए भी मंत्री महोदय जो ऑफिसर्स लिख कर देते हैं उसको सही मानते हैं और उनकी बात को नहीं।

Page No.19

श्री अध्यक्ष : सही मानते हैं, तभी मंत्री महोदय ने कहा कि जांच करायेंगे।

खेरवाड़ा, फलासिया तथा सराड़ा शैडो ब्लॉक्स में विकास कार्य पर हुआ खर्चा

६६३. श्री लक्ष्मण हीरात (गोकन्दा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

उदयपुर जिले के खैरवाड़ा, फलासिया तथा सराड़ा के शैडो ब्लॉक्स में २ अक्टूबर, १९५६ से अब तक किन किन विकास कार्यों पर कितनी कितनी रकम खर्च हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

समाज कल्याण विभाग को प्रदत्त गाड़ियों पर खर्चा

६६४. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) इस विभाग के पास समाज कल्याण कार्य के लिये कितनी गाड़ियां दी हुई हैं तथा इन सब गाड़ियों पर क्रमशः सन् १९५६ से सन् १९५९ तक कुल कितना कितना खर्चा हुआ ?

(ख) समाज कल्याण विभाग की गाड़ियां किन किन अधिकारियों के पास है ? सूची दीजियेगा।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (क) समाज कल्याण विभाग में इस समय कुल ८ गाड़ियां विभिन्न स्कीम्स के कार्यों के लिए स्वीकृत हैं। खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के तहत अलॉउन्स।

६६५. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के तहत रात्रि में २ घंटे शिक्षण कार्य करने का आदेश दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त कार्य के लिये उन्हें कुछ अलॉउन्स दिया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो कितना ? और अगर नहीं तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ख) इस अतिरिक्त कार्य के लिये कोई मासिक पारिश्रमिक देने की योजना नहीं है।

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने वाले अध्यापकों को पुरस्कार के रूप में कुछ राशि एवं प्रमाण-पत्र देने की योजना है। साथ साथ एक अग्रिम वेतन-वृद्धि एवं पदोन्नति आदि करने की भी योजना है।

सिरोही जिले की हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याणकारी कार्य

६६६. श्री वीराराम (सिरोही-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जिला सिरोही की कुल जन-संख्या कितनी है और उसमें हरिजन तथा पिछड़ी जातियों का अनुपात क्या है ?

(२) सरकार ने उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं द्वारा जिले में क्या क्या कार्य किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सिरोही जिले की कुल जन संख्या २,६०,६२५ है। इनमें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की संख्या का अनुपात तहसीलवाइज़ निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम तहसील	हरिजन	पिछड़ी जाति
१.	सिरोही	२० प्रतिशत	४५ प्रतिशत
२.	पिंडवाड़ा	६ ,,	५० ,,
३.	आबू रोड	६ ,,	६१ ,,
४	रेवदर	२५ ,,	२५ ,,
५.	शिवगंज	१.५ ,,	२८ ,,

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दलपतसिंह (आबू) : इस सूची के अन्दर रेवदार तहसील के अन्दर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्य नहीं हुए हैं, इसका क्या कारण है ? वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के २५ पर्सेन्ट और आदि-वासियों की संख्या २५ पर्सेन्ट है; लेकिन वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या काम नहीं हुए ? इसमें अमाउन्ट दर्ज नहीं है यह मतलब है क्या आपका ?

श्री दलपतसिंह : यह जो स्कॉलरशिप वगैरह है इस बारे में कुछ नहीं हुआ है इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता नहीं मानी गई होगी।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : आवश्यकता नहीं मानी जाती है तो क्या आदि-वासियों का बहुत ही विकसित क्षेत्र है ! क्या यह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर कोई मांग नहीं होगी। वहां पर आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी खास जगह के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन वैसे काफी रुपया सिरोही डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च किया गया है। आप खास तौर से रेवदर तहसील के लिए पूछ रहे हैं। मैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समझता हूं कि वहां पर कोई मांग नहीं होगी। कोई आवश्यकता नहीं होगी खास कि फलां काम होना चाहिए। वैसे ऑर्डिनरी एमिनिटीज़ जो शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जाती हैं वह उनको मिली हैं।

श्री दलपतसिंह : रेवदर तहसील में ५० पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिवासी हैं। उस मांग का क्या हिसाब है? सोशल डिपार्टमेंट का इन्सपेक्टर वहां पर गया होता और लोगों को बतलाया होता कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के लिए कुछ चीज़ है छात्रवृत्ति वगैरह। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक कोई कार्य नहीं हुए हैं तो आयन्दा कुछ कराने के लिए प्रबन्ध करें। ६१ पर्सेन्ट आबू रोड में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी बस्ती को देखते हुए इतना कार्य नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा कार्य करायें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सूचना दे दी है कि रेवदर तहसील में पिछड़ी जातियों के लिए कुएं खुदाने के लिए सरकार ने ५२००)रु० को अनुदान के रूप में दिया है। उस अनुदान में से कुछ को सिंचाई के लिए और कुछ को हरिजनों के लिए सार्वजनिक कुओं के लिए खर्च किया गया है। यह एक एडीशनल सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलनी चाहिए उतनी उनको दी जाती है।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की प्रेक्टिकल पोज़ीशन अर्ज कर रहा हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तो वहां पर न तो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं न वहां के आदिवासी ट्रेनिंग के अन्दर भेजे जाते हैं। रेवदर तहसील का मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वहां पर इन्सपेक्टर नहीं जाता है जो देखे कि जो रिलीफ मिलती है उसको देने की कोशिश करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : छात्रवृत्तियों के लिए माननीय सदस्य जानते हैं कि आवेदन-पत्र देने पड़ते हैं। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि आवेदन-पत्र आये या नहीं। हो सकता है कि आवेदन-पत्र नहीं आये हों तो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी हो। यह आप बतायें कि रेवदर तहसील में किस चीज की जरूरत थी और क्या आवेदन-पत्र आये और सरकार ने मन्जूर नहीं किये? यह सूचना अगर आप देंगे तो मैं कुछ बता सकूंगा।

श्री दलपतसिंह : यह जन कल्याण विभाग का काम है कि जनता का कल्याण करे, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाये। उन लोगों में इतनी इल्लिट्रेसी फैली हुई है कि वह इतने एडवान्स्ड नहीं हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले या शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जाकर फॉर्म भर सकें। वहां पर प्रचार होना चाहिए, समाज कल्याण विभाग गांव-गांव में जाकर प्रचार करे कि इस तरह की छात्र-वृत्तियां मिलती हैं। उनको पता ही नहीं है कि जन कल्याण का कोई डिपार्टमेंट है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य का क्षेत्र रेवदर तहसील है क्या?

Page No.22

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

अधिकार प्रेस के कर्मचारियों तथा कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार करते समय उनके हथकड़ी डालना

६६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि थाना मानक चौक (जयपुर) की पुलिस द्वारा श्री परमानंद सिन्धी की रिपोर्ट पर अधिकार प्रेस के कर्मचारियों, जिनमें पत्रकार भी शामिल थे, को गिरफ्तार किया गया था ? यदि 'हां' किन किन को कब और क्यों ?

(ख) क्या इन गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के हथकड़ियां डाली गई थीं ? यदि हां, तो क्या यह नितान्त आवश्यक था ?

(ग) क्या यह सही है यह वही परमानन्द है जिसके खिलाफ ३७६ आइ. पी. सी. का एक मुकदमा थाना मानक चौक में कायम किया गया था ? यदि हां, तो इस मुकदमे में क्या हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, श्री निर्मलकुमार को १.११.५६ को बन्दी बनाया गया । सर्व श्री विष्णुकुमार, शेषकुमार एवं रूपनारायण को ६.११.५६ को बन्दी बनाया गया, क्योंकि उनके द्वारा भारतीय दंड संग्रह की धारा ३८०,३४२ के अन्तर्गत अपराध करना पाया गया था ।

(ख) जी हां, श्री निर्मलकुमार व श्री विष्णुकुमार के हथकड़ियां लगाई गई । उनके भागने का अन्देशा था व उनके सह-अपराधी अज्ञात थे । अतः उनके हथकड़ी लगाई गई ।

(ग) जी हां, श्री परमानन्द के विरुद्ध मुकदमा १३.२.६० को भारतीय दंड संग्रह की धारा ४११ के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जहां सब-जुडिस है ।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख को परमानंद के खिलाफ चालान पेश किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : १३-२-६० को ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसका चालान मेरे प्रश्न पूछने के बाद किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता कि आपने प्रश्न कौनसी तारीख को पूछा है । यदि बाद में चालान किया है तो भी हर्ज क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें हर्ज यह है कि एक आदमी के खिलाफ ३८२ में मुकदमा चले उस मुलजिम से झूठी रिपोर्ट लेकर जरनलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : इत्तफ़ाक से आपने जो प्रश्न पूछा है उसकी तारीख भी मिल गई है, २१ जनवरी को प्रश्न प्राप्त होने की तारीख है ।

श्री भैरोंसिंह : यह केस कब रजिस्टर हुआ था परमानंद के खिलाफ ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३-११-१९५६ को ।

श्री भैरोंसिंह : परमानंद के खिलाफ

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

Page No.23

श्री भैरोंसिंह : और पत्रकारों के खिलाफ केस कब रजिस्टर हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : Much earlier than this case.

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले का जवाब दिया है। पहला प्रश्न यह था : 'क्या यह सही है कि थाना मानकचौक (जयपुर) की पुलिस द्वारा परमानंद सिन्धी की रिपोर्ट पर अधिकार प्रेस के कर्मचारियों, जिनमें पत्रकार भी शामिल थे, को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किन किन को, कब और क्यों ?' फिर (ग) में पूछा था : 'क्या यह सही है कि यह वही परमानन्द है जिसके खिलाफ ३७६ आई० पी० सी० का एक मुकदमा थाना मानकचौक में कायम किया गया था ? यदि हां, तो इस मुकदमे में क्या हुआ ?' इन दोनों में से पहले रजिस्टर कौनसा हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसका जबाब (क) में दिया गया है।

प्रश्न संख्या ६६८

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६९

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर उप-जिले की माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को निश्चित ग्रेड

६७०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर उप-जिले की माध्यमिक शालाओं में अभी तक कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको अपनी निश्चित ग्रेड नहीं मिल रही है ?

(२) इन अध्यापकों की ग्रेड अब तक न देने के क्या २ कारण हैं तथा उन कारणों को समाप्त करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : धौलपुर उप-जिले की माध्यमिक शालाओं के समस्त अध्यापकगण स्वीकृत ग्रेड ही पा रहे हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय जेलों के लिए सलाहकार समितियां

६७१. **श्री भीमसेन** [लूणकरणसर—श्री मोहरसिंह (चूरू) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या सरकार ने केन्द्रीय जेलों के लिये सलाहकार समितियां बना रखी हैं ? अगर हां, तो इन समितियों के कौन २ सदस्य हैं ?

(२) कैदियों के कल्याण के लिये तथा

Page No.24

(श्री भीमसेन)

उनके सद्व्यवहार के आधार पर क्या कोई उन्हें कैद की अवधि में छूट मिलती है? अगर हां, तो इन सब बातों की व्यवस्था का क्या माध्यम है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान में केवल जयपुर व जोधपुर में ही केन्द्रीय जेलें हैं। इन जेलों में सलाहकार समितियां हैं। इनके सदस्य निम्न प्रकार हैं :

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर

१. कमिश्नर, अजमेर डिविज़न, अजमेर — चेयरमैन

२. उक्त जेल से सम्बन्धित सेशन जज — सदस्य

३. श्री कस्तूरमल, शाह बिल्डिंग, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर — ,,

४. श्री आर. सी. कासलीवाल, एडवोकेट, जयपुर — ,,

५. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर — सेक्रेटरी

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर

१. कमिश्नर, जोधपुर डिविज़न, जोधपुर — चेयरमैन

२. उक्त जेल से सम्बन्धित सेशन जज — सदस्य

३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर, एम. पी. — ,,

४. श्री भैरूसिंह ऑफ खेजरला, एम. एल. ए. — ,,

५. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर — सेक्रेटरी।

(ख) कैदियों को उनकी सज़ा की अवधि में छूट दी जाने के लिए राजस्थान जेल मैन्युअल में वर्णित रेमीशन रूल्स के आधार पर कैदियों को छूट दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान कैदी कारावासकालीन अवकाश नियम, १६५८ के अनुसार भी कैदियों को पैरोल (राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश) पर छोड़े जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहरसिंह।

प्रश्न संख्या ६७२

चुरू जिले की राजगढ़ तथा तारानगर तहसील पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

६७२. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चुरू जिले की राजगढ़ तथा तारानगर तहसील पंचायतों में कितने सदस्यों के स्थान किस किस तारीख से रिक्त हैं?

(ख) इन स्थानों की इतने दिनों तक पूर्ति न किये जाने का क्या कारण है?

(ग) क्या सरकार इन स्थानों की पूर्ति करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

Page No.25

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है इसलिए आयन्दा टर्न पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर अगली टर्न पर देंगे।

नेक्स्ट। श्री लक्ष्मण हीरात।

प्रश्न संख्या ६७३

टायरों का कन्ट्रोल

६७३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सरकार कितने टायर और किस २ कम्पनी से खरीदने की सिफारिश करती है ?

(२) उदयपुर डिविज़न को वार्षिक कितने टायर, किस २ एजेन्ट की मारफत दिये जाते हैं ?

(३) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कम सिफारिश की जाने की वजह से टायरों का ब्लेक मार्केटिंग किया जाता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार टायरों का कन्ट्रोल करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर अपनी अगली टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महाराजा कॉलेज, जयपुर के शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप

६७४. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि इस सत्र में महाराजा कॉलेज, जयपुर में पढ़ने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के फार्म जो निश्चित समय में समाज कल्याण विभाग, जयपुर को भेजे जाने चाहिये थे, नहीं भेजे गये ?

(ख) यदि भेजे गये, तो कब व कौन सी तारीख को ?

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा वे फार्म स्वीकार किये गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) इस तरह के कितने लड़कों के फार्म्स हैं जो स्वीकार नहीं किये गये ?

(ङ) निश्चित अवधि में स्कॉलरशिप के फार्म नहीं भेजे जाने से छात्रों को कितने रुपये की हानि हुई व होगी तथा इस सम्बन्ध में ढिलाई क्यों बरती गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५९ को प्राप्त हुए।

(ग) सब पूर्ण फार्म स्वीकार कर लिए गये हैं।

(घ) अनुसूचित जाति से एक छात्र का फार्म जो अपूर्ण था, स्वीकार नहीं किया गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ड) अनुसूचित जाति के छात्रों को कोई हानि नहीं हुई।

डिस्ट्रिक्ट सोशियल वैलफेयर बोर्ड, उदयपुर के सुझावों पर सरकार द्वारा कार्यवाही

६७५. **श्री लक्ष्मण हीरात** [गोगुन्दा [redacted] श्री विद्यासागर (फलसिया) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) डिस्ट्रिक्ट सोश्यल वैलफेयर बोर्ड, उदयपुर की स्थापना कब हुई और इसके मेम्बर कौन कौन हैं ? किन २ बैठकों में क्या क्या सुझाव दिये गये ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त सुझावों पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) डिस्ट्रिक्ट सोशियल वैलफेयर बोर्ड, उदयपुर की स्थापना दिनांक २६. ६. ५५ को हुई। सदस्यों के नाम एवं सुझावों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) बोर्ड की बैठकों में जो जो प्रस्ताव आये उन पर नियमानुसार और जहां तक सम्भव हो सका पूर्णरूप से कार्यवाही की गई और समस्याओं का समाधान भी किया गया।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७६

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट !

तहसील पंचायत किशनगढ़ का चुनाव

६७७. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील पंचायत, किशनगढ़ का चुनाव कब हुआ ?

(२) उक्त चुनाव के बाद कौन कौन सा क्षेत्र उक्त पंचायत से निकाला जाकर अलग पंचायत का निर्माण किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि अलग किये गये क्षेत्र के प्रतिनिधि अभी तक उक्त पंचायत के भी पंच हैं ?

(४) यदि हां, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया और उनको उक्त पंचायतों की मीटिंगों में भाग कैसे लेने दिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) दिनांक २६. ३. १६५८ को हुआ।

(२) ग्राम नरवर तथा उसके मजरे एवं ग्राम मंडियाणी निकाला जाकर ग्राम नरवर व उसके मजरों की अलग पंचायत बनी एवं मडियाणी को दाल पंचायत में मिलाया गया।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सही है कि उन पंचों को बैठकों में शामिल नहीं किया गया ?

Page No.27

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से पंचों को ?

श्री लादूराम सुलाणिया : जिनको उसमें से निकाला था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल है कि कौन २ सा क्षेत्र उक्त पंचायत से निकाला जाकर अलग पंचायत का निर्माण किया जा चुका है, उसका उत्तर यह दिया गया कि ग्राम नरवर तथा उसके मजरे एवं ग्राम मंडियाणी निकाला जाकर ग्राम नरवर व उसके मजरों की अलग पंचायत बनी एवं मंडियाणी को डाल पंचायत में मिलाया गया।

श्री लादूराम सुलाणिया : मेरी यह प्रार्थना है कि जो गांव निकाले गये थे उस तहसील पंचायत के पंचों को क्या हिदायत की गई थी कि इनको निकाल दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, पहले गजट होता है, फिर प्राइमरी क्षेत्र मुकर्रर होता है, फिर चुनाव होते हैं और फिर अपने आप खत्म हो जाती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : वे आगे की मीटिंगों में बैठते रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मेड़ता सब-डिविजन के खंगारदान नामक रेवेन्यू पटवारी की स्त्री की मृत्यु का मामला

६७८. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मेड़ता सब-डिविजन में खंगारदा नाम के रेवेन्यू पटवारी ने दिनांक २५. ६. ५८ को अपनी स्त्री (भंवरी) को उसके कपड़ों पर पैट्रोल डालकर जला दिया, जिससे वह मर गई ?

(ख) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी के डॉक्टर को बिना इत्तिला ही इस स्त्री को बेहोशी हालत में जोधपुर के एम. जी. हॉस्पिटल में ले जाया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि डॉक्टर के सामने अपराधी ने एक्सट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया कि उसने अपनी स्त्री को जलाया था ?

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस ने इस केस को ३०२ आई. पी. सी. के बजाय १७४ सी. पी. सी. में दर्ज किया और उस केस को एक्सीडेन्टल बताया है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस केस की पूरी जांच करवाई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) स्थानीय पुलिस ने जो इन्क्वायरी भारतीय दंड विधान की धारा १७४ के अनुसार की उससे यह पाया गया कि श्रीमती भंवरी ने अपनी आत्म-हत्या स्वयं कपड़ों को जला कर की हालांकि उसके पिता ने उजर किया कि भंवरी के पति ने उस पर पैट्रोल छिड़क कर जला दिया।

(२) जी हां। श्री खंगारदान उसको मेड़ता सिटी के स्थानीय डॉक्टर से शीघ्र इलाज कराये बगैर ही जोधपुर अस्पताल ले गये।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(३) डाक्टर ने इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी।

(४) भारतीय दंड विधान की धारा १७४ के अन्तर्गत पुलिस ने जांच कर यह घटना आत्म-हत्या मानकर कागजात सम्बन्धित एस. डी. एम. को पेश कर दिये।

(५) जांच भारतीय दंड विधान की धारा १७४ के अन्तर्गत की गई जिससे यह घटना आत्म-हत्या की पाई गई।

श्री अनूपसिंह : इस वाकयात की पुलिस को किस वक्त इत्तिला मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास : हॉस्पिटल से इत्तिला मिली।

श्री अनूपसिंह : जब मेड़ता पुलिस को मालूम हुआ तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका ?

श्री रामकिशोर व्यास : जोधपुर की बात है, मेड़ता का सवाल नहीं है।

श्री अनूपसिंह : जिस वख्त मेड़ता से उसकी बोडी को ले जाया गया उस वक्त तक वह मरी नहीं थी। जब वहां की पुलिस को यह बात मालूम हो गई तो वहीं पर डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उनकी मर्जी थी कि कहां ले जाते। लेकिन पुलिस को जोधपुर अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर से इत्तिला मिली।

श्री अनूपसिंह : क्या यह सही है कि मरने वाली स्त्री ने मंजूर किया था कि उसे उसके पति ने जलाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जो अर्ज किया वही फैक्ट्स हैं।

श्री अनूपसिंह : क्या उसकी ८-९ साल की लड़की ने आगे होकर यह बताया कि उसके बाप ने उसकी मां को जलाया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस को डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं बताई।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या पुलिस ने यह पता लगाया कि आत्म-हत्या का जनरल कारण क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पति ने मारा तो भी और सुसाइड किया तो भी यह सिद्ध होता है कि उन दोनों में आपस में झगड़े थे।

भरतपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्चा

९७९. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले में सन् १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया ?

(२) उपरोक्त रकम में से कितनी रकम धौलपुर उप-जिले में व्यय की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) भरतपुर जिले में सन् १९५९-६० में

Page No.29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(माह दिसम्बर तक) समाज कल्याण विभाग द्वारा १,१२,००० रु० खर्च किया गया।

(२) धौलपुर उप-जिले में १७, ८८७) रु० माह दिसम्बर तक खर्च किये जा चुके हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इतनी कम राशि धौलपुर सब-डिविजन में खर्च करने के क्या कारण हैं?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : दूसरी जगह खर्च नहीं हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी जगह नहीं हुआ, यह तो आपका उत्तर है।

(हंसी)

मेरा उत्तर है कि २० हज़ार रुपये ३ मार्च तक खर्च होने की सम्भावना है।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री अध्यक्ष: श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८१

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८२

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १० म. प.

मांग संख्या ४ मुख्य शीर्षक १०-वन

(पूर्व क्रम से)

राव श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, वन पुनर्समिन के बारे में जोर देते हुए कल मैंने निवेदन किया था कि जिला स्तरीय कमेटियां इसके विषय में नियुक्त होनी चाहिए, जो पूरी छान-बीन करके सीमाओं को पुन: निर्धारित करे और यह कदम, मैं मानता हूँ कि हमारी वन नीति को जनप्रिय बनाने में पहला कदम होगा। इसके अलावा अजमेर में भी और अन्यत्र भी हुआ होगा, जहां जहां नये वन बनाये गये अथवा वनों की सीमायें बढ़ाई गई वहां पहले कुछ उजरात आने पर, कुछ कारणों से उनकी सीमायें कच्ची बाउन्डरी बनाई गई, अब उनकी पक्की बाउन्डरी बनाई जा रही रही है। जो उनकी पहले कच्ची बाउन्डरी बनाई गई, वह कई कारणों से थी। कइयों को चारागाह की दिक्कत पेश होती थी अथवा दूसरी दिक्कतें होती थीं, उनके कारण उनकी कच्ची बाउन्डरी बनाई गई थी। मैं तो समझता हूं कि इस कच्ची बाउन्डरी को पक्का बनाने में तब तक हमें ठहरना चाहिए जब तक ज़िला स्तरीय कमेटी न बन जाय। मैं यह भी कहूंगा कि जब तक पूरी तरह वनों का ज्योलोजिकल सर्वे न हो जाय जिससे हमें मालूम हो कि वनोपयोगी जमीन कौनसी है, इसके अलावा वन नीति को पूर्ण बनाने के लिए हमारा फोरेस्ट लेबर को-ऑपरेटिव बनी हैं उनको पूरी पूरी तरह दाद देने की आव-

(राव श्री नारायणसिंह)

श्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और यदि उनकी फाइनेन्सेज़ की हालत कमज़ोर है, यदि ठेका देने में दूसरे ठेकेदारों के मुकाबले में उनकी पूरी ताकत न भी हो तो भी उनको ही पहले अवसर दिया जाना चाहिए। कई बार कुछ नीति के आवेश में आकर कुछ लोग कह भी जाते हैं कि हमें स्पून फीडिंग नहीं करना है। यह बात ठीक है कि किसी भी व्यवस्था को, किसी भी प्रकार की सामाजिक चीज को उठाने में हमें स्पून फीडिंग ठेट तक नहीं ले जानी है, लेकिन साथ ही साथ स्पून फीडिंग की आवश्यकता होती है। जब तक वह पांव न सम्हाल ले और मैं इस विषय में यह कहूँगा कि हमें जब कि इन ठेकों के बारे में, दूसरी नीतियों के बारे में विचार करना होता है, हमें केवल स्टेट फाइनेन्सेज़ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता न हो, यद्यपि वह भी महत्व रखता है। आज हमने जन-कल्याणकारी राज्य बनाया है तो हमें सबको, स्टेन्डर्ड ऑफ इकोनोमि हो सके समाज में, इस ओर प्रवृत करना है। यदि हमें वनों के सम्बन्ध में वन-नीति को जनप्रिय बनाना है और उसके महत्व को उनको अंगीकार कराना है, हृदयंगम कराना है तो हमें कुछ ऐसी बातें उठानी पड़ेंगी जिससे उसमें फाइनेन्सेज़ का असर पड़ता हो तो उसको नजर-अन्दाज करके हम उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ावें। इन को-ऑपरेटिव्ज़ के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ठेका देने में पहले लेबर को-ऑपरेटिव्ज़ को ठेका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रयूरल रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट की ऐसी बातें खड़ी हो जाती हैं, जैसे परमिट सिस्टम आज है, उससे काश्तकार को बहुत दिक्कत पड़ती है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां कच्ची बाउन्डरी वाले स्थानों को हम समितियों अथवा पंचायत को दे दें वहां हमें इन परमिट्स इत्यादि के लिए भी उन नीचे के स्तर पर की संस्थाओं को अधिकार देना चाहिए। यद्यपि वहां संस्थाओं के ऊपर बंदिश जरूर हो कि जो फॉरेस्ट रेगुलेशन वगैरह हैं उनके मातहत वे काम करें और under this agency of forest, डिपार्टमेंट वहां काम करे लेकिन फिर भी कुछ दायित्व डालने की आवश्यकता है। जहां पुनर्सीमन का सवाल आता है वहां मैंने इस विषय में सर्वे की आवश्यकता के ऊपर उतना ही जोर दिया है। आज तक हमारे राज्य में ज्योलोजिकल सर्वे न होने के कारण हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया है--किस भूमि में वन बढ़ावें, किस भूमि को वन से च्युत कर दें। कई जगह जहां पुराने वन बने हुए हैं उसको काटने की प्रवृत्ति में लग जाते हैं और कृषि में देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और कई जगह जहां वन नहीं हैं और किसी न किसी प्रकार खेत के काम में आ रही है, आ सकती है, उन पर लगाने की ओर प्रवृत्त हो हो जाते हैं। तो इन मोटे सिद्धान्तों के कारण लकीर के फकीर बनना ठीक नहीं है। हमें एक डेटा की आवश्यकता है एक भूमिका की आवश्यकता है, जिस पर हम और बढ़ सकें। इस सर्वे से हमें यह मालूम पड़ेगा कि कौनसी वनोपयोगी भूमि है, कौनसी छोड़ने लायक भूमि है, शेल्टर बेल्ट की समस्या को किस तरह हल किया जा सकता है और फोरेस्ट प्रोडक्ट का विकास किस तरह किया जा सकता है, कौनसे मिनरल एरियाज़ इन फोरेस्ट्स में हैं। अभी हमारी एस्टीमेट

(राव श्री नारायणसिंह)

कमेटी ने ही बताया कि हमारे यहां सागवान, और कच्ची लकड़ी के धोक, साल, कांटेदार झाड़ी, इस प्रकार चार प्रकार के वन मौजूद हैं। अब इन वनों की व्यवस्था में किस प्रकार की नीति हो, किस प्रकार वन विभाग का पुनर्गठन हो, इस सब के लिए हमारे पास कोई स्टेटिस्टिकल डेटा हो, कोई सर्वेक्षण किसी प्रकार का हो, तब तक न हो। इसके साथ ही डिविज़न्स के विषय में भी हमारी एस्टीमेट कमेटी ने काफी विशद् चर्चा की है और कहा है कि आज १३ डिविज़न्स हैं, वे साइन्टीफिक आधार पर नहीं बनाये गये हैं। उनमें कई बातों पर ध्यान करना आवश्यक है और वन उपज की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, सोइल कन्ज़र्वेशन की आवश्यकताओं की दृष्टि से ये डिविज़न्स बनाये जाने चाहिए, इनमें केवल बराबर बराबर इलाका लगा देना जरूरी नहीं है। तो इन मूलाधारों पर डिविजन्स बनते हैं तो वे कारगर होते हैं और उनमें पहले जो स्टाफ रखा गया है वह भी असंतुलित है। कई जगह बहुत छोटे एरिया में डिविज़न्स बन सकते हैं, जैसे अलवर, उदयपुर। जहां जहां अधिक वन हैं, मारवाड़ इत्यादि अजमेर में ऐसी जगह वन अधिक होने से समस्यायें अधिक हैं, वहां डिविज़न्स छोटे हो सकते हैं। कई जगह सोइल कन्ज़र्वेशन की दृष्टि से इस प्रकार डिविज़न बनाये जा सकते हैं। उनके साथ साथ जो विभागीय खर्च है, जो प्रशासनिक आवश्यकतायें हैं उसका अन्दाज लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां अगर वन नीति को आगे बढ़ाना है और अगर वनों को कारगर बनाना है तो बजाय इसके कि हम क्वान्टीटेटिव साइड में चले जायं, हमें क्वालीटेटिव साइड में सोचना पड़ेगा और हमें पहले ज्योगराफीकल सर्वे की तरफ पूरी दृष्टि घुमानी पड़ेगी। हम तभी वनों में साइन्टीफिक लाइन्स पर वन नीति में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें वन नीति को जनप्रिय भी बनाना पड़ेगा।

इसके आगे मेरा जो तीसरा कटौती प्रस्ताव है, वह खास तौर से जो हमारे वन की सोइल कन्ज़र्वेशन की नीति है उसके बारे में है। आज वन विभाग केवल वृक्ष लगाने में और वनों को बढ़ाने से संतुष्ट नहीं हो सकता। वन विभाग के पास आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जो भूमि का क्षरण दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ती हुई आबादी के कारण, दूसरे कई जियोलोजिकल कारणों से, शेल्टर बैल्ट पर वन नहीं होने से, एग्रीकल्चरल लैंड पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से, जन्तुओं की कमी होने से, इन सभी करणों से जो हमारी भूमि का क्षरण हो रहा है, हमारे प्रोविन्स में ही नहीं, हमारी स्टेट में ही नहीं, यह सारे भारत वर्ष की; बल्कि सारे संसार की समस्या है और बड़े–बड़े भू-क्षरण विशारदों ने, इस विषय पर बड़ी–बड़ी किताबें लिखी हैं। अमेरिका में भू-क्षरण से बड़ी चिन्ता व्यक्त की जा रही है और इस भू–क्षरण को रोकने के लिये बड़ी खोज और प्रयास किये जा रहे हैं। बड़ी गम्भीरतापूर्वक वहां इस समस्या को हल करने के बारे में विचार और प्रयास किये जा रहे हैं। उतनी ही गम्भीरता से हमें इस पर दृष्टि आंकनी चाहिये। मुझे तो यह कहते हुए खेद होता है, १,१५,००,००० की राशि सेंट्रल कन्ज-र्वेशन बोर्ड से हमें मिली ताकि हम शेल्टर बैल्ट का काम और भू-क्षरण की समस्या का

(राव श्री नारायणसिंह)

हल कर सकें पर मुझे दुःख होता है जब एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखता हूँ और बाहर जो हो रहा है उसको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में बहुत कमजोर कदम उठाये गये हैं। हो सकता है कि हमारे यहां स्टाफ की कमी हो और साधनों की कमी हो पर हमें इस बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकना आवश्यक है और शेल्टर बैल्ट के प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा, ५७—५८ में ५ लाख का खर्चा करने की सरकार की प्रवृत्ति हुई थी और ब्लॉक्स में ऐसे स्थान, एक्सपेरिमेंटल स्थान, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिये ऐसे स्थान रखे गये थे जहां इरोज़न ऑफ सोइल की समस्या को किस तरह हल किया जाय, इसका परीक्षण हो, पर मैं समझता हूँ यह एक प्रकार का सिन्धु में बिन्दु के बराबर कार्य हुआ। इससे हमारी यह समस्या बराबर आंकी नहीं जा सकती। हमें इसका एक बहुत ही इन्टेन्सिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वन विभाग में एक अलग सेक्शन खोलना होगा जो सोइल कन्जर्वेशन का कार्य करेगा, इस विन्ड इरोज़न, शीट इरोज़न वगैरह की समस्याओं पर स्टडी करके आगे बढ़ना होगा। कृषि भूमि में जहां विन्ड इरोज़न से खराबी होती है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अमेरिका आदि के मिसीसिपी एरिया में बड़ा भारी प्रोग्राम बनाया गया है। विन्ड इरोज़न को देख कर ऐसे वृक्ष लगाने की नीति अपनाई है, शेल्टर बैल्ट को रिप्लेनिश करने की ओर कई प्रोग्राम उठाये गये हैं जिनसे भूमि का बोटेनिक पोटेन्शियल बराबर बना रहे, वाइल्ड लाइफ प्रिज़र्वेशन का प्रोग्राम वहां उठाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रिज़र्वेशन बोर्ड हमारे यहां है पर वह इस दिशा में कितना ध्यान दे रहा है, कितना काम कर रहा है यह मैं नहीं कह सकता। वाइल्ड लाइफ प्रिज़र्व करने की यही नीति नहीं है कि अशोक के समान सब चीजों को सर्व भूत परमेश्वर मान कर दया करना चाहते हों पर हमारी नीति का इनकी उपयोगिता से अधिक सम्बन्ध होना चाहिये। हम छोटे से छोटे जन्तुओं को देखें तो वे हमारी जमीन की सतह पर नेचुरल खाद देते हैं, इसमें योग देते हैं।

अमेरिका में ओकोहामा में काफी कृषि हुई और उसके कारण जमीन उजड़ गई, बड़ी डस्ट बाउल की समस्या खड़ी हो गई वे जागरूक हुए और उन्होंने ध्यान दिया खोज की तो पता चला कि जमीन के ६ फीट के ऊपर की लेअर है जिसमें कि बनस्पति पनप सकती है उसमें से ६ इंच जमीन केवल गलत प्रकार की कृषि से और दूसरे प्रकार की कृषि उपजाने से खत्म हो गई। कई विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा कि जो अमेरिका से बाहर अन्न इत्यादि भेजा गया उससे अमेरिका ने असेन्शियल कैपिटल, नेचुरल वैल्थ की कैपिटल थी जितनी भूमि क्षरण हुई वह एक तरह से उसे दूसरे देशों को बेच दिया। तो इतने शख्त शब्दों में वहां के विशेषज्ञों ने गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने खोज करके पता लगाया कि जमीन के ऊपर की एक इंच ऊपर की सोइल है उसको बनने में सौ, दो सौ वर्ष लगते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हम न मालूम कितने

(राव श्री नारायणसिंह)

इंच सोइल को बर्बाद कर देंगे जब तक कि हम इस दिशा में जागरूक न हों।

मोहन्जोदारो की सभ्यता के समय में यह राजस्थान का एरिया, सिन्ध का एरिया बड़ा उपजाऊ रहा। होगा पर पहले की सभ्यताओं ने यहां पर काश्त की उसके कारण भू क्षरण हुआ। उस भूमि के क्षरण से ये रेगिस्तान बने। बेबिलोनिया की सभ्यताओं में जो कार्यवाहियां कीं उससे ईराक का एरिड एरिया है वह क्षरित होकर रेगिस्तान के रूप में आ गया। कई विद्वानों ने कहा है कि जब कोई सिविलाइजेशन भूमि क्षरण की ओर ध्यान नहीं देती तो उस भूमि क्षरण के साथ साथ उस सभ्यता का भी पतन होता जाता है; जैसे रोम की सभ्यता, मेसेपोटामियां और बेबिलोनिया की सभ्यताओं का पतन हुआ तो इन सभ्यताओं और अन्य दूसरी कुछ सभ्यताओं के पनपने और उनके पतन के बारे में विशेषज्ञों ने जांच की और उन्होंने चेतावनियां दीं, उनको हम भुलावे में नहीं डाल सकते। हमें डर है कि हमारा राजस्थान का डेज़र्ट बढ़ते—बढ़ते एक दिन हमारे सारे राजस्थान की सारी भूमि को न ढक ले और आगे यू. पी. में न बढ़ जाय। हम इसी तरह आंखें मूंद कर इसको देखते रहे तो इसका परिणाम हो सकता है कि उत्तर भारत जिस पर इन्टेन्सिव कल्टिवेशन हो रहा है वह शायद एक दिन अरेबिया जैसा बड़ा भारी रेगिस्तान बन जाय और अगर इसी तरह रेगिस्तान बढ़ता रहा तो हमारे सारे विश्व का चित्र ही विचित्र बन सकता है; जिसका क्या रूप होगा इसको तो जियोलोजिकल एक्सपर्ट ही कह सकते हैं। पर हमें आज से जागरूक हो जाना है जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारी ओर अंगुलियां न उठायें। प्रति वर्ष आधा माइल या इतना बढ़ने का हिसाब लगाया गया है, इस दृष्टि से पूरा आंकने पर तो कितने सालों में यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान सारे राजस्थान को ढक देगा? चाहे हम राजस्थान केनाल बनायें, चाहे कितनी ही केनाल बनायें, यदि भू क्षरण की बढ़ती हुई समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिये बड़ा भारी घाटा और बड़ा भारी अन्याय कर देते हैं।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि ये जो मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं, पहला तो डीमार्केशन ऑफ दी फोरेस्ट्स, इसके साथ ही साथ फोरेस्ट की फीज़िकल सर्वे, सोइल कन्ज़र्वेशन का पूरा प्रोग्राम, इसके साथ जुड़ी हुई वन नीति को जनप्रिय बनाना, लेबर कोऑपरेटिव फोरेस्ट्स की हैं उनको पूरी पूरी इमदाद देने का प्रोग्राम, इस ओर हमें पूरा पूरा ध्यान देना होगा।

हमें ठेके की नीति में, केवल वे कितना ठेका देते हैं, कितना हमारी राज्य सरकार के खजाने को वे भर देंगे, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमें समाजवादी समाज की रचना करनी है, जन कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पब्लिक एक्सचैकर भरना केवल मात्र दृष्टिकोण नहीं है। हमें तो इस ओर ध्यान देना है कि healthy trends of economy, socio-economic structure में कुछ ऐसी चीज आवे जिससे वे इस बात

(राव श्री नारायणसिंह)

की तरफ जागरूक हों और समझ सकें और अपना सहयोग दें । कोऑपरेटिव सैक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर में केवल नीति को निर्धारित करने से काम नहीं होगा, कानून पास करने से काम नहीं होगा, लोन देने से नहीं होगा और न दूसरी व्यवस्था करने से होगा । हमें वाकई में शुरू-शुरू में स्पून फीडिंग करना होगा और इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां ठेके की बात आए वहां लेबर कोऑपरेटिव हों उनको सबसे पहले ठेका दिया जाना चाहिये और अगर वे ठेके की रकम कुछ कम भी दें तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर हमारा वन विभाग और हमारे वन विभाग के मन्त्री कार्य करके इसे सफल और जनप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे ।

[आज इस मांग पर निम्नलिखित और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे:—

(४३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वृक्षारोपण आन्दोलन की असफलता पर बहस करने हेतु)

(४४) मांग की संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों की वन सम्बन्धी तकलीफों पर बहस करने हेतु)

राजा श्री मानसिंह प्रस्ताव करेंगे :—

(45) That the Demand No. IV, Major Head 10- Forest be reduced by Re. 1/- (To discuss regarding allowing of certain persons and their friends to shoot games in the declared game sanctuaries in general, and in the Ghanna Bird Sanctuary in particular).

श्री गोकुलचन्द प्रस्ताव करेंगे:—

(४६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा रूंधों को तोड़कर भूमि-हीन किसानों को दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)

श्री मोतीलाल प्रस्ताव करेंगे:—

(२४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में वन उन्नति के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

(२५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन कटाई पर बहस करने हेतु)]

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल भटनागर ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है-वृक्षारोपण आन्दोलन की असफलता पर बहस करने हेतु । इस विषय पर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है, मगर फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता

(श्री सम्पतराज जैन)

हूं। अध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण आन्दोलन या वन महोत्सव अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलन है और इसकी उपयोगिता हमारी कृषि की उन्नति के लिये, कृषि के साथ–साथ, बहुत जरूरी है। मगर पिछले इतिहास को देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि यह सन १९४९ में कार्य शुरू हुआ था। आज इस कार्य को शुरू हुए करीब ११ साल पूरे हो चुके हैं। इन ११ वर्षों में हम यदि पूरी ईमानदारी से इस काम को करते, सारी जनता, सरकारी अधिकारी आदि सभी मिल कर इसको करते तो राजस्थान में बहुत वन नजर आते। लेकिन वास्तव में क्या देखते हैं कि सन् १९४९ से लेकर आज तक जितना काम होना चाहिये नहीं हुआ है। मैं सन् ४९ से लेकर आज तक वन–महोत्सवों में भाग लेता रहा हूँ और शरीक होता रहा हूं। सरकार ने इसको बहुत अच्छी भावना से प्रारम्भ किया है लेकिन नीचे क्या किया जाता है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसमें काम कौन करते हैं ? काम करने वाले तो दूसरे लोग हैं, पंचायतों में लोग काम करते हैं और गांवों में किसान लोग इनको लगाते हैं और होता क्या है कि जितना टार्गेट पूरी तहसील में वृक्षों को लगाने का मुकर्रर करते हैं उसकी पंचायतों को इत्तिला दे देते हैं और पंचायतें गांव वालों को इत्तिला दे देती हैं। इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट हैं वे सब अपने–अपने आंकड़ों में उन वृक्षों को लिख देते हैं। रेवेन्यू विभाग वाले अपने रेकॉर्ड में लिख लेते हैं तो पंचायत विभाग वाले अलग लिखते हैं। अगर ८ महकमे होते हैं तो आठ ही महकमे वाले उन वृक्षों को अपने रेकॉर्ड में लिख लेते हैं। अगर ५०० वृक्ष फोरेस्ट वालों ने दर्ज किये तो ५०० वृक्ष पंचायतों ने अपने रेकॉर्ड में लिख लिये इस प्रकार सब महकमे वालों के आंकड़े मिला कर बताये जाते हैं कि कुल इतने वृक्ष लगाये गये। वास्तव में देखा जावे तो १०० पेड़ लगाये जावें तो उसके बजाय २० हज़ार पेड़ बताये जाते हैं। इस तरह के फर्जी काम होते हैं, इनको हटाया जावे और यह देखा जावे कि इन हज़ार वृक्षों को, जिनको लगाया जाता है उनमें से कितने पनपते हैं और कितने जिन्दा रहते हैं, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे। इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता है।

आज से करीब ५ साल पहले माननीय राजस्व मन्त्री ने हिदायत की थी कि जो पेड़ लगायेगा उसका पेड़ होगा। मगर वह जमीन जिस पर काश्तकार पेड़ लगाता है, वह जमीन जब दूसरे को दे दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा तो वह पेड़ भी उसका हो जाता है। इसलिये कोई भी आदमी यह नहीं चाहेगा कि जब तक उसको जमीन का अधिकार नहीं मिले तब तक उस जमीन पर पेड़ लगाए। आज की जैसी पद्धति है और भौतिकवाद का प्रचार होता है, जब तक किसी को यह पूरा इत्मिनान न हो कि जिस चीज़ को वह लगाएगा उसका वह मालिक होगा तब तक वह उसको नहीं लगाएगा। पहले सिद्धान्त के अनुसार वह मालिक होता था मगर आज जो सिद्धान्त आपने अपनाया है उसके अनुसार वह उस पेड़ का मालिक नहीं होता जो उस पेड़ को लगाता है।

(श्री सम्पतराज जैन)

दूसरी बात यह है कि जो पेड़ लगाये जाते हैं उनकी उपयोगिता का कौन जिम्मा ले ? महकमा थोड़े बहुत लगाता है और थोड़े बहुत पंचायत लगाती है । आज ११ वर्षों से यह काम किया जा रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि यह पैसा जो लगाया जाता है वह पूरा का पूरा पैसा अगर बर्बाद नहीं हो रहा है तो कम से कम ७५ प्रतिशत तो बर्बाद होता ही है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या को किस तरह से सुलझाया जावे। इस समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका है । पंचायतों को इसके लिये पांच या दस बीघा जमीन पेड़ लगाने के लिये (जंगल लगाने के लिये) अलॉट कर दी जावे और उनको इसके लिए अनुदान दिया जावे और अगर सरकार अनुदान नहीं दे तो ऋण जरूर दे और यह आदेश दे कि यह आवश्यक काम है, इसको बढ़ाया जावे । तभी यह आन्दोलन सफल हो सकता है।

दूसरा कट मोशन, अध्यक्ष महोदय, किसानों की वन सम्बन्धी तकलीफों के बारे में है और इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कृषि और वन का बहुत निकट का सम्बन्ध है। बिना वन के सामान को प्राप्त किये कृषक खेती नहीं कर सकता। हर एक किसान को चाहे वह बड़ा हो या छोटा जंगल से लकड़ी लेनी पड़ती है। अगर वह सामान जंगल से काश्तकार को उसकी सहूलियत के अनुसार मिल जाए तो उसको खेती के काम करने में बहुत सहूलियतें होती हैं । वह अपना अधिक समय खेती में लगा सकता है और खेती के काम में पूर्ण रूप से ज्यादा समय देकर खेती को उन्नत कर सकता है और यदि वही चीज़ उसको समय पर नहीं मिले और उस किसान पर जो अपने आवश्यकता की चीज़ को जंगल से लेता है; लेने पर उसे तंग किया जाए या उस पर जुर्माना किया जावे या उसकी गाड़ी और बैल जब्त किये जावें और उसको सजा दी जावे तो जो समय वह खेती के काम में लगाना चाहता है वह नहीं लगा सकता और उसका समय दूसरे कामों में इधर–उधर आने जाने में बर्बाद हो जावेगा। ऐसी हालत में मैं यह अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि उसको उसके खेती के काम में आने वाली लकड़ी आदि की सुविधा मिलनी चाहिये । उनको तो जंगल से लकड़ी लेनी पड़ेगी । वे इतने फाइनेन्शियल पोज़िशन में नहीं हैं कि फार्मों को ट्रेक्टर आदि का उपयोग अपने खेतों में करें। हल के लिये उसको लकड़ी लेनी पड़ती है, जलाने के लिये लकड़ी, जो बड़े की लकड़ी, कांटे बाड़ के लिये लेनी पड़ती है। इसके अलावा किसान गरीब होता है और उसके पास १० या १५ बीघा जमीन होती है। ऐसी सूरत में वह पक्का मकान तो बना नहीं सकता। चन्द बड़े २ काश्तकारों को छोड़ कर गरीब लोग मकान पक्के नहीं बना सकते इसलिये उनको इमारती लकड़ी और गाड़ी के पहिये आदि के लिये लकड़ी की आवश्यकता रहती है। यह लकड़ी उनको आसानी से नहीं मिले तो वे परेशान रहते हैं। हमारे कोटा डिविज़न में किसान बड़े परेशान रहते हैं । कोटा में अगर कोई किसानों की शिकायत है तो वह पुलिस की और वन विभाग की है। बाकी सब मामूली शिकायतें हैं। ऐसी सूरत में, पुलिस का यहां अभी सवाल नहीं है, फोरेस्ट का सवाल है,

Page No.37

(श्री सम्पतराज जैन)

मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार ने काश्तकारों को काफी सहूलियतें दे रखी हैं और अब इसके सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई है उसको देखते हुए काश्तकारों को राज्य सरकार और भी सहूलियतें देगी । लेकिन कानून द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो काश्तकारों को सहूलियतें दे रखी हैं उनका नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ठीक प्रकार से पालन नहीं होता चाहे वे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हों, चाहे रेन्जर हों या नाकेदार हों। इन नीचे के कर्मचारियों के कारण वे ठीक कार्यान्वित नहीं होती हैं और ठीक क्यों नहीं कार्यान्वित होती हैं क्योंकि इन कर्मचारियों को लोभ रहता है और वह लोभ यह रहता है कि किसी न किसी प्रकार से काश्तकारों से नाजायज़ रूप से पैसा वसूल किया जाय और अपनी आमदनी बनायी जाय । नाकेदार से लेकर रेन्जर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और ऊपर के अधिकारी इस ताक में रहते हैं कि किस प्रकार से पैसा बनाया जाय, पैसा किसी प्रकार से मिले । पैसा आता कहां से है ? काश्तकारों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए फ्री पास दिये हुए हैं, चिट्ठियां देने के लिए व्यवस्था है राज्य सरकार की ओर से कि चौथाई महसूल लेकर लकड़ी लाने दी जाय । लेकिन नाजायज़ पैसा बनाने का कारण यह है कि वक्त पर काश्तकारों को चिट्ठियां नहीं दी जायं । या तो वक्त पर नाकेदार नहीं मिलता, जब नाकेदार मिलता है तो चिट्ठी नहीं मिलती है क्योंकि चिट्ठियों की किताब वक्त पर नहीं है, चाबी नहीं होने से चिट्ठियों की किताब नहीं है । इस प्रकार से उन काश्तकारों को तीन चार, पांच, यहां तक कि दस, दस बार वहां जाने आने के लिए मजबूर किया जाता है । फिर जब चिट्ठी दी जाती है तो २०) रु० उससे लिया जाता है और जब कि दो रुपये ही लेने चाहिये और रसीद भी दो रुपये की देनी चाहिये लेकिन उनसे २०) रुपया लिया जाता है और रसीद उनको २) रु० की दी जाती है । यहां तक ही नहीं काश्तकार को बेजा तौर पर परेशान किया जाता है । इसके लिए मेरे पास कई उदाहरण मौजूद हैं और मैं उनको यहां बताना चाहता हूं क्योंकि श्रीमान्, जंगल की काफी काश्तकारों को तकलीफ है । जब काश्तकार किसी प्रकार से चिट्ठी कटाने के लिए नाकेदार, रेन्जर के पास जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम तुम्हारी आवश्यकतानुसार जंगल से जाकर लकड़ी ले आओ, फिर चिट्ठी काट देंगे । पहले तो उनको इस तरह से कह दिया जाता है । भोला किसान नाकेदार, रेन्जर की चालाकी को नहीं जानता, आवश्यकतानुसार जंगल से सामान भर कर लाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी गाड़ी–बैल को पकड़ कर वहां पर उसको बैठा दिया जाता है । आप ही सोचिये कि इस जमाने में उसके गाड़ी-बैल की क्या कीमत है, ५००), ७००)रु० के उसके गाड़ी–बैल होते हैं । उसको हथकड़ी डाल कर ले जाया जाता है और चौकी पर उसको तीन–चार दिन के लिए रोका जाता है और दो सौ, चार सौ रुपया उससे उन नाकेदार रेन्जरों के द्वारा बना लिये जाते हैं । यहां तक की उस पर २५०) रु० जुर्माना कर दिया जाता है और फिर रजामन्दी के मुहादे की चिट्ठी लिखा ली जाती है । ये आज दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं कि यदि इन हरकतों को रोका नहीं गया तो काश्तकार

(श्री सम्पतराज जैन)

कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जायेंगे । मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इसकी गंभीरता को समझती है और इसीलिए एक कमेटी भी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अपोइन्ट की थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको राज्य सरकार ने कहां तक क्रियान्वित किया है, यह अभी सदन के सामने नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कई नजीरें ऐसी हैं कि यदि उनको सुनाने लगूं तो सदन का बहुत सा वक्त जाया होगा कि किस तरह- से ये जंगल के अधिकारी उन भोले-भाले काश्तकारों को लूटते हैं, तंग करते हैं और परेशान करते हैं। यह तो एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है। झालावाड़ की सरहद मध्य प्रदेश से लगी हुई है और मध्य प्रदेश की सरहद से लगे हुए होने के कारण क्या होता है कि वहां के जो नाकेदार हैं, रेन्जर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने वहां के स्मगलर्स से मिल कर तमाम जंगलों को बर्बाद करवा दिया और जब काश्तकार वाजिब लकड़ी लाने के लिये जाता है तो उसको कहा जाता है कि तमाम जंगल तो बर्बाद कर दिया। अब वहां कहां है लकड़ी ? श्रीमान्, जंगल को काश्तकारों ने बर्बाद नहीं किया, वे तो सैकड़ों वर्षों से इन्हीं जंगलों से अपने काम के लिए लकड़ी लेते आये हैं, उन्होंने जंगलों को बर्बाद नहीं किया किन्तु नाकेदार, रेन्जर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने इस प्रकार से लोभ के कारण स्मगलर्स से मिल कर तमाम जंगलों को बर्बाद करवा दिया। सरहदी इलाका है, झालावाड़ का इलाका सारा ही सरहदी है, बाहर से लगा हुआ है, कोटा डिविज़न ही सरहद से लगा हुआ है। वहां के लोग इधर आते हैं, रेन्जरों से मिल कर, नाकेदार और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से मिल कर काफी तादाद में जंगल से लकड़ी ले गये और तमाम जंगलों को बर्बाद कर दिया, २००)रु० ५००) रुपया लेकर जंगलों से ये लोग लकड़ी निकलवा देते हैं। लेकिन जब काश्तकार खेती के लिए, मकान के लिए लकड़ी लेने के लिये जाता है तो उससे इस प्रकार से परेशान किया जाता है, नाजायज़ पैसा लिया जाता है और उसको लकड़ी के लिए तरसाया जाता है। वास्तव में राजस्थान में न तो कानून की कमी है और न ही जंगलों की कमी है। काश्तकारों के लिए सरकार ने काफी रियायतें भी दे रखी हैं। यदि कर्मचारियों द्वारा उनका पालन ठीक तरह से किया जाय तो निश्चित रूप से काश्तकारों को काफी तादाद में सहूलियतें मिल सकती हैं और उनकी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। जब वास्तव में शिकायतें की जाती हैं तो उनकी ठीक प्रकार से जांच नहीं हो सकती है, होती नहीं है और उनको किसी न किसी प्रकार से दबा दिया जाता है। यह इस विभाग का ही हाल नहीं है। राजस्थान में तो सब जगह यह हाल हो गया है। मैं जंगली इलाके का रहने-वाला हूं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आपके विचार तो जंगली नहीं हैं।

श्री सम्पतराज जैन : जंगली विचार नहीं हैं। जंगल में रहने वाले भी अच्छे विचारों के होते हैं श्रीमान्, केवल शहरों के रहने वाले ही नहीं।

तो वे काश्तकार रोज मेरे पास आते हैं। मैं मानता हूं कि सब ही अधिकारी एक से

(श्री सम्पतराज जैन)

नहीं होते लेकिन यह सही है कि नाकेदार से रेन्जर और रेन्जर से डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं वे कमाते हैं, उनका एक बन्धा हुआ रहता है। यह आम बात है कि कमाता कौन है? नाकेदार कमाता है। १००) २००) रु० नाकेदार से बन्धे हुए रहते हैं। जंगलों को बर्बाद करने के लिए कोटा डिविज़न यह कह सकता है कि जो जंगलों की बर्बादी हुई है उसमें हाथ जंगलात के अधिकारियों का है। इधर कश्तकारों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। गांव के पास ही जंगल खड़े हुए हैं, जंगलों में गांव भी बसे हुए हैं, पहाड़ों में खेती होती है और उन काश्तकारों को कहा जाता है कि उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल सकती। चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वे ? उनको हल जोतने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। मुर्दों के लिए भी उनको लकड़ी नहीं मिल सकती। उनको कहा जाता है कि गीली लकड़ी मत लो, फलां मत लो। इस तरह की उनको परेशानियां होती हैं। उनकी ये परेशानियां यदि सरकार ध्यान दे तो दूर की जा सकती हैं। कानून काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं लेकिन काश्तकारों को जो रियायतें दे रखी हैं उनका पालन अधिकारी नहीं करते हैं और वे अपने हित में काम करते हैं। यदि उनको पैसा दे दिया जाय तो कर देते हैं। जब उनको उचित पैसा मिलता नहीं तो उन काश्तकारों पर मुकदमें बनाने शुरू कर देते हैं, परेशान किया जाता है, दो, चार दिन उनको रोका जाता है और पैसा मिल जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी इस दिक्कत को दूर किया जाय।

अब सवाल यह भी है कि जंगलों की जो बर्बादी हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है और काश्तकारों की कठिनाइयां कैसे हल हों ? यहां जयपुर में बैठे हुए सी० सी० एफ० या मंत्री महोदय से नहीं रोकी जा सकती, चाहें तो भी नहीं रोक सकते। लेकिन उनको रोकना पड़ेगा और उनको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका इसका यही हो सकता है कि जंगलों को पंचायत और पंचायत समितियों को सौंप दीजिये। उन जंगलों को बढ़ाना, पनपाना और संरक्षण देना यह काम पंचायत और पंचायत समितियों का होगा। जब तक आप उनको नहीं सौंप देते हैं तब तक काश्तकारों को यह जो परेशानी पैदा की जा रही है वह रोकी नहीं जा सकती। ऊपर से बैठकर इन जंगलात के अधिकारियों की इन हरकतों को आप रोक नहीं सकते। यदि एक नाकेदार और रेन्जर आदि की शिकायत की जाती है तो न तो उसकी पूरी जांच होती है और जांच होती है तो उसको दबा दिया जाता है। यह इस विभाग की ही शिकायत नहीं है प्रायः सब ही विभागों के लिए शिकायतों को दबाने का एक रवैया बन गया है। मैं फोरेस्ट के लिए कह रहा हूं कि जब ये शिकायतें दब जाती हैं और अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो जनता का न्याय, कानून और शासन से विश्वास उठ जाता है। और उससे क्या हालत हो जाती है ? उससे क्रान्ति होती है। क्रान्ति होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। सरकार को यह करना पड़ेगा कि जितने भी जंगल हैं वे पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंप दिये जायं और जितना जल्दी सौंपेंगे उतना ही जल्दी जंगलों का उपयोग हो सकता है।

Page No.40

(श्री सम्पतराज जैन)

जंगलों का माल आज मध्य प्रदेश को जा रहा है, जंगल आपके बर्बाद हो गये हैं और हो रहे हैं। आप इस माल को वहां पर जाने से रोक सकते हैं। जितनी उस डिविज़न से आमदनी होती है जिला स्तर से, पंचायत और पंचायत समितियों के ऊपर जंगल के हिसाब से तय कर दीजिये। पंचायत समितियां जंगलों की पैदावार से; गोंद, लाख आदि से जितना भी टैक्स सरकार ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

का होगा, महसूल होगा वह आमदनी के रूप में दे देंगे। यदि आप उनको यह सौंप देते हैं तो काश्तकारों को परमिट लेने में जो दिक्कतें होती हैं और जिस प्रकार से उनसे नाकेदार, रेंजर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हैं वह भी बन्द हो जावेगी।

एक तकलीफ जंगल से और है। यह मैंने लकड़ी और सामान के विषय में निवेदन किया। हमारे कोटा डिविज़न में डाई काश्त होती थी। महान् राजस्थान बना उससे पहले भी और सन् ५६-५७ तक होती थी।

श्री मोतीलाल : यह डाई काश्त क्या है?

श्री सम्पतराज जैन : पहाड़ों के ढलान में जो काश्त होती है उसको कोटा डिविजन में डाई काश्त कहते हैं।

जंगलात विभाग ने वह डाई काश्त बन्द कर दिया। सैकड़ों की तादाद में कोटा डिविज़न में गांव पहाड़ों में बसे हुए हैं। वहां जो जमीन है उसी पर तो वे काश्त करेंगे। यह कहा जाता है कि इससे जंगल बर्बाद होते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे जंगल बर्बाद नहीं होते हैं, सैकड़ों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। फिर भी आप इस जमीन के लिए कोई एक लिमिट बांध दीजिये। आज तक वे करते थे, आज वे काश्तकार जावें कहां? यदि सरकार अपनी आमदनी नहीं छोड़ना चाहती है तो दो चार पहाड़ी इलाकों में यह बांध दी, जाय और दो-चार आना बीघा जो भी आमदनी हो वह उनसे ले ली जाय।

मगर डाई फोरेस्ट आपने रखे नहीं, वैसी हालत में पहाड़ों में रहने वाले काश्तकार हैं वे किस तरह से अपना जीवन-निर्वाह कर सकेंगे? जब पेट खाली रहता है तो कानून की पर्वाह किये बिना भी काम कर लेते हैं। आप जब उनको ठीक तरह से फोरेस्ट करने की इजाजत नहीं देते हैं तो चोरी-छिपे करेंगे, आखिर पेट तो उनको भी भरना है। लखपति या करोड़पति वे बनते हों तो आप उन पर रोक लगा सकते हैं लेकिन आप पेट भरने के लिये तो मनाही नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में डाई फोरेस्ट की कमी है उसको हल करना चाहिये और काश्तकारों को जितनी आवश्यकता हो उतने डाई फोरेस्ट की आवश्यकता की पूर्त्ति करनी चाहिये। उसमें यदि जंगल बर्बाद हो तो रोकना चाहिये। लेकिन जो छोटे-मोटे पौधे होते हैं उन छोटे मोटे पौधों से नुकसान होने वाला नहीं है।

इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि हमारे यहां संवत् १९७४ में ७५ में इन्फ्लुएन्जा, महामारी फैली थी। उनके कारण कोटा डिविज़न के काफी गांव जो आबाद थे नष्ट

(श्री सम्पतराज जैन)

होगये। परिणाम यह हुआ कि गांव-गांव वीरान हो गये, ऐसे वीरान हो गये कि वहां आबादी नहीं हो सकी। इसके कारण वहां की भूमि कृषि किये बिना रह गई। अब जब कि आबादी बढ़ती जा रही है उस समय वे रेवेन्यू से फोरेस्ट में चले गये। इस तरह से एक ही तहसील में करीब ३४,३५ गांव वीरान हो गये। जब वहां आबादी थी तो काश्त होती थी। लेकिन जब फसल पैदा करने वाले मर गये तो वह जमीन रेवेन्यू से फोरेस्ट में आ गई। इस बारे में मैंने पहले भी गवर्नमेन्ट से निवेदन किया था और मुख्य मंत्रीजी जब वहां पधारे उन्होंने भी यह कहा था कि जो जमीन काबिल काश्त है काश्त के लिये आबादी है उसको दिया जाना चाहिये। मगर उसमें झगड़ा है। फोरेस्ट वाले उसको छोड़ने के लिये तैयार नहीं। रेवन्यू वालों ने इसलिये छोड़ दी कि आबादी नहीं होने के कारण वहां काश्त नहीं होती है। अब जब कि आबादी बढ़ रही है तो वैसी हालत में इसको बगैर काश्त के रखने से क्या फायदा? उस भूमि में कुछ जगह तो पक्के कुए बने हुए है और कई जगह कच्चे कुए भी हैं। गत साल में कुछ अलॉट हो गई थी डी० एफ० ओ० और कलेक्टर ने तय कर लिया था। आज तक जमीन जो हजारों बीघा से ऊपर है बगैर काश्त के पड़ी है उस पर काश्त किया जाना चाहिये। जिस जमीन में १०-१२ मन फली बीघा के हिसाब से उपज होती है इस प्रकार की भूमि के बगैर काश्त के पड़ी रहने से राज्य को काफी हानि है। इसके अलावा जब कि अनाज की बहुत कमी है इसका उपयोग किया जाना चाहिते। इसलिये मेरा वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिल कर इस बारे में निर्णय लें जो गांव पहले आबाद थे इन्फ्लुएन्जा के कारण वीरान हो गये काबिल काश्त जो भूमि पड़ी है वहां जब कि आबादी बढ़ गई है जमीन को काश्त करने के लिये जमीन दी जाय। इसके लिये शीघ्र से शीघ्र जमीन फोरेस्ट से लेकर अलॉट की जानी चाहिये।

इसके साथ साथ जो हमारे कोटा डिविजन की समस्यायें हैं उनमें खेत के आसपास लगाने के लिए जिसे बागर कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। वहां पर क्या होता है बागर के लिये जंगल से कांटे आदि लाने पड़ते हैं, उसका कोई स्थान हल होना चाहिये। फोरेस्ट से लाने के लिये काश्तकारों को एक तो परमिट नहीं मिलता। जब तक बागर न लगाई जाय फसल की हिफाजत नहीं हो सकती, जंगली पशु चर जाते हैं। इसका स्थायी हल यह है कि १०,२० खेतों के लिये राजस्थान सरकार बागर लगाने के लिए कांटेदार तार खरीदने के लिये तकावी दे। अभी तक बैल खरीदने के लिये कुए आदि बनाने के लिये तकावी देते रहे हैं मगर काश्तकारों को खेती के आसपास बागर करने के लिये भी तकावी दी जानी चाहिये। राजस्थान सरकार की इससे वन की भी सुरक्षा होगी क्योंकि बागर के लिये वनों से कांटे आदि लाने पड़ते हैं वह भी बचत होगी और तार लग जाने से काश्तकारों के लिये बागर का स्थायी हल निकल जायगा। जो काश्तकार अमीर होते हैं वे तो पैसे से खरीद कर तार भी ला सकते हैं। इसके लिये काश्तकारों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिये तकावी के रूप में। इस तकवी से काश्तकार तार खरीद लेंगे और इससे खेतों के बाड़ का

Page No.42

(श्री सम्पतराज जैन)

स्थायी हल हो जायगा और जंगल भी बर्बादी से बच जायेंगे ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्यत: सभी जगह जलाने के लिये लकड़ी का प्रयोग होता है आज जंगल इतने नहीं रहे कि वह इस आवश्यकता की बराबर पूर्ति कर सकें । इसलिये कई जंगलों से लकड़ी लाना भी बन्द कर दिया गया है। इसके लिये वन विभाग की ओर से यह आदेश दिये गये हैं कि कोई भी वनों से लकड़ी गाड़ियों पर लाद कर न लायें एक काश्तकार को जिसको साल में ५,६ गाड़ी लकड़ी की आवश्यकता होती है वह बिना बैलगाड़ी की सहायता के किस तरह से लकड़ी ला सकेगा ? वह सिर पर लाद कर लकड़ी ला सकता है । आखिर १५ मील की दूरी से सिर पर कितनी लकड़ी लादकर कोई ला सकता है और पांच, छ: गाड़ियों जितनी लकड़ियां लाने के लिये उसको कितना परिश्रम करना पड़ेगा ? आखिर इस प्रकार के आदेश में क्या अच्छाई है ? मैं इसे उचित नहीं समझता कि वे इस प्रकार से उपयोग से अधिक लकड़ी नहीं ला सकते । आखिर लकड़ी की जगह तो लकड़ियां ही जलायी जायेगी कोई हाथ पैर तो जलाने से रहे ; गाड़ियों से लकड़ियां आने दें तो उसमें क्या दिक्कत है ? इस प्रकार से जंगलात विभाग के कर्मचारियों के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है । कई नजीरें मैं ऐसी दे सकता हूं, कई दफा ऐसे मौके भी आये हैं एक मुर्दा बिना लकड़ी के दस घंटे तक बिना जले पड़ा रहा । जंगली इलाका है वहां पर यह हालत है तो क्या उचित कहा जा सकता है ? इसलिये यह निवेदन है कि जो फोरेस्ट विभाग की तरफ से इस तरह की पाबन्दी है वह तुरन्त हटा दी जानी चाहिये । इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों में सुधरे किस्म के चूल्हे का प्रचार किया जाय जनता को प्रोत्साहन देना चाहिये ऐसे चूल्हों के इस्तेमाल के लिये । इसके लिये कोयला भी गांवों के अन्दर पहुँचाया जाना चाहिये । नये सुधरे हुए चूल्हों के लिये कोयले का इन्तजाम नहीं होगा तो लकड़ी जलानी पड़ेगी । इन शब्दों के साथ इन दोनों कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें और जो हमारे कोटा डिविजन की समस्यायें हैं उन समस्याओं के हल करने में वहां की तकलीफों को दूर करने में और समस्याओं के हल करने में सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Speaker, Sir, My cut motion is to discuss the policy of allowing certain persons and their friends to shoot games in the declared game sanctuaries in general and in the Ghanna Bird Sanctuary in particular.

The present system, Sir, to my mind is undemocratic, unlawful and improper. It seems that certain erstwhile Rulers were given certain concessions at the time of merger, for shooting in certain Government forests. Whether these concessions should be continued now after a decade of democracy is a matter that should be reviewed.

Page No.43

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : शिकार में भी डेमोक्रेसी आ गई क्या ?

राजा श्री मानसिंह : Certain forest areas, Sir, were demarcated as shooting reserves of the Rulers. These areas were later declared as sanctuaries by the Rajasthan Government such as Ghanna Bird Sanctuary in Bharatpur, Sawai Madhopur Game Sanctuary, Udaipur National Park etc. To make myself very clear, Sir, I feel that I should read out to you the definition of these two words, 'reserve' and 'sanctuary'.

The 'reserve' is a tract of public land reserved for some special purpose as for schools, game etc. It may include shooting.

'Sanctuary' is a sacred place, an inviolable asylum, a refuge, an animal and plant reserve. In view of these definitions, Sir, and in the context of my cut motions, I shall confine my criticism of the Government policy with regard to the Ghanna Bird Sanctuary in Bharatpur, though I have no doubt that similar cases exist in Rajasthan. The position is, Sir, that His Highness the Maharaja of Bharatpur has some sort of shooting rights in this Bharatpur Sanctuary. He may shoot big game, small game, feathered game in season and out of season whenever he likes. But the matter does not stop there. He may also invite or permit other persons to shoot likewise in his presence or in his absence. The number of persons who may thus shoot and also the number of days when they may shoot in a year is un-limited. It means that a single person may choose or reject as to which foreigner or Indian national may shoot or not shoot in Government forest maintained at public expenses. There was a case last year, Sir, where a Japanese Ambassador was placed in a most embarrassing position when he was refused permission to shoot, even though the Rajasthan Government requested His Highness Bharatpur to allow him. This is objectionable and undemocratic. I said, Sir, the practice is un-lawful and I will give you two reasons for it. It is a fact that a majority of the persons who are allowed to shoot in the area do not hold arms licences. They carry firearms on public roads and in Government forest and some of them are even minors. It is possible that in this way, a person whose application for arms licence has been rejected by the police, may carry arms and even shoot in a public place. My second reason is, Sir, that no person who shoots in this Government forest ever takes out a Game licence. This results not only in the loss of revenue to the Government but it means that one person may exempt any person from paying Government fees for different types of game, and these fees are double for foreigners. I again say, Sir, that the practice of shooting in the sanctuary is improper.

(राजा श्री मानसिंह)

One argument is advanced that only migratory birds are shot in the area. It is unfortunate, Sir, that non-migratory birds have not been trained not to fly when guns are levelled and fired at migratory birds. The area is advertised as a sanctuary in Government publications and in tourist literature. Only the other day on the 20th March, 1960 I read an article in 'The Times of India, advertising this 'Birds' Heaven in Bharatpur.' People are encouraged to visit this area, to watch and photograph the migratory and non-migratory birds.

१ म. प.

In addition to the noise of guns, whenever a shooting takes place, beaters, whose number may extend to one thousand, drive the birds from one end of the forest to the other, disturbing all the birds, whether they are migratory or non-migratory.

We are to sanction certain amounts of money for the maintenance of these sanctuaries under the Head National Parks aud Game Sanctuaries' Plan expenditure. Of these amounts, Sir, the amount that is allotted for the Ghanna Bird Sanctuary in Bharatpur is not spent for the improvement of the sanctuary but on the improvement of the shooting facilities. For example, last year Rs. 18,000/- were spent on the eradication of Water hycaenth. This year also we have allotted Rs. 9,000/- for this, but water hycaenth has been removed only from those places which are near the shooting berths so as to make it more convenient for the pickers to pick up their daily birds. In addition to this, the Central Government has made a grant for improvement of the roads in the area.

The whole situation is very peculiar and requires serious review, Sir. The sanctity of the sanctuary must be maintained, otherwise it should not surprise me if even the Forest Minister may one day go for shooting in the Jaipur Zoo.

I, therefore, move this cut motion and try to invite the attention of the Government.

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो दो माननीय सदस्यों ने मेरे इस कट मोशन का समर्थन किया है, फिर भी दो मिनट में मैं भी कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं । मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जावे (वन विभाग द्वारा रूंधों को तोड़ कर भूमिहीन किसानों को दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)"

सरकार इन भूमिहीन किसानों की समस्या से चिन्तित भी है और समय समय पर रास्ते निकालती भी रहती है तो ये जो अलवर स्टेट में पांच—छः रूंधे हैं, जिनमें काफी जमीन है, इनके पेड़ वगैरह भी देखते हैं तो कोई महत्व इनका नजर नहीं आता

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

और इस तरह जब उनका कोई उपयोग नहीं तो फिर इनको इन भूमिहीन किसानों को आप क्यों नहीं अलॉट कर देते हैं ? अलवर जिले में भूमिहीन किसान भी काफी संख्या में हैं।

कुछ काश्तकार लोग जो शहरों के आस-पास रह रहे हैं उनकी काश्त की भूमि एक्वायर करके उनको भी भूमिहीन बनाया जा रहा है और यह प्रश्न सरकार के सामने है कि उनको इतनी ही जमीन देकर और अन्यत्र कहां बसाया जावे। तो उनके लिये भी यह आवश्यक है कि इस प्रकार की रूंधों की जमीन दे दी जावे।

इसी प्रकार यह जो पहाड़ों की लकड़ी लाने का मामला है यह भी एक विचित्र समस्या बनी हुई है। अलवर शहर में करीब पांच सौ परिवार ऐसे हैं जो रोजाना या महीने में पन्द्रह बीस दिन पहाड़ों में जाते हैं और अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठड़ रख कर लाते हैं और उसको शहर में बेचकर अपनी रोजी की समस्या हल करते हैं। उनके पास और कोई रोजी का अन्य साधन भी नहीं है। पीढ़ियों से वे यही धन्धा करते आ रहे हैं। पर उनमें समय समय पर यह गड़बड़ी देखी जाती है कि फॉरेस्ट ऑफिसर उनको परमिट देने में दिक्कतें पेश करता है, उनको हैरान करता है। एक आने का पास उनको रोजाना दिया जाने का नियम है। पर उनको यदा-कदा यों ही बिना कोई कारण बताये परमिट या पास देने से इन्कार कर दिया जाता है। कह देते हैं कभी कभी तो कि तुमने गीली लकड़ी काट ली इसलिये पास नहीं देते। इस प्रकार इन गरीबों की एक समस्या बन जाती है और यह इसलिये उनके लिये तकलीफदेह हो जाता है कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में यदि कोई धन्धा किया है तो यही किया है और आज तक भी उससे ही पेट पालते रहे हैं। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि यह ऐतराज इसलिए वाजिब नहीं है कि अगर कोई आदमी गीली लकड़ियां काट कर पहाड़ी से लाये और उसको इस जगह पास नहीं दिया जाये यह वाजिब नहीं है और इसलिए नहीं है कि सूखी लकड़ियां लाने की इजाजत है तो उनको उसका ही पास दिया जाये। अगर उसके खिलाफ कोई गीली लकड़ियां काट कर लाता है तो उसके लिए सजा की व्यवस्था की जाये या फिर उसके ऊपर इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी जाये कि जो गीली लकड़ियां लायेगा उसको पास नहीं दिया जायेगा। यह बात तो कुछ समझ में भी आती है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि कोई आदमी गीली लकड़ियां ले आये और इस बिना पर जो और दूसरे ५०० के करीब आदमी हैं उन सब का ही धंधा खत्म कर दिया जाये। कुछ फॉरेस्ट अधिकारी यह कह देते हैं गीली लकड़ियां जो वह लाते हैं वह पहाड़ी में नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि एक नाका बन्द कर दिया जाता है तो दूसरा खोल दिया जाता है। वह इसलिए है कि इस नाके मे लकड़ियां हैं इसलिए वह खोल दिया जाता है और वह बन्द कर दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि क्योंकि लकड़ी वाले उस बात को नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादती है और ऐसी बात फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं वह गलत है और इस दृष्टि से जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वह इस

Page No.46

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

आक्षेप से भी बच जायेंगे और गरीबों के लिए फैसला करने के बारे में एक जिला स्तर पर कमेटी बना दी जाये ताकि वह फैसला कर दे कि कौन सी पहाड़ी में लकड़ी है और कौन से नाके में छूट दी जानी चाहिए और कौन से दिनों में छूट दी जाये और कौन से दिनों में रोका जाये। क्योंकि यह जो मामला है और है इसमें यह देखने में आता है कि रिंद नहीं तोड़े जा रहे हैं । हां, कहीं कहीं तोड़े गये हैं। मैंने देखा है भरतपुर ज़िले में एक रासिया की रिंध है उसको तोड़ करके हरिजन कॉलोनी बसा दी है और उनको ८-८ और ६-६ बीघा जमीन भी दी गई है। उन लोगों का थोड़ा खाने कमाने का जरिया बना और एक नई बस्ती भी बस गई। वह लोग वहां रह रहे हैं। मैंने अलवर शहर में भी देखा कि कुछ आदमी फौज के कर्नल या सैनिक जो कुछ भी रहे हों वह जब फौज से आये तो उनको मुआवजे के रूप में जमीन दे दी गई। कुछ जागीरदार भी अलवर में ऐसे हैं कि जिनको रूध तोड़ कर जमीन दी गई है। लेकिन जब हरिजन किसानों का या भूमिहीन किसानों का जिनके पास जमीन नहीं है उनका प्रश्न आता है तो सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है । क्योंकि अगर ध्यान दिया जाता तो आज तक यह काम कभी का हो जाता। मेरा ऐसा ख्याल है कि ज्यादा समय सरकार को इस मामले में नहीं लगाना चाहिए और इन रूधों को तोड़ करके इसकी जमीन भूमिहीन किसानों को दे देनी चाहिए। एक प्रश्न यह है कि क्योंकि फोरेस्ट में दरख्त लगाने का प्रश्न है तो वह कहां लगाये जायें? मेरा ख्याल है कि जिन लकड़ियों का प्रयोग नहीं होता है उनको काटा जाये और उस जगह को काश्त के लिए दे दी जाये। लेकिन जो पौधे लगाने की बात है तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब ग्राम पंचायतें बन गई हैं और गांव में जहां भी एप्रोच रोड बनाई जाये वहां उसके साथ साथ दोनों तरफ दरख्त भी लगाये जायें। फिर गांवों के आसपास ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बगीचियां होती हैं वहां पर मैंने इतना भी देखा है कि जो गांवों म बरात आती है तो वह वहां ठहरती है और यह बहुत अच्छे स्थान होते हैं । तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो सारे रास्ते हैं उनके दोनों तरफ दरख्त लगाये जायें, जितनी भी एप्रोच रोड बनें वहां यह लगायें जायें और गांवों के आसपास छोटी–मोटी बगीचियां भी लगाई जायें। इस तरह से आपके दरख्त भी लग जायेंगे। बस इतना ही कहकर क्योंकि अब तो फोरेस्ट मिनिस्टर को नज़दीक से भी जानता हूं....

१. १२. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वैसे भी निवेदन कर सकता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार को इसके अन्दर दिलचस्पी लेनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं और वह राजस्थान के उस इलाके के लिए हैं जिसको सही मायने में राजस्थान कह सकते हैं और वह राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का सबसे

Page No.47

(श्री मोतीलाल)

ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कुल जन संख्या को देखें और पशुधन की संख्या को देखें तो राजस्थान का तीसरा हिस्सा यानी ७५ पर्सेंट रेगिस्तान के अन्दर रहता है। २६ जिलों के अन्दर पूरे जोधपुर डिविज़न के ७ जिले, बीकानेर के ३ जिले और अजमेर डिविज़न के ६ जिले और अगर मैं यों भी कहूं कि अलवर और भरतपुर भी रेगिस्तान से एफेक्टेड हैं तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि इसके बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो रेगिस्तान क्षेत्र आगरा तक पहुँच चुका है बल्कि कानपुर तक पहुँचने की व्यवस्था कर रहा है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह है कि आहिस्ता-आहिस्ता यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है और इसके ऊपर रुकावट होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की मदद से इसको रोकने के लिए कई तरह की व्यवस्था की। कई तरह के विचार किए गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने एस्टीमेट्स दिये हैं उसके अनुसार भी गवर्नमेंट ध्यान दे तो जंगलात की उन्नति हो सकती है लेकिन वह रेगिस्तान के बाहर। रेगिस्तान के अन्दर जंगलों की जरूरत है इसमें दो राय नहीं हैं। राजस्थान सरकार मानती है और भारत सरकार भी मानती है और इसको अच्छी तरह से मान लिया है कि जब तक रेगिस्तान के अन्दर वन की उन्नति न होगी तब तक दो कमियां रहेंगी एक तो वर्षा की और पानी की कमी रहेगी और उसके कारण फूड प्रोडक्शन में कमी रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं सही आंकड़े दूं तो स्पष्ट है कि करीब १ करोड़ ७ लाख जनता के अन्दर राजस्थान के अन्दर १ करोड़ आदमी रेगिस्तान में बसते हैं और ३।। करोड़ पशुओं में से करीब २ करोड़, ८० लाख रेगिस्तान में हैं। अगर रेगिस्तान को एक तरफ छोड़ दें और जंगल का डेवलपमेंट उसी हिस्से में करें तो यह स्पष्ट है कि राजस्थान के अन्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं यह कहूं तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी कि जहां ऑलरेडी जंगल थे वहां जंगलों का डेवलपमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। वास्तव में जहां जंगल नहीं हैं वहां डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल है यहां पर वनों का डेवलपमेन्ट करना वन विभाग का पहला कर्त्तव्य है और उसके ऊपर वन विभाग का ध्यान बिल्कुल नहीं है। साथ ही मैं यह कहूं तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी कि आज भी वन विभाग के पास कोई प्रोग्राम नहीं है ठीक है नर्सरी में दो पेड़ लगाने या जैसलमेर में हवाई जहाज से बीज डालने का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। प्लान्ड प्रोग्राम रेगिस्तान को रोकने के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं लोकस्ट की जिस समय बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं। हिन्दुस्तान की फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए प्रोग्राम होता है उससे बहुत सी खेती नष्ट होने से बचती है, तो इस तरह का कोई प्रोग्राम होता। और मैं कहूं कि वन विभाग के पास रेगिस्तान को बचाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। वन विभाग का प्रोग्राम है कि कुछ पेड़ होते हैं, जो जंगल की प्रोडक्शन होती है जैसे कोटा डिविज़न में या कहीं पर उदयपुर डिविज़न

(श्री मोतीलाल)

में, वहां पर पेड़ काटना और बेचना, वह वन विभाग का प्रोग्राम नहीं कहा जा सकता है । वह तो एक कॉमर्शियल प्रोग्राम है कि प्रोडक्शन कितना होता है और कितना बेचना है । वह बना हुआ दृष्टिकोण है । वह तो नेचुरली पैदा होगा । उसके अन्दर कोई खास प्रोड्क्शन का वन विभाग का कोई प्रोग्राम नहीं है । उसको मैं कोई प्रोग्राम नहीं मानता हूं । आज के दिनों में प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से वन विभाग का प्रोग्राम जो है वह बिल्कुल इस तरह का होना चाहिये कि देश को, स्टेट को रेगिस्तान से बचा कर या गर्मी से बचा कर, उसको अच्छी जगह करें ।

माननीय सदस्य जो मसूदा से आये थे उन्होंने कहा कि विभिन्न विदेशों के अन्दर अलग अलग स्थानों के अन्दर किस प्रकार, से काम होता है । अमेरिका का उदाहरण दिया कि रेगिस्तान से बचाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम किये गये हैं । वह वास्तविक है । वहां के रेगिस्तान को देखते हैं तो राजस्थान का रेगिस्तान कुछ नहीं है । अगर हम देखें तो केलिफोर्निया का रेगिस्तान, कन्साज़ और टेक्साज़ के रेगिस्तानों के मुकाबले में राजस्थान का रेगिस्तान चार आना नहीं है । लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, उसके बाद में भी कोई प्रोग्राम नहीं होता है । १२ साल से नेशनल गवर्नमेंट होने के बाद में भी कोई प्रोग्राम नहीं होता है । वास्तव में डेज़र्ट से बचने के लिए यानि उस इलाके को बचाने के लिए, राजस्थान को बचाने के लिये, देश को बचाने के लिये वन विभाग के पास में कोई प्रोग्राग नहीं है । इसलिये मैं मंत्री महोदय का आपके द्वारा और हाउस के द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रेगिस्तान को रोकने के लिए प्रोग्राम बनाया जाय । उस प्रोगाम के लिये मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जितना खर्च करेगी जनता उसका आधा भार लेने को तैयार है । कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां वन लगाने का प्रोग्राम हो और वहां पर श्रमदान की जरूरत हो, पानी की जरूरत हो तो कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो कि रेगिस्तान के अन्दर है वह काम ग्रहण करने को तैयार नहीं हो । लेकिन कोई भी प्रोग्राम नहीं है । अगर प्रोग्राम होता तो जैसे ब्लॉक का प्रोग्राम है वहां पर करीब २३२ पंचायत समितियों में एक भी वन विभाग का आदमी नहीं है, पंचायत समितियों में फोरेस्ट एक्सटेंशन ऑफिसर नहीं है । उनके पास एक दृष्टिकोण नहीं है और काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं उसकी सूचना भी नहीं है । अगर सूचना होती तो माननीय उपाध्यक्ष, कोई रास्ता निकलता । सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आज भी रेगिस्तान के अन्दर जो पंचायत समितियां हैं उन पंचायत समितियों के साथ में हर पंचायत समिति के अन्दर एक फोरेस्ट एक्सटेन्शन ऑफिसर कायम किया जाय तो ठीक रहेगा । वह ऑफिसर इतना ही काम करेगा कि किस तरह से वन लगाना चाहिये—ग्राम पंचायत की गोचर भूमि में, नाडी और पायताने में पेड़ लगाना है तो उसका किस तरह से काम करना है । इतना ही बता दें तो पंचायत समितियां काम करने को तैयार हैं और जितना खर्च सरकार का होना चाहिये वह उतने का उतना ही होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, हमारे यहां इस सम्बन्ध में वन महोत्सव का कुछ प्रोग्राम पिछले

(श्री मोतीलाल)

दिनों होता था और मेरे ख्याल से इस साल भी होगा। वन महोत्सव के आंकड़ों को सही रूप से देखें, माननीय उपाध्यक्ष, विभाग के मंत्री और अधिकारी सही रूप से देखें तो वे आंकड़े सही नहीं मिलेंगे। वह मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि जिले के अधिकारी को वन महोत्सव में प्रोग्राम प्राइज़ दिया गया है लेकिन देखें कि पेड़ कितने लगाये, तो ज़ीरो। ऐसी स्थिति आंकड़ों की मिलती है। उसकी जिम्मेदारी के लिए वन विभाग को कहते हैं तो वे कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। इसकी जिम्मेदारी को अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन पर डालते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम नहीं था। हम से तो कहा गया था कि कर दो, हमने कर दिया। वन महोत्सव की जिम्मेदारी लेने वाला कोई महकमा नहीं है। इसके अलावा किसी का प्रोग्राम है तो कितने पेड़ लगाये, इसकी कोई फिगर्स नहीं हैं। अगर फिगर्स हैं तो कोरे कागजों पर हैं लेकिन एक्चुअली पेड़ नहीं मिलेंगे जहां पर कि वन महोत्सव के दृष्टिकोण से प्रोग्राम किया गया था और उसके मुताबिक पेड़ लगाये गये हों। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कटौती प्रस्ताव की मांग करते हुए कि कम से कम उन ब्लॉकों में जहां जहां कि रेगिस्तान है जो कि राजस्थान का १।३ हिस्सा है उस इलाके के अन्दर हर एक पंचायत समिति के साथ में उसका छोटे से छोटा जो अधिकारी हो उसको फोरेस्ट एक्सटेन्शन ऑफिसर लगाया जाय। अगर इतना नहीं कर सकें तो इतना ही कर दिया जाय कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर है तो हर ब्लॉक के एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर को १५,२० दिनों की ट्रेनिंग दें-किस तरह से वन लगाना चाहिये, किस तरह का बीज लगाना चाहिये, किस तरह से वह डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग दें। ग्राम सेवकों को वन की ट्रेनिंग दें तो मैं मान सकता हूं कि कुछ प्रोग्राम वन विभाग के पास में है। वास्तविक प्रोग्राम कोई नहीं था वन विभाग के पास में इसलिए उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि ग्राम सेवकों को या एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर को ट्रेनिंग दें। उनको ६ महीने या साल भर की ट्रेनिंग देते कि किस तरह से काम करना चाहिए। इस तरह से रेगिस्तान में काम करने के लिए, रेगिस्तान में वन उगाने के लिए कोई प्रोग्राम होता तो मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग देते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम अगर उनके पास में रुपया नहीं हो तो छोड़ दें लेकिन पंचायत समितियों को डाइरेक्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए पंचायत समितियों को इस तरह के उदाहरण दें कि किस तरह से पेड़ लगाना है, कौन सा बीज कहां पर मिल सकता है, कौन सा बीज मिलने के बाद कहां पर पैदा हो सकता है, प्रबन्ध करें।

इसके अलावा वन का एक भाग घास भी है। घास के डेवलपमेंट के लिए वन विभाग में देखते हैं कि कोई रोटेशन ऑफ ग्रेजिंग की व्यवस्था है तो वह कहां मिलेगी जहां कि घास की समस्या नहीं है। उदाहरण के रूप में कोटा में, सिरोही में, रोटेशन ग्रेजिंग के लिए जमीन घेरी गई है जहां कि विषम समस्या नहीं है। अगर मैं यह कहूं कि समस्या कहां है तो वह है जहां पर कि

(श्री मोतीलाल)

पशु-धन उन्नत अवस्था में है। पशु-धन उन्नत मिलेगा तो बाड़मेर में, जोधपुर में, नागोर में और शेखावाटी में मिलेगा। वहां पर रोटेशन आॅफ ग्रेजिंग का कोई प्रोग्राम हो जहां का, राजस्थान में ही नहीं, वहां का पशुधन सारे हिन्दुस्तान में प्रमुख है, जहां की भेड़ें और बैल सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हैं वहां के लिए ग्रेजिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। उन पशुओं के लिए जहां कि हर साल अकाल पड़ता है और फोडर का प्रोब्लम होता है, जहां कि अकाल पड़ता है रेग्युलरली हर दो साल में अकाल पड़ता है और फूड और फोडर की प्रोब्लम होती है वहां पर उस प्रोब्लम से बचने के लिए वन विभाग का कोई प्रोग्राम नहीं है। उस इलाके में जहां कि वास्तविक रुप से अकाल पड़ता है और उसके कारण किस तरह की स्थिति होती है वहां पर किस तरह का ग्रेजिंग करें, यह बात नहीं है कि वहां पर भूमि नहीं हो, वहां पर भूमि बहुत अधिक होती है, यह कोई प्रोग्राम नहीं है उन इलाकों में भूमि कम है, भरतपुर और अलवर में वनों पर कोई ग्रेजिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, वहां पशुधन की ऐसी कोई समस्या नहीं है; वहां के लिए करते हैं और जहां पर इसकी समस्या है वहां पर नहीं होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रेजिंग फील्ड की कोई व्यवस्था रेगिस्तान की दृष्टि से देखते हुए वे करेंगे। वन विभाग की यह ड्युटी है कि वह हर पंचायत को अपनी अपनी गोचर भूमि को उन्नत करने के लिए, कौन से बीज काम में लाने चाहिएं, किस तरह से काम में लाने चाहिए, इसकी जानकारी दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पंचायत समितियां तैयार हैं अपने अपने यहां की गोचर भूमि, नाडी, पायताने में वन लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको डाइरेक्शन मिलने चाहिए और जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन से पेड़ लगाने से जल्दी हो सकते हैं और कौन सी जगह लगाने से जल्दी ही गोचर भूमि की उन्नति हो सकती है। ऐसी व्यवस्था हम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का खर्च नहीं होगा और सरकार के वन विभाग के डाइरेक्शन देने पर पंचायत समितियां उस काम को उठा लेंगी।

लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि रेगिस्तान से बचने के लिए हिन्दुस्तान को और राजस्थान को बचाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम करें और विशेष आॅफिसर उस काम के लिए नियुक्त करें और जितने विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर एक निर्णय लें। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार के पास फण्ड्स नहीं हैं लेकिन इस प्रकार के एमर्जेन्सी केसेज़ में हिन्दुस्तान की कोई भी गवर्नमेंट से मांग करे जैसे कि टिड्डियों से बचने के लिए हर गवर्नमेंट कन्ट्रीब्यूट करती है—सारी सरकारों से रुपया एक फण्ड में आता है

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उसी प्रकार से अगर यह व्यवस्था करेंगे तो राजस्थान सरकार को दूसरी गवर्नमेंट भी कम से कम यू. पी. और दिल्ली, जिनके सामने रेगिस्तान की समस्या है वह उससे बचने के लिए सहयोग करेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद

(श्री मोतीलाल)

में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा जो दूसरा कट मोशन है वह वन कटाई के बारे में है । उसमें मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : अभी दूसरा बाकी रह गया ?

श्री मोतीलाल : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से सदस्य जो कोटा से, झालावाड़ से और मसूदा से आये हैं उन्होंने बड़े विस्तार से इस बारे में कहा है, मैं उन्हीं की बातों का अनुमोदन करूंगा । एस्टीमेट कमेटी ने वन कटाई के सम्बन्ध में कुछ कहा है उसके बारे में ध्यान रखें । जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करें । लेकिन साथ ही साथ इतना और कहूंगा कि अब तक जो वन कटाने का प्रोग्राम है वह सरकारी वन के बारे में है । जो प्राइवेट वन हैं या जो काश्तकारों के खेत में हैं उनके बारे में कोई रुकावट नहीं है । कानून जरूर बना लिये हैं कि हरी लकड़ी नहीं काटी जाय लेकिन हरी लकड़ी काफी मात्रा में काटी जाती है । जयपुर से जोधपुर तक जो रेल्वे लाइन है उस पर कोई स्टेशन ऐसा नहीं है जहां से हरी लकड़ी कट कर बुक नहीं होती हो । उनकी शिकायत होती है, लेकिन फोरेस्ट वाले उस पर ध्यान नहीं देते । वे लोग कहते हैं कि कानून के बाहर है । मैं वन विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो जंगले प्राइवेट हैं उन पर भी कंट्रोल करें ताकि बढ़ते हुए रेगिस्तान को बचाया जा सके । इसके लिये रूल्स बनावें या कानून लावें असेम्बली में और उनको रोकने की कोशिश करें । मैं मंत्रीजी से यह भी उम्मीद करूंगा कि वे राजस्थान को बचावें, यहां के आदमियों को बचाने के लिये जंगलों की रक्षा करें और रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने में योग दें और जो प्रोग्राम हो उसको पंचायत समितियों के द्वारा कार्यान्वित करावें ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : भाषा और व्यवहार पर संयम रहेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं उदयपुर डिविज़न के जंगलों के विषय में श्री देवीलालजी के कट मोशन का समर्थन करता हूं । मैं बहस सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता हूं कि हमारे उदयपुर डिविज़न में....

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं कि आप किस कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : जो कटौती प्रस्ताव श्री देवीलाल ने रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह कौन सा है ? सदन के सामने रखिये ।

श्री हरिप्रसाद यादव : जो वन विभाग राजस्थान के लिये समस्या है उस पर बहस करना चाहता हूं । उनका कटौती प्रस्ताव ३६ नम्बर पर है । इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं । हमारा उदयपुर डिविज़न, मेवाड़ की वीर भूमि, पहाड़ी इलाका है जहां पर काफी बड़े पेड़, पौधों का यहां विस्तार है । हमारे राजस्थान के जंगलात विभाग की यह तारीफ रही है कि चाहे लाखों-करोड़ों रुपयों की वनस्पति हो उसको बर्बाद

(श्री हरिप्रसाद यादव)

करने में उनका हिस्सा पहला रहा है । तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सुझाव दूँ कि इन जंगलात के जंगलों का ठेका फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे रखा है, जंगल के जंगल ठेके पर देकर उनका डिमार्केशन बाउन्डरी अच्छी तरह से कायम नहीं करते है । इसके अलावा भी वे अपने डिमार्केशन के बाद वहां पर फोरेस्ट गार्ड नाम के व्यक्ति को रखते हैं । इस फोरेस्ट गार्ड नाम के व्यक्ति को दो, चार या दस रुपये देकर या उसको और कुछ दे-दिला कर लाखों रुपयों की सम्पत्ति जंगल की जिनमें आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाइयें भी शामिल होती हैं उनको कटवा दिया जाता है ।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ जंगलात के ठेकेदार हैं और दूसरी तरफ सहकारी समितियां हैं । सहकारी समितियों में वे मजदूर आते हैं, पहाड़ी इलाकों के अभागे मजदूर जिनके लिये मैं उदाहरण पेश करूंगा कि जब मेवाड़ गवर्नमेन्ट थी तब आदिवासी लोग इन जंगलों से लकड़ी काट कर सिर पर गट्ठर रख कर बेचने जाते थे और अपनी गुजर-बसर करते थे । उन आदिवासियों ने, पिछड़ी जातियों ने सहकारी समितियां बना कर ठेका लेना शुरू किया था लेकिन जंगलात विभाग की ओर से उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है । मैं वन विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मजदूर आदिवासियों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको प्राथमिकता दी जाय ।

दूसरी बात, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जंगलात का जहां सवाल है पहाड़ी इलाके के लोगों के रोटी रोजगार का सवाल है । मेरे क्षेत्र में जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं उनके आसपास के जंगलों को रिज़र्व फोरेस्ट के नाम से अधिकारी लोग पुकारते हैं । जहां पर यह रिज़र्व फोरेस्ट को बीमारी है वहां वे लोग अपने घरों में रहते हैं उनके सामने ५-१० गज के फासले से रिज़र्व फोरेस्ट का डिमार्केशन लगा दिया गया है । एक किसान के पास बैल, गायें, भैंसें, बकरियें वगैरह होती हैं । वे अगर जंगल से उनके लिये कुछ लाते हैं तो उनको जलील किया जाता है । इन पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये इस सदन ने यह फैसला किया है कि इन हरिजनों, आदिवासियों का सुधार करना है । इस बारे में हमारी सरकार ने काफी प्रगति इन १०-१२ वर्षों में की है । इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन जंगलात मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पिछड़ी जाति के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जंगलों का सुधार करें ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आज तो बहुत अच्छा बोले ।

श्री उपाध्यक्ष : आप शाबाशी मत दीजिये, वर्ना आगे वे कुछ और बोलेंगे ।

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्यों द्वारा कल से जंगलात की डिमान्ड पर बहुत से अपने कट मोशन्स के जरिये इस विभाग की भिन्न २ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । इसमें कोई शक नहीं कि जितना भी वाद-विवाद हुआ उसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं । कुछ के बारे में हो सकता है कि जानकारी के अभाव की वजह

(श्री सम्पतराम)

से सही बातें सामने न आई हों, लेकिन कुल मिलाकर जितना भी वाद-विवाद हुआ वह अच्छा हुआ। कुछ सुझाव हैं, कुछ महकमे में सुधार करने की तरफ संकेत किये गये हैं, कुछ जंगल के विकास की तरफ भी संकेत किये गये हैं। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि देश में या प्रान्त में जंगल की समाज के लिये क्या उपयोगिता है। प्रत्येक इन्सान इस बात को जानता है। लेकिन जंगल जंगल ही है। उसकी अपनी खुद की समस्याएं हैं और क्योंकि समाज का जंगल से ताल्लुक रहता है इसलिये एक की शिकायत दूसरे के प्रति होना स्वाभाविक बात है।

इसमें आम तौर से कुछ उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर और कुछ दूसरे जिलों में आम तौर से जंगलात की समस्याएं हैं। इन्डिविजुअल तौर पर माननीय सदस्यों ने जो जो बातें अपने इलाकों के अनुभव के आधार पर रखी हैं उन पर चर्चा करने से पहले कुछ मूल भूत बातें जो सदन में कही गई हैं उन पर संकेत करूंगा।

जब हम राजस्थान के जंगल को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि हमारे यहां के जंगल दूसरे देशों के मुकाबले में; क्या हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में भी बहुत कम हैं। जंगल में जो जो चीजें मिलती हैं उनकी समाज को आवश्यकता है जिनको पूरा करना जरूरी है। टिम्बर, जलाने की लकड़ी आदि की जरूरत पड़ती है। किसान को अपने काम के लिये लकड़ी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं जिनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप में जंगल की जरूरत पड़ती है और खेती के लिये भी जंगल की आवश्यकता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में देखें तो करीब १६॥ हज़ार स्क्वायर माइल का एरिया जंगल में आता है जो सारे एरिया का ११ प्रतिशत है। सारे एरिया में, सारे क्षेत्रफल में से ऐसी बात नहीं है कि जो सारा का सारा एरिया जंगल में है उसमें लकड़ी निकले, जो बहुत बढ़िया हो। कुछ पहाड़ियां होती हैं, छोटी-मोटी पहाड़ियों में कोई खूबी नज़र नहीं आती है। कुछ जंगल ऐसे हैं जहां की लकड़ी अच्छी है, आबहवा अच्छी है, जो विकसित जंगल के रूप में नज़र आते हैं। तो सारे जंगल में, साढ़े सोलह हज़ार वर्ग मील का जंगल इस दायरे में आता है। उसमें से साढ़े पांच हज़ार स्क्वायर मील का इस प्रकार जंगल है जिसमें से लकड़ी ले सकते हैं, उसमें अच्छा स्टॉक है, फायर वुड है, टिम्बर वुड का भी स्टॉक है। इस साढ़े पांच हज़ार स्क्वायर मील के एरिया को हमें अपने यहां इस्तेमाल करना है। उसके फेलिंग के लिए भी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया था। उसूल यह है कि कोई जंगल जो आज कटा है वह साधारण अवस्था में ४० साल के बाद परिपक्व अवस्था में आता है। उसके बाद यह स्टेज भी आती है कि प्राकृतिक कारणों से स्वत: दरख्तों में कुछ गिरावट आने लगती है। उस वक्त मौजूद वक्त होता है कि जंगल विभाग उस जंगल को खत्म करके दूसरी तरह के पेड़ों का निवेदन करे। अब हिसाब लगायें और ४० साल के हिसाब से देखें तो १३७, एक सो साढ़े सैंतीस स्क्वायर मील के एरिया, जिसका मतलब होता है, ८८ हजार एकड़ के एरिया में से सालाना

(श्री सम्पतराम)

कितना प्रोडक्ट दे सकते हैं और इसके अन्दर एवरेज प्रोडक्शन, फोरेस्ट प्रोडक्ट साढ़े चार सौ क्यूबिक फीट लगायें और एक मन में तीन क्यूबिक फीट अर्थात् १५० मन प्रति एकड़ प्रोड्युस होती है। इसका मतलब होता है कि १.३२ लाख मन लकड़ी राजस्थान में मिलनी चाहिए कायदे से। अब इसके विपरीत स्थिति यह है कि इतनी नियमानुसार अपने प्लान के मुताबिक मिलनी चाहिए, उसकी तुलना में हमारे यहां लकड़ी ज्यादा होती है। वह ज्यादा होती इसलिए है कि हमने परमिट कर रखा है। कोई गाड़ो वाला लाता है, कोई साइकिल पर रख कर ले आता है, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर भी लाते हैं और कोआॅपरेटिव सोसाइटोज़ भी काम करती हैं। विभिन्न जरियों से जो खास तौर से जंगल से लकड़ी निकली, जो विभिन्न प्रकार से काम में आती है उसका माप दें तो, १,६३,३००,००० मन के करीब लकड़ी आती है। इसका मतलब है कि ३१.३० हजार मन लकड़ी का इलफेलिंग होता है। कुछ लोग जंगलों में जाते हैं, वे कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं, लकड़ी काट देते हैं। तो इतना इल–फेलिंग होता है। इन आंकड़ों को देने के बाद मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की सारी पोपुलेशन को देखते हुए, अगर १९५१ की पोपुलेशन को बेसिस मानें और वन पर्सेन्ट या निअर अबाउट इन्क्रीज़ मानें और एक फेमिली में पांच मेम्बर हों, तीन एडल्ट, दो छोटे, और चार सेर लकड़ी का एवरेज पर-फेमिली लगायें तो सारा हिसाब–किताब करने पर १२,०६,४६,४०० मन लकड़ो की जरूरत हमको होती है। तो ये आंकड़े देकर सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सब होने के बावजूद यह कह सकते हैं कि व्यवस्था को और ठीक किया जाय। हो सकता है कि इससे एक आध पर्सेन्ट बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिला कर जो राज्य को आवश्यकता है उसका १५ पर्सेन्ट, १६ पर्सेन्ट हम पूरा कर सकते हैं। अब बाकी आवश्यकता रहती है उसको दूसरे जरियों से पूरा करना होता है। चाहे गोबर के जरिये करें, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो वेस्ट होता है उसके जरिये करें या खेतों में जो लकड़ी पैदा होती है उसके जरिये करें। यह बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि यह आप अन्दाज लगा सकें कि फोरेस्ट की हालत आज हमारे सूबे में क्या है? कितना फोरेस्ट होने से कितना प्रोड्यूस बढ़ सकता है, कितना डेवलपमेंट होने वाला है?

इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जंगलात में बहुत से ट्रेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो खेती के काबिल हैं, जिनको रिलीज़ कर देना चाहिए ताकि उन पर खेती हो और मुल्क की पैदावार बढ़ सके। यह बात निर्विवाद सत्य है कि एक तरफ खेती की पैदावार की तरफ ध्यान देकर दूसरी तरफ जंगलात की तरफ से नजर मोड़ देना ज्ञान की अनभिज्ञता की तरफ संकेत करता है। अगर जंगलात का सीधे रूप से लाभ देखना चाहें तो सीधा लाभ इतना नहीं है, लेकिन कुल मिला कर जंगलात के अन्दर समाज के जीवन को नीचा और ऊंचा उठाने की कितनी शक्ति है उसकी ओर निश्चित तौर से देखना होगा, जमीन के कटाव को रोकने, मोइश्चर को रोकने की शक्ति जंगलात में होती है और इसकी वजह से बारिश भी ज्यादा होती है। इसके

(श्री सम्पतराम)

साथ ही खेती की भी आवश्यकता है इस आवश्यकता को महसूस करते हुए आपने जो बात कही उस पर विचार करना नावाजिब नहीं समझता। उस पर विचार करना चाहिए। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत दिलाया कि जितनी काश्त की जमीन है उसको इन्क्रीज़ कर दें। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्युस, जंगलात की पैदावार केवल पत्थरों और चट्टानों पर नहो हुआ करती है। पत्थरों और चट्टानों पर कुछ प्राकृतिक और चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि क्लाइमेटिक कन्डीशन्स जहां अच्छी होती हैं वहां पर पेड़ उतना ही खूबसूरत होता है, उतना ही बड़ा उसका डाइमेन्शन होता है। आप कहें कि छोटी—मोटी पहाड़ियों पर इन जंगलों को रख लें और बाकी एरिया को एक्सक्लुड कर दें तो यह असम्भव बात है। जंगल चाहता है एक ढंग की सुन्दर जमीन हो, उसको पानी मिले, इसके साथ ही आबहवा ठीक हो। जंगल वगैर जमीन के हो नहीं सकते। माननीय सदस्य ने जो संकेत किया है, यह बात राजस्थान सरकार के सामने इस सदन में ही नहीं, बाहर भी पहले आती रही है। इसी पर विचार करके इसके लिए एक कमेटी कायम की थी जिसके जंगल विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर मेम्बर हैं, चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट, राजस्व मंडल के चेयरमैन, सैटलमेंट कमिश्नर, कोटा के कमिश्नर, बीकानेर के कमिश्नर सदस्य थे। उस कमेटी ने विधान सभा के सदस्यों और एम. पीज़. से सम्बन्ध स्थापित किया और राज्य की विभिन्न अवस्थाओं को देखने के पश्चात् रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की है। उस रिपोर्ट में सारी बातें हैं कि चराई के बारे में क्या दर हो, क्या क्या व्यवस्था हो ?

यह बात भी आई थी कि बाउन्डरी इधर—उधर हो गई है। मैं निवेदन करूं कि बाउन्डरी अभी फाइनल नहीं हुई हैं, वे एडहॉक बेसिस पर हुई थीं। डिस्ट्रिक्ट भी ठीक तरह से बने हुए नहीं हैं। उसका भी विचार हुआ है। साइन्टिफिक तरीके से और वैल प्लान्ड-वे में इसको किया जाय, यह ठीक है। एक कानून १९५३ में इस सम्बन्ध में बनाया, उसके बाद कदम बढ़ाया। अब किस प्रकार फोरेस्ट्स का विकास करें, किस तरह के कूप्स बनायें, किस तरह फोरेस्ट प्रोवाइड करें जिससे उनका विकास कर सकते हैं, क्या क्या साधन करें, इस सब के बारे में कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है। मेरा ख्याल है कि १०,१५ दिन के बाद माननीय सदस्यों के सामने जो निर्णय होंगे, वे सब के सब आ जायेंगे। इसके साथ ही मैं एक बात की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह सब का सब काम जो किया है कि कौन सी जमीन जंगलात से छूटनी चाहिए, कौनसी जमीन जंगलात में आनी चाहिए, कहां पर प्लान्टेशन हो और जो अलाइड समस्यायें हैं उन पर विचार करने के लिए हमने नॉन ऑफिशियल्स को भी, आम पब्लिक को, संस्थाओं को, पंचायत, जिला परिषद् और जिला समितियों को प्रतिनिधित्व देकर, उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं की अहमियत को देख कर कुछ कन्सीडरेशन किया है। यह थोड़े दिनों के बाद आपके सामने आ जायेगा। इस सम्बन्ध में यह थोड़ी बात मैंने आपके सामने अर्ज की।

कल एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया

(श्री सम्पतराम)

था कि जंगलात के बारे में इतना बजट आपने दिया, इतना खर्च कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। खैर, आंकड़े बहुत हैं, उनमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जंगलात की आमदनी १९५१-५२ में ७.१७ लाख थी। वह चल कर १९५८-५९ में ३१.५१ लाख हो गई। इससे यह साफ जाहिर है कि काफी लाभ इन दिनों में हुआ; यह मैनेजमेंट की ओर से हो सकता है, दूसरी तरफ से हो सकता है। लेकिन जैसा कि कल कहा जा रहा था कि इतना खर्चा बड़ा है, उसका कारण यह है कि जो प्लान का अमाउन्ट है वह भी इसमें है। अब जो प्लान एक्सपेन्डीचर है उसका रिज़ल्ट आज ही आप देखना चाहें तो वह नहीं हो सकता। किसी नहर, केनाल का रिज़ल्ट आज हो जाय, यह असम्भव है। इसी तरह से ४० साल में एक जंगल बनता है तो फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट आज देख लें ? हमने प्लान शुरू किया ! प्लान का रुपया मिलता है १९५३-५४ में फोरेस्ट डिपार्टमेंट को। उसके बाद अफोरेस्टेशन किया नर्सरी कायम की, सब कुछ किया। इसका नतीजा आगे चल कर जो निश्चित समय है उसके बाद मिलेगा। इस सबके बावजूद भी आप देखेंगे कि लगातार इसमें विकास हुआ है। १९५३-५४ में १२ लाख, १९५४-५५ में १७ लाख, १९५५-५६ में ३० लाख और इसी तरह से १९५६-५७ में ३१ लाख, १९५७-५८ में ३८.३८। इस तरह से सरप्लस गेन हुआ। यह सारा का सारा मैंने अर्ज किया। इसके साथ ही साथ यह भी नहीं है कि फोरेस्ट बहुत पेइंग होना चाहिए, उसका हमें विकास करना चाहिए। आप एक्सपेन्डीचर के मुकाबले में देखेंगे कि फोरेस्ट का विकास नहीं कर सके हैं क्योंकि जो फोरेस्ट आज हम लगा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिये निश्चित प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो रुपया प्लान में रखा गया उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है ; ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्लान में रुपया रखा उसका सदुपयोग हो रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि फायर वुड और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लकड़ी को किस तरह बढ़ायें ! बहुत से माननीय सदस्यों ने संकेत किया कि पंचायत समितियों को विकास के काम दिये हैं तो जंगलात को बढ़ाना भी समाज सेवा का अभिन्न अंग है, वह भी पंचायत समितियों को देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए हमने करेंन्ट इयर में ६० हजार रुपया दिया है, कुछ रुपया हम और देंगे....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इस हिसाब से ६०० रुपया एक पंचायत समिति को मिलेगा।

श्री सम्पतराम : थर्ड फाइव इयर प्लान में भी हमने काफी अच्छी रकम इसके विकास के लिये रखी है। एक करोड़ रुपये का प्रोविज़न हमने किया है। इसका फिज़िकल टार्गेट ८ लाख एकड़ रखा है, इससे भी विकास आवश्यक है। इसका ठीक तरह से विकास करें पर इसमें मुझे डाउट है कि इसके लिये ठीक तरह से जमीनें मिल सकेंगी; जैसे अलवर, भरतपुर में फोरेस्ट डेवलप करने के लिये एरिया नहीं है। पर जो आम तौर से

(श्री सम्पतराम)

लकड़ी की दिक्कत की शिकायत आई वह उन इलाकों से आई जहां लकड़ी बहुत है, जंगल काफी हैं। एक माननीय सदस्य ने लकड़ी के अभाव में यहां तक कह दिया कि लकड़ी के अभाव में मुर्दे नहीं जलते हैं, इतना लकड़ी का अभाव है। तो मैं उन माननीय सदस्य से पूछूंगा कि रोहतक में मुर्दे कैसे जलते हैं, सीकर और झुंझुनूं में मुर्दे कैसे जलते हैं, वहां जंगल नहीं हैं ! तो इस चीज़ को इतनी अहमियत के साथ बढ़ा–चढ़ा कर रखना कि मुर्दे को जलाने के लिये लकड़ी नहीं है, यह ठीक नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : वह तो आदी हो गये हैं कि कम लकड़ी होती है तो कम लेते हैं और अधिक लकड़ी होती है तो अधिक लेते हैं।

श्री सम्पतराम : अब मैं जंगलों में दिये जाने वाले कन्सेशन्स के बारे में भी थोड़ा निवेदन करूंगा। चराई में, घास लाने में लकड़ी लाने में मकान, बनाने के लिये लकड़ी लाने में, वहां के लोगों को कन्सेन्सश हैं और वे कन्सेशन्स बहुत समय से हैं और उन कन्सेशन्स से वे लोग फायदा उठाते हैं। एक बात अर्ज कर दूं कि यदि किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं रखी जाय तो इससे जंगलों को बड़ी हानि होगी। वैसे लोग कन्सेशन्स से फायदा उठाते हैं। मैंने खुद ने कोटा में देखा है कि आसपास के जंगलों से लोग मन, डेढ़ मन लकड़ी सिर पर उठा कर लाते हैं। एक आदमी इस वजन को लेकर बीच में आकर ठहरता है और दूसरा आदमी उसके सामने जाकर ले आता है तो मन, डेढ़ मन लकड़ी एक आदमी कोटा के इर्द गिर्द के इलाकों से ले जाता है और इस तरह करीब पांच सौ, सात सौ मन से कम लकड़ी डेली नहीं आती।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि आदिवासियों को बड़ी दिक्कत होती है। पर हमने उनको फ्री ग्रेजिंग रखा है, मकान बनाने में कितनी बल्लियां दें, कितनी ईंधन दें पूरी शर्तें तो मुझे याद नहीं, पर काफी रिलीफ उनको दे रहे हैं।

इसके साथ की कोऑपरेटिव की तरफ ध्यान दिलाऊंगा....

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका भी स्पष्टीकरण कर दें कि जो पहाड़ी इलाका था वहां के लोगों की आबादी की जमीन तालाबों में चली गई तो उनको लकड़ी दी गई कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : इसका जंगलात से सम्बन्ध नहीं है। वह गवर्नमेंट की इन्डिपेन्डेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, जंगलात विभाग की कोई डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं।

हां, तो मैं कोऑपरेटिव्ज के सम्बन्ध में निवेदन करने जा रहा था। कोऑपरेटिव्ज के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह खुशी की बात है कि कोऑपरेटिव्ज को ज्यादा से ज्यादा उद्योग–धंधों में काम धंधों में आगे लाये और उनको प्रोत्साहन दें। ट्रान्सपोर्ट, इन्डस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर या दूसरे जो भी छोटे–मोटे उद्योग धंधे हैं उनमें हम कोऑपरेटिव्ज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे जंगलात विभाग अलग नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव मज़दूरों की बने, उसके पीछे

(श्री सम्पतराम)

कोई फाइनेन्शियर नहीं हो, सही मायने में कोऑपरेटिव बनायें तो आप कहें जितनी मदद मैं उनको दूंगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा सहकारी समितियों को मिल सके तो कॉन्ट्रैक्टर्स का सिस्टम है उसको हम अबोलिश कर दें, हम तो यह चाहते हैं। मैं फिगर्स के आधार पर निवेदन करूं :

५३-५४ में २ कोऑपरेटिव सोसाइटीज,		
५४-५५में १	,,	,,
५५-५६ में ४	,,	,,
५६-५७ में ११	,,	,,
५७-५८ में ४	,,	,,
५८-५९ में १४	,,	,,
५९-६० में २५	,,	,,

५७-५८ में ४ क्यों हुई, इसके पीछे कारण था। रूल्स उस समय बने थे जब कि रेवेन्यू का काफी लॉस होने की संभावना थी। रूल्स बनने के अभाव में कोऑपरेटिव्ज को नहीं मिला। पर जो सही मायने में कोऑपरेटिव्ज बनती हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। पर जो बोगस कोऑपरेटिव्ज हैं, मालदारों का जिनके पीछे हाथ हैं तो इस प्रकार की कोऑपरेटिव्ज को सरकार प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। कोऑपरेटिव सही तरीके से ठीक बनती हैं तो सरकार के जो भी महकमे हैं उनसे उनको प्रोत्साहन देने के लिये बात करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मंत्री महोदय कोऑपरेटिव विभाग पर यह एलीगेशन लगाते हैं कि जितनी कोऑपरेटिव्ज बनी हुई हैं वे अधिकांश बोगस हैं?

श्री सम्पतराम : मैं कोई एलीगेशन नहीं लगाता। मेरी जो सही फीलिंग थी, वह मैंने सदन के सामने रखी है कि मेरा ऐसा ख्याल होता है कि अधिकांश कोऑपरेटिव्ज बनती हैं, ट्रान्सपोर्ट में भी, मेरी ऐसी शंका है कि लेबर कोऑपरेटिव्ज नहीं होती। सही तरीके की कोऑपरेटिव्ज बनेंगी तो सरकार भी चाहेगी कि वे आगे बढ़ें और सरकार इस प्रकार की सही कोऑपरेटिव्ज को पूरी तरह प्रोत्साहन देगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.): मैं भी पूछना चाहूंगा कि....

उपाध्यक्ष : Order! Order!! नहीं, आप नहीं पूछेंगे, Order! Order!!

श्री हरिप्रसाद यादव : नहीं साहब मन्त्री महोदय ने फरमाया....

श्री उपाध्यक्ष : Order Order! Order Please!!

श्री हरिप्रसाद यादव : इस विषय में

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपके सम्बन्ध में इस आसन से कई बार व्यवस्थाएं दी गई हैं। मैं कोई कड़ा रुल इस समय नहीं लेना चाहता, पर आप सदन के डिकोरम को यथावत् रखें और सदन की प्रतिष्ठा को रखें।

श्री सम्पतराम : मेरा कोई एलीगेशन कोऑपरेटिव्ज के बारे में नहीं है। मैंने डेफिनिट

(श्री सम्पतराम)

एग्ज़ाम्पल नहीं दिया है कि अमुक कोऑपरेटिव बोगस है। मैंने तो यह कहा कि सही प्रकार की कोऑपरेटिव्ज बनें तो सरकार उनको पूरा प्रोत्साहन देने को तैयार है और उनसे ज्यादा बल मिलेगा। मेरी मंशा यह है।

२ म. प.

फोरेस्ट सैटलमेंट और बाउन्डरी के डिस्प्यूट के बारे में सवाल आया। ५५–५६ में हमने वैल अरेन्ज्ड तरीके से फोरेस्ट सैटमेंट का काम शुरू किया। उस समय १५ हजार बीघा जमीन फोरेस्ट के अन्दर में थी। १२०० स्क्वायर माइल की सैटलमेंट हो गई बाकी अन्सैटल्ड थी। इसके बाद फोरेस्ट का एरिया बढ़ा है। जागीर रिजम्पशन होने से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से बढ़ा और वह अब इस समय १६॥ या १७ हजार मील के करीब है। इसके बाद २६ हजार वर्ग मील का सैटलमेंट किया है और बाउन्डरी एडहॉक बेसिस पर बनाई है। अगर यह बाउन्डरी रेवेन्यू विभाग और पंचायत समितियों से मिल कर इस तरह ये बनाई जावेगी कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत या शिकायत न रहे तो मैं समझता हूं कि सब दिक्कत दूर हो जावेगी। पहले कई जगहों पर फैन्सिंग नहीं था तो इससे लोगों को आजादी थी और उनके जानवर आजादी से इधर–उधर चर सकते थे, मगर जब फैन्सिंग लगाया गया तो लोगों को वह अखरा और उनकी आजादी में भी बाधा हुई। आप जानते हैं कि जब किसी की बकरी वगैरह जो चरती थी आखिर उसमें रुकावट पैदा होती है तो उनको एक दफा वह चीज़ अखरेगी ही। अगर कोई जंगलात की पैदावार को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो विभाग का यह फर्ज होता है कि वह उसको प्रोटेक्ट करे। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी हो तो अवश्य उस कमी को दूर कराना चाहिये।

अब हमारे यहां पर रेगिस्तान में जंगल के विकास के संबन्ध में कुछ बातें कही गई। अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में अलग-अलग तरह की जमीन मिलेगी और अलग–अलग जगह अलग–अलग क्लाइमेटिक कन्डीशन्स आपको देखने में मिलेगी। आप देखेंगे कि कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पर १० इंच वर्षा होती है और कहीं उससे भी कम तो कहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है। कहीं पर जमीन की किस्म कुछ है तो कहीं कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं किस प्रकार की जमीन है तो कहीं किस प्रकार की, कहीं अच्छी है तो कहीं बुरी है। यह सब वहां की आबहवा पर निर्भर करती है। यह जोधपुर और बीकानेर में बढ़ते हुए डेज़र्ट को रोकने की जंगल विभाग की तरफ से योजना है। मैंने चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट से बात की और यह पता लगाया कि दूसरे देशों में इस संबन्ध में क्या हुआ है। मालूम ऐसा हुआ कि इस संबन्ध में अभी तक हम इज़राइल और सीरिया में ही कामयाब हुए हैं लेकिन वहां की क्लाइमेट अलग है। इसके अलावा यूनेस्को ने रिसर्च और सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट के लिये काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी संस्था और संगठन जो राजस्थान का नहीं, हिन्दुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है इसको रोकने के लिये बड़े बड़े एक्सपेरिमेन्ट

(श्री सम्पतराम)

कर रहे हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आए तो हम कोई टेन्टेटिव कदम उठावे। इसके अलावा बड़ी बड़ी योजनाओं को लेने के लिये आर्थिक साधन की भी आवश्यकता रहती है और हमारे आर्थिक साधन भी थोड़े हैं। जितना रुपया हमारे पास होगा उसके अनुसार ही हम काम कर पाएगे और यह कोई ऐसी बात नहीं कि सरकार डेज़र्ट के बारे में उदासीन हो। हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्लान रखा है और उसमें कई हज़ार एकड़ एरिया आपके डेज़र्ट में से लिया जावेगा और उसमें काम होगा।

अब मैं वन महोत्सव के बारे में कुछ बातें कही गई उनके संबन्ध में कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाये कि हम वन महोत्सव के समय पर जगह जगह पेड़ लगाते हैं उनकी गिनती जितने विभागों में उसका हिसाब रहता है उनमें अलग अलग आती है और इस कारण संख्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है। इसमें कुछ सत्यांश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिये इसमें गहराई से देखने की बात है कि जंगलात विभाग पेड़ पौधे पैदा करके टैक्निकल गाइडेन्स देता है और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी उसमें संबन्ध रहता है। फोरेस्ट के पास जो फिगर्स आते हैं वे हम देते हैं। लेकिन आइन्दा इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि गिनती में गड़बड़ न हो। इसलिये इसमें किसी को शील्ड देने की बात नहीं है। इसमें तो कोई भी संगठन हो वह आगे आकर काम कर सकता है। चाहे वह ग्राम पंचायत का संगठन हो चाहे जिला परिषद या कोई भी पब्लिक संगठन हो वह आगे आए और काम करे तो उनके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम करने की काफी अच्छी गुंजाइश है।

इसके अलावा अभी श्री मोतीलालजी ने कहा कि फोरेस्ट ऑफिसर होना चाहिये जो लोगों को टैकनिकल एडवाइज़ देता रहे। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। यह सोचना होगा कि गांवों में किस प्रकार टैक्निकल एडवाइज़ दी जावे। ग्रोइंग किस तरह होना चाहिये उसके बाद क्या होना चाहिये और किस तरह से उन पेड़ों को मेन्टेन करना चाहिये। इस तरह की टैक्निकल एडवाइज़ के लिये जिला परिषदों में कुछ टैक्निकल हैन्डस प्रोवाइड कर सकें।

इसके अलावा चम्बल रेविन्स की तरफ ध्यान दिलाया गया है। यह न केवल फोरेस्ट की है बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी है। यह कहा गया है कि इनको बुल डोज़र के जरिये क्यों न साफ कराया जाए मैं यह कहूंगा कि हमारे साधनों को भी देखना है। हमारे साधन बहुत सीमित हैं। राजस्थान बहुत लम्बा-चौड़ा है। हमें डेजर्ट में पानी चाहिये। सोइल इरोजन को रोकने के लिये फोरेस्ट चाहिये मगर हमारे पास जितने साधन है उतना ही खर्च कर सकते हैं। हमने धौलपुर में सन् ५५ में काम शुरू किया और ५ या ७ एकड़ में काम किया मगर गांव वालों में आपस में झगड़े होने लगे। राजाखेड़ा में १५ एकड़ में प्लान्टेशन का काम शुरू किया। आपने बताया कि अमलतास वगैरह मेडिसिनल ट्रीज लगाये जाने चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार मेडिसिन्स के पेड़ लगाना फोरेस्ट का काम नहीं है और इसके अलावा

(श्री सम्पतराम)

इस प्रकार के पेड़ लगा सकते हैं या नहीं, यह तो वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन पर निर्भर है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : लग सकते हैं।

श्री सम्पतराम : इसके अलावा जिस समय पेड़ लग जाता है तो उसके बाद तो वह खुद ब खुद बढ़ता ही चला जाता है और उसके बीज आसपास गिरते रहते हैं और वे आगे से आगे अपने आप मल्टीप्लाइ होते रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मेडिसिन्स के पेड़ भी लगाये जा सकते हैं और वे बढ़ सकते हैं, कई स्थानों पर लगे हैं।

श्री सम्पतराम : बीकानेर के बारे में कहा गया। वहां पर जमीन है उसमें से कुछ जमीन एनिमल हस्बेन्डरी के लिये दे दी गई है।

२०० एकड़ जमीन शीप एण्ड वूल के लिये दे दी गई है।

८०० एकड़ कैटल ब्रीडिंग और ग्रेजिंग के लिये दे दी है।

१० हज़ार के करीब एनिमल हस्बेन्डरी को ट्रान्सफर कर दी गई है।

इसके अलावा बीकानेर के नज़दीक जंगल है उसमें से लकड़ी का नाजायज़ तौर से ले जाने और पैसा लेने देने की बात हुई थी। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने यह जनरल बात कही है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप कोई निश्चित रूप से बतावें तो उसकी छानबीन करके सजा दी जा सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कोई निश्चित बात बतावें। उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, अन्यथा किसी का जैसे कोई इन्ट्रेस्ट क्लैश होता है तो कोई न कोई बुराई आ ही जाती है। आप स्पेसिफिक बात बतावें। यहां पर किसी को शिल्ड करने की जरूरत नहीं होगी। जंगल होते हैं वहां पर लकड़ी लोग काटते हैं। कोई जान कर काट कर ले जाते हैं।

दूसरी मोटी बात जो कही गई वह ग्रेजिंग फीस के बारे में और बहुत सी बातें बताई। वे सारी की सारी फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में आई और अगर कोई इन्डीविजुअल मामला रह गया हो तो आप मुझ से मिल लें और मैं उसकी जांच करने को कोशिश करूंगा।

जयहिन्द।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : थोड़ा आप गेम्स सेन्क्चुअरी के बारे में बता दें।

श्री सम्पतराम : शेरनी जो मारी गई वह मैन-हंटर होने की वजह से मारी गई।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपको डिपार्टमेंट ने गलत सूचना दी है।

श्री सम्पतराम : मेरे पास जो सूचना है वह यही है।

डॉ० बहादुरसिंह : डिपार्टमेंट ने आपको धोखा दिया है।

श्री सम्पतराम : उन्होंने लाइसेन्स की फीस जमा कराई, रुपया जमा हो गया।

डॉ० बहादुरसिंह : शेर मारने की इजाज़त है, शेरनी मारने की इजाजत नहीं है।

श्री सम्पतराम : यह हो सकता है कि गल्ती से यह मारी गई हो। शिकारी शेरनी को नहीं मारते। हो सकता है कि गल्ती से मारी गई हो। पहिचानने में गल्ती हो गई हो। शिकारी कभी शेरनी को नहीं मारते हैं। इसके अलावा हमारे राजा-महाराजाओं को जो कोवेनेन्ट हुए हैं वे गेम्स सेन्क्चुअरी में दिये हुए हैं।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : There is nothing mentioned in that and that is not the question. It is a question of shooting by unlimited members...

श्री सम्पतराम : कोवेनेन्ट में नहीं होंगे तो एग्रीमेंट में होंगे कि इस तरह का शूटिंग करते हैं और उनके फ्रेंड्स भी आते हैं तो वे भी एग्रीमेंट और कोवेनेन्ट के तहत हैं। आप बात कह रहे हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, उस वक्त आपने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। यदि वे इस अधिकार को अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं तो I shall be happy कि गेम सेन्क्चुअरी डेवलप हो। आम तौर से ये शिकायतें आती हैं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि केवल राजा-महाराजाओं को ही अधिकार है।

राजा श्री मानसिंह : If there is some sort of grievance which the Government can honour, at least the public should also be associated with it.

श्री सम्पतराम : Government does not think it proper. Only the Rulers should be allowed. यह सारा स्पष्टीकरण मैंने किया है और इसके अनुसार....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : क्या गेम सेन्क्चुअरी का रूल्स में प्रोविज़न है कि Rulers are allowed?

श्री उपाध्यक्ष : There are certain privileges which have been extended to the Rulers alone.

(विराम)

Dr. Bahadur Singh.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

२ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री:

(श्री उपाध्यक्ष)

भीमसेन ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लक्ष्मण हीरात ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री रामकरणसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरवलाल 'काला बादल' ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : I beg leave of the House to withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी और रावराजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions.

रावराजा श्री सरदारसिंह : I withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राव श्री नारायणसिंह।

(विराम)

श्री आबिदअली।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : I beg leave of the House to withdraw all my cut motions.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : I beg leave of the House to withdraw my two cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री रामचन्द्र, राव श्री नारायणसिंह (मसूदा), श्री आबिदअली ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

राव श्री नारायणसिंह : I withdraw my cut motions.

श्री आबिदअली : I withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री सम्पतराज जैन ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

राजा श्री मानसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव राजा मानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री गोकुलचन्द जाटव ।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री गोकुलचन्द जाटव व श्री मोतीलाल ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री मोतीलाल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८२,०६,०००) रु० की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(करतल–ध्वनि)

मांग संख्या २१–उद्योग व प्रदाय

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग व प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,५३,०००) तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[उपरोक्त मांग पर निम्नांकित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

Page No.66

डॉ० बहादुरसिंह :

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर स्थित बन्द पड़े उद्योगों पर बहस करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :

5. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the usefulness of grants-in-aid given to Khadi Board).

6. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the usefulness of subsidies given to Khadi and village Industries).

7. That the Demand No. XXI, Major Head 43-kIndustries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to give adequate incentives to the development of Small Scale Indestries in the State).

9. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and .Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to establish a Soda ash plant at Sambhar Lake).

10. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to start an Industrial Estate at Sambhar).

11. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to establish a small size Steel Plant in Jaipur).

14. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to arrange an Economical and Industrial Survey of Jaipur District).

15. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Spplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Department to check the improper use of iron and steel quota by the industrial concern holding Import licences for it).

राजराजा श्री सरदारसिंह :

८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (टोंक जिले में उद्योग के अभाव पर विचार करने हेतु)

श्री अनूपसिंह :

12. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Government to start small and large scale industries in District Barmer).

31. That the Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To

(श्री अनूपसिंह)

discuss the lack of new industries in the Barmer District).

डॉ० चन्द्रकला

१६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक बस्ती की योजना पर विचार करने हेतु)

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (कुटीर उद्योगों के विकास व विस्तार पर बहस करते हेतु)

१८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण उद्योग और कला के विकास पर बहस करने हेतु)

१६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (खादी तथा ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

२०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ट्रेनिंग स्कूलों की दुर्व्यवस्था पर विचार करने हेतु)

२१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

२२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग को दी जाने वाली सहायता पर विचार करने हेतु)

२३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १००) रु० की कटौती की जाय (गाड़िया लोहारों के कारखानों की दुर्व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

२८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के स्थानीय कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित तथा प्रोत्साहित करने पर बहस हेतु)

श्री शिवनाथसिंह

३०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोले जाने पर बहस करने हेतु)

श्री रामचन्द्र :

३२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में चर्म उद्योग के प्रचुर साधन होते हुए भी राज्य सरकार की इस उद्योग के विकास में उदासीनता है-पर वाद-विवाद करने हेतु)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस उद्योग और प्रदाय के

(डॉ० बहादुरसिंह)

सम्बन्ध में मेरा छोटा सा कटौती का प्रस्ताव है। वह इस सम्बन्ध में है कि धौलपुर में उद्योग बन्द पड़े हुए हैं जिस कारण उत्पादन पर असर पड़ता है और साथ ही साथ श्रमिकों पर भी असर पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, धौलपुर राज्य के समय उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक राजकीय नीति बनायी गई थी उस समय ग्लास फैक्ट्री, रेयन इन्डस्ट्रीज़ और दूसरे २ उद्योग चालू किये थे। पॉवर हाउस को भी तरक्की दी गई थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गये, चाहे उद्योगपतियों के कारण हों, चाहे स्टेट के, उन कारणों के कारण उन उद्योगों को बन्द कर देना पड़ा। महाराणा मैच जनरल मर्चेन्ट्स के नाम से इन्डस्ट्री थी उसके लिक्विडेट होने के बाद उसको बन्द कर देनी पड़ी। काफी बड़ी बिल्डिंग मौजूद है। उस मिल के नाम से काफी केमिकल्स लाये गये। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस ग्वालियर में है। मैच एण्ड जनरल मिल्स, बिड़ला का था। उसके किसी एजेन्ट के नाम से यह हुआ, नाम इसका मुझे याद नहीं है, उनके द्वारा पर्चेज़ कर लिया गया है। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका ग्वालियर में है। धौलपुर.... नाम मुझे याद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना बड़ा नाम है कि उसमें कहने में समय ज्यादा लगे तो उसको छोड़ दीजिये।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : मैं कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी दिक्कत है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय मन्त्री महोदय को ही समझाना था। या तो उस मिल को चालू करें या सारे सामान को हटा दिया जाय जिससे कि वहां पर दूसरी मिल चालू हो सके। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका राजस्थान में नहीं होने से इस पर राजस्थान सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है। यह बताया गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से बाहर भी रखा जा सकता है। लेकिन राजस्थान का कोटा आता है तो उस पर तो कन्ट्रोल करना चाहिये।

दूसरा उदयभान इन्डस्ट्रीज़ है, उसमें राजस्थान सरकार का शेयर है। इस मिल को कस्टम विभाग ने अटका रखा है ड्यूटीज़ के सम्बन्ध में और इसलिये यह मिल बन्द पड़ी हुई है और इसके बाद यह बताया गया है कि वे शायद हाईकोर्ट से राज्य सरकार के खिलाफ जीत चुके हैं और शायद अब आगे मिल प्रारम्भ करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का काफी पैसा है, कस्टम के ड्यूज़ काफी रहे हैं इसलिये मिल खोलने की कृपा कीजिये ताकि हमारी सरकार के भी शेयर्स हैं उन पर भी कन्ट्रोल कर नहीं पाते। हमें यह देखना चाहिये कि किन–किन कारणों से मिल बन्द पड़ी है मिल बन्द होने से लेबरर्स भी परेशान होते हैं। किसी मिल के अन्दर आइस फैक्ट्री थी धौलपुर में गर्मी के अन्दर आइस की कमी हो जाती है यदि ग्वालियर और आगरा से बराबर सप्लाई नहीं होती रहे तो बड़ी भारी समस्या आ जाती है। इस मिल में आइस फैक्ट्री थी। इसी प्रकार छोटे–छोटे ऑइल

(डॉ० बहादुरसिंह)

मिल हैं। यह सब उद्योग विभाग को पता है कि वे किस कारण से बन्द हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां हर १०, १२ ऑइल मिल हैं बीस, बाईस अन्य प्रकार के कारखाने हैं यदि आप यह भी मान लें एक एक कारखाने में दस, दस आदमी काम कर सकते हैं तो करीब एक हज़ार आदमियों को लेबर मिल सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग विभाग के कारण यह बन्द नहीं है। उद्योग विभाग से हमारी थोड़ी सी मांग है कि वहां विद्युत् की कमी है उसके लिये वह प्रबन्ध कर दे। इसके होने पर निश्चित तौर से वहां पर ये उद्योग बढ़ेंगे। माननीय मन्त्री महोदय ने बजट के दौरान में यह आश्वासन दिया था कि धौलपुर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम करने जा रहे हैं। इसके लिये हम बहुत आभारी हैं। यह धौलपुर पर बड़ी कृपा की आपने। जहां तक इस इन्डस्ट्रियल एस्टेट को कार्य रूप में परिणत करने का सवाल है मेरा निवेदन है कि यह धौलपुर में बेकारी को दूर करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं वे इस बारे में हमारे से ज्यादा उत्साहित हैं, जल्दी से जल्दी इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम हो और अधिक से अधिक काम चले। इससे जो वहां उद्योग-धन्धे हैं वे काफी पनप सकते हैं। इसी प्रकार से वहां पर एक कार्यालय ऐसा भी हो जो उद्योग–धन्धे का कन्ट्रोल करता रहे। जैसे आयर्न का कोटा दिया जाता है वह आगरे चला जाता है। वहां पर ब्लेक में बिकता है। इसलिये उन पर देखभाल करने के लिये फैक्ट्री इन्सपेक्टर आदि का कार्यालय वहां हो तो इस प्रकार इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये जो कोटा दिया जाता है उसकी देखभाल कर सकता है और हमारी फैक्ट्रीज़ किस प्रकार से चल रही हैं, किस किस प्रकार की परेशानी होती हैं और विभाग क्या क्या सुविधायें दे सकता है आदि सब बातों की सुविधा हो सकती है।

दूसरा, जहां तक विभाग के सुविधा देने की बात है मैं यह कह सकता हूं कि आगरा समीप होने के कारण जूतों का उद्योग वहां पनप सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : आगरा पर नाराजगी है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : ऐसी बात नहीं है। जूता उद्योग के बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस उद्योग में ४५ पर्सेन्ट का मुनाफा है। बहुत से लोग जो इस उद्योग को करते आये हैं वे छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने वालों से मेरा निवेदन यह है कि उनको तो आर्थिक नुकसान होगा ही और इसके साथ साथ धौलपुर में जो जूता उद्योग चल सकता है उसको भी हानि होगी।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : माननीय सदस्य कह रहे हैं, जो इस जूता उद्योग को करते थे वे छोड़ना चाहते हैं तो क्या माननीय सदस्य उसे अपनाना चाहते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपको बता देना चाहता हूं। जूता उद्योग के बारे में ऐसा है कि आगरा जूता उद्योग की बहुत बड़ी मंडी है और वह निकटत्तम जगह होने के कारण रॉ मेटीरियल मिल सकता है। धौलपुर में लेबर है, अगर उद्योग विभाग

(डा० बहादुरसिंह)

प्रोत्साहित करे। ग्रामोद्योग विभाग भी कर सकता है, इस तरह से उनकी सहायता से यह उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है।

दूसरा, उद्योग लोहे का है, चैन का उद्योग है। अभी अभी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ के लिये गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के अधिकारी आये थे। उन्होंने सलाह दी थी कि इस बात का प्रयत्न किया जाय कि धौलपुर में तार का उद्योग चले। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वायर को जो चीजें बनाने की हैं जिस तरह से आगरे के अन्दर फिरोजाबाद की कांच की चूड़ी मशहूर है, उसी प्रकार यदि धौलपुर का वायर उद्योग पनपता है तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है। इसके लिये आपके यहां से लोहे का कोटा दिया जाता है उसके सम्बन्ध में आप यह चैक रखें कि उससे कितना प्रोडक्शन होता है और कन्जम्पशन कितना होता है। इससे इसका जो ब्लेक मार्केट होता है उस पर कन्ट्रोल होगा। इससे विभाग थोड़ा सा सचेत रहेगा तो यह जो दिक्कत है वह भी दूर हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो वचन आपने दिया वह तो ६०-६१ में पूरा कर ही देंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आठ कट मोशन्स हैं, ५, ६, ७, ६, १०, ११, १४ और १५। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कट मोशन ५ और ६ के बारे में जो खादी और ग्रामोद्योग के बारे में है अपने विचार रखूंगा। खादी ग्रामोद्योग के बारे में जो ग्रान्ट-इन-एड देने के सम्बन्ध में है जो सब्सिडी दी जाती है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज़ को हम जो सहायता देते हैं वह एक तरह से एक फण्ड बना दिया है। हम जो ग्रान्टस-इन-एड देते हैं सब्सिडीज़ देते हैं वाकई उससे नेशनल इन्कम में लोंग टर्म में फायदा होता है या नहीं हम, इनडिस्क्रीमिनेटली ग्रान्ट-इन-एड और सब्सिडी देते हैं।

सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो सब्सिडी और ग्रान्टस दी जाती हैं उनका दुरूपयोग होता है। इसकी एक-दो मिसालें पेश करना चाहता हूं। एक तो दुरुपयोग इस तरह से होता है : वहां पर एक सिस्टम चलता है खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग में कि एक तो सूत पलटी करते हैं और दूसरा है वस्त्र स्वावलम्बन। कुछ जगहों की तो डिटेल मालूम है। सूत पलटी में क्या होता है ? यह हिसाब ऐसा है : इस हैड के अन्दर में कोई भी व्यक्ति लाकर कुछ सूत लेकर वहां पर दे देता है तो उसके ऊपर से उसको कपड़ा दिया जाता है तो यह जो सूत है उसमें उनको कमीशन मिलता है। लेबरर्स को जितने चार्जेज़ देते हैं उसका कमीशन उनको काट देते हैं, और दूसरा जो कपड़ा तैयार करके दिया तो कम कॉस्ट से दिया, उसका कुछ पर्सेन्टेज उसको मिलता है ! तो सूत पलटी के नाम से और कपड़ा तैयार करके दिया उसके नाम से फिक्टिशियस अकॉउन्ट रखा जाता है। और वह

(श्री पी० के० चौधरी)

अकॉउन्ट काफी जगह डवेलप हो गया है। बता दिया कि एक मन सूत काता हुआ है उस पर कितनी सब्सिडी दी गई और फिर कातने में जो सब्सिडी दी जाती है वह ले ली और बेच भी दिया। पर हकीकत में न तो सूत प्राप्त हुआ, और न कुछ। यह कागजी कार्यवाही करके गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वह हड़प लेते हैं।

दूसरी तरफ चलता है वस्त्र स्वावलम्बन, इसको भी कोई चैक नहीं करता है। इसमें ऐसा है कि कोई लाकर सूत कात कर दे देता है तो उसको कपड़ा बना कर दिया जाता है। अब कपड़ा बनाने में कन्सेशन रेट्स से वीवर को ज्यादा देना पड़ता है। वह चार्ज उसमें आ जाता है। दो-एक जगह की इस बारे में रिपोर्ट हुई और वहां का चैकिंग किया गया तो पता लगा। एक परिवार के नाम लिख लिये गये कि मिस्टर एक्स की फेमिली में पांच व्यक्ति हैं। उनमें इन्क्लूडिंग हसबैन्ड वाइफ चिल्डर्न, भले ही वह तीन महीने का हो, सबके नाम से एन्ट्री लिख ली। वस्त्र स्वावलम्बन के नाम से इतना सूत दिया और इतना कपड़ा बन गया तो सब्सिडी को इस प्रकार से सूत पलटी और फिक्टिशियस डील में पूरा कर लेते हैं।

अब सरकार ने यह सब्सिडी इस पर्पज़ के लिये दी कि वीवर और स्पिनर को फायदा मिले। उसको हायर वेजेज़ मिलें, ताकि खादी ग्रामोद्योग के ट्रेड को फायदा और प्रोत्साहन मिले। इस ख्याल से देती है। पर सूत पलटी और वस्त्र स्वावलम्बन के नाम पर फिक्टिशियस अकॉउन्ट में वे फायदा या तो खुद बांट लेते हैं या ग्राहकों को दे देते हैं। वीवर और स्पिनर की स्थिति वहां की वहां है।

सिर्फ इतना ही नहीं; आज खादी में एक रुपये में तीन आना कमीशन देते हैं और कभी कभी तो ६ आना भी दिया जाता है। आज से दो-तीन महीने पहले सिलसिला जारी हुआ था, छः आना भी कमीशन मिलता था। अब उसमें ऐसा होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये जो दूकानें लगा कर बैठे हैं वे लोग फिक्टिशियस डील बता कर सरकार से लाखों रुपया ले लेते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसका मिसयूज़ होता है और उस पर पूरी तरह चैक नहीं है। उदाहरण के तौर पर ऐसी इन्सटॉन्सेज हैं। एक एरिया में चलाने की परमिशन दी। उन्होंने, मान लीजिये अजमेर के लिए लिया। जबरन जोधपुर में भी सेन्टर खोल दिया। इस सेन्टर में डीलिंग होते हैं हजारों का खरीदा गया सूत और बेचा गया कपड़ा। जब जयपुर से मद्रास कपड़ा जाता है। वहां जाकर क्या करते हैं? भगवान् ही जाने। पर जब देखते हैं कि इतना सूत हुआ और इससे इतना कमीशन दिया। अब कमीशन को सब्सिडी का सारा पैसा जाता है। तो इस तरह से यह ग्रान्ट मिसयूज़ होती है। जो कुछ लोग ज्यादा होशियार हैं उन संस्थाओं को चला कर इस तरह से इसका मिसयूज करते हैं और सारा पैसा इस तरह फिक्टिशियस डीलिंग में दिखा कर हड़प जाते हैं।

सदन में कई बार सवाल आया। कह दिया जाता है कि यह तो ऑटोनोमस बोडी है। हमारा उनके एक्सपेन्डीचर पर कन्ट्रोल

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं है। बात सही है। पर साथ साथ इतनी बड़ी रकम आप देते हैं तो यह उन टैक्स पेयर्स की मनी है जो खून पसीना एक करके सरकार को देते हैं। यह रुपया इस तरह से फिक्टिशियस डील में एक एक दूकान पर चार चार पांच पांच हज़ार रुपया कन्सेशन के नाम पर ले लिया जाता है। तो सरकार को यह अवश्य देखना है कि सबसिडी देने से पहले वे उसका मिसयूज़ न होने पाये, दुरुपयोग न हो; इसका प्रबन्ध करना चाहिये।

दूसरी बात, जो सब्सिडी आप देते हैं मैं इसको सब्सिडी नहीं मानता। इसको मैं एक तरह का अनएम्प्लॉयमेन्ट बोनस मानता हूँ। आज इसको सबसिडी देने की जरूरत क्यों पैदा हुई ? खादी आज मार्केट कम्पीटिशन में स्टेन्ड नहीं कर रही है। आपकी खादी जो है not each and every article को मार्केट है। कुछ अच्छा प्रोड्यूस है। बाकी में आप मार्केट वेल्यू में स्टेन्ड नहीं कर पाते। तो इस वास्ते आपको स्टेन्ड कराने के लिए प्रोड्यूसर को सबसिडाइज़ करते हैं। Without even any transaction of the Khadi the amount is taken from the Government. उसको मार्केट में लाने के लिये, that is a sort of unemployment bonus you are giving to these people. उस दृष्टि से हम देखते हैं तो सवाल आता है कि आज कहां तक कब तक हम इस तरह से ग्रामोद्योग को जो कम्पीटिशन में स्टेन्ड नहीं कर सकती सबसिडाइज़ करते रहेंगे ? यह सबसिडी भी कोई रिच पापुल से लेकर आप नहीं दे रहे हैं। It is given from the taxes paid by the poor people. लार्जेस्ट शेयर गरीबों पर पड़ता है। थोड़े दिन के लिये आप भले ही सबसिडी दे दें, पर हमेशा के लिए देना गलत चीज़ है। मेरा ऐसा खयाल है जितना आपने एग्ज़ेम्शन दिया उसका दुरुपयोग ही हुआ। We must put a stop to it now. राजस्थान में 88 thousand hand weaving पर निर्भर करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि एग्ज़ेम्शन हो, there should be no fresh increase in the concessions to these people. वह जो सत्तर-अस्सी हजार फैमिली हैं जो खादी पर डिपेन्ड करती हैं। It is time that we should put a full-stop to it. अगर आपको कम्पीटिशन में टिकाना है, then we have to change the emphasis in favour of a village industry, जिसका प्रोड्यूस बाजार के प्रोड्यूसेज़ के कम्पीटिशन में टिक सके उसको बनाना चाहिये। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो the only clear path before you is to switch over to power looms. आज आप यह चाहें कि इसको हमेशा जिन्दा रखेंगे वह नहीं हो सकेगा। It is only by subsidies that we are maintaining it.

खादी के सम्बन्ध में कुछ कहना लोग पाप समझते हैं। पर मैं ऐसे पाप से घबराना नहीं चाहता। हिम्मत करके कहना चाहता हूँ कि time has come when we have to reconsider our views about it. आज खादी का लोंग क्लॉथ लट्ठा बना कर दिया जाता है तो हैंडलूम का स्पेसिफिक मार्केट है जो अपर-मिडिल क्लास में हो सकता है। फैंसी गुड्स का भी मार्केट है तो इन चीजों में जो कम्पीटिशन में खादी में भी ठहर सकती हों, उनको विलेज इन्डस्ट्री में मान कर प्रोत्साहन देना है, तो we must give incentive to design work in khadi. इनका फॉरिन

(श्री पी० के० चौधरी)

मार्केट भी अच्छा हो सकता है। इस टाइप की पॉलिसी को आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में स्टेन्ड कर सकते हैं। बम्बई की फैशनेबल लेडीज़ हैं वे खरीद लेंगी, फॉरिन वाले खरीद लेंगे। Those who can pay for the higher amount of labour gone in the production of that Khadi पर आप लट्ठा बनाते हैं तो लोंग क्लॉथ के कम्पीटिशन में नहीं ठहर सकते हैं। I want to draw the pointed attention of the Government to this. खादी के नाम पर या विलेज इन्डस्ट्री के नाम पर आप खादी को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। We can give encouragement to specific products of Khadi, the products which have got a genuine market and which can survive without subsidy.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, we shall have to consider the limitation of time. You have only covered two cut motions so far.

श्री पी० के० चौधरी : The rest I shall cover quickly, because this was a point which I was developing and I wanted the Government to make a distinction. खादी में जो लट्ठे का प्रोडक्शन होता है और जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उनका मार्केट नहीं होता। We cannot go on spoon-feeding it for ever. आज टैक्सेशन इतना बढ़ रहा है उससे तो हम यह बेहतर समझेंगे कि अनएम्पलॉयमेन्ट बोनस दे दिया जाये। खादी में, मान लीजिए, if you switch on to fancy goods in Khadi, जो आप उनको सबसिडी देते हैं उससे उनको फायदा तो होता नहीं तो उससे तो अच्छा उतना आप अनएम्पलॉयमेन्ट बोनस दे दीजिए या फिर उसको दूसरे इन्डस्ट्री में ट्रेन्ड कर दीजिए in some othere thing and then you switch on to powerlooms. यह मैं नहीं कहना चाहता कि आप कल का कल ही सारा हैंडलूम को बन्द कर दीजिए, but there should be a gradual process. Government must recognise the facts as they are. अब रिकग्नाइज़ करने के बाद में गवर्नमेंन्ट भी धीरे धीरे उस दिशा में जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटमोशन यह है, "To discuss the failure of the Government to give adequate incentives to the development of Small-Scale Industries in the State. उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो अनएम्पलॉयमेन्ट की प्रोब्लम है, बेकारी की जो समस्या है उसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई हो सकता है तो वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने से हो सकता है। मैं देखता हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की तरफ गवर्नमेन्ट को जितना अटेन्शन देना चाहिए, जितनी उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए उतनी नहीं दी है। मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे ३ स्टील प्लान्ट हैं। ये ३ स्टील प्लान्ट तो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं और २ स्टील प्लान्ट प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं। आज वह होने के बाद Government has now started exploring markets outside. एक्सपोर्ट मार्केट की तलाश करने में लग गए। what is the reason ? आज उसका कारण क्या है ? सारे स्टील प्लान्ट मिला कर ६ मिलियन टन का

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रोडक्शन करते हैं। We are not able to consume 6 million tons of iron and steel in this country. जब कि दूसरे देश हैं उनमें हमसे डब्ल, ट्रिबल और फोर टाइम्स, they are producing the steel. आज जैसे चाइना है १० साल पहले चाइना की पोज़ीशन हमारे देश की सी थी लेकिन आज १२ मिलियम टन उसका स्टील का प्रोडक्शन होगा। उसको वह डब्ल करना चाहता है, within five years वह सारा का सारा स्टील they consume within their country.यानि स्टील को एक्सपोर्ट नहीं करते। If at all they export anything, they export the finished products, the machinery, the implements and tools. लेकिन जो ६ मिलियन टन के ऊपर ही एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू कर दें उसका मेन रीज़न ही यह है कि हमने इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री को हमारे देश में डेवलप नहीं किया। इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री देश में जब डेवलप हो सकती हैं, either it becomes very highly industrialised country या इस देश में जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं वे डेवलप हों। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का और इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ का इतना स्कॉप इस देश में है कि वह अनलिमिटेड है ! Only through the Small Scale Industrs and notthrough the Village Industries or Khadi Board we can solve the problem of the country. लोगों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर लाना है तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इन्क्रीज़ करना है। एक आदमी एक घन्टा काम करके कितनी चीज़ पैदा करता है उसके ऊपर देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग डिपेण्ड करता है। जिस देश में एक आदमी एक घन्टे काम करके १ गज कपड़ा पैदा करता है मिसाल के तौर पर और दूसरे देश में एक आदमी ही एक घन्टे काम करके ५ गज कपड़ा पैदा करता है तो उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग १:५ का डिफरेन्स होता है। तो किसी देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठाना है तो सबसे इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया है: it is the productivity of labour of that country. तो विलेज इन्डस्ट्री के जरिये या खादी के जरिये लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं पाते हैं। उसमें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपने मान लिया : it must be a hand driven something. The things should be managed only by hand. तो हैंड ड्रिवन से प्रोडक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, The productivity remains hampered. तो जो हमारे देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो Productivity of the labour, that means the quantity of goods and services an individual labourer can produce in a country, that determines the standard of living of that country. तो यह प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वह किसी देश का कब ज्यादा हो सकता है जब कि उस देश में उतना ही ज्यादा इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो। उस देश का लेबर जितना ज्यादा इन्डस्ट्रियली मैकेनाइज्ड की तरफ जाये। आप जापान का लीजिए ! जापान में जो कपड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, बनाया जाता है वह सारा बड़े बड़े मिलों में नहीं बनता है। They have got power looms in evey cottage. जो वीवर्स हैं वे पॉवर लूम लगा लेते हैं। एक आदमी १० दिन में जितना

(श्री पी. के. चौधरी)

पैदा करेगा, जापान में one weaver will do, it in one day by sitting in his own cottage. तो उससे उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने कटमोशन रखा है वह इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जो हम राजस्थान का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं तो स्माल स्केल इन्डस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए । वह किस प्रकार से ? The Government should find ways and means to give 'Protsahan' to it. अब उसके लिए गवर्नमेन्ट ने कुछ सोचा भी है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की लॉन पॉलिसी है, there should be more liberal loans to individuals who want to start industries. अगर आप छोटे छोटे उद्योग चलाना चाहते हैं तो उसके लिए लिबरल लॉन होना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया यह भी रहना चाहिए, these loans should not be given to big industrialists. बड़े बड़े आदमी जो हैं हमने देखा है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट आपने शुरू किया । अगर आप इन्डस्ट्रियल एस्टेट की जांच करेंगे तो देखेंगे कि कलकत्ता और बम्बई से कुछ rich people, they have taken these industrial shares in different names. एक व्यक्ति अलग अलग नाम से इन्डस्ट्रियल एस्टेट ले जाता है । यह हमारा स्माल स्केल इन्डस्ट्री का पर्पज़ नहीं है कि बिग बिज़नैस मैन को लॉन का एडवान्टेज दें । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता था कि लिबरल लोन पॉलिसी है there should be proper check, to see that the loan is going to deserving persons. अब जैसे मेरा १५ नम्बर का कटमोशन था वह इस तरह इंगित करता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में एक दफा सवाल पूछा था कि जो आइर्न कोटा दिया जाता है कितने आदमी साइकिल पार्ट्स, वायर नेल्स, वायर गॉज में डील करते हैं और उसमें कितने आदमी सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं । यह सवाल मैंने लास्ट सैशन में पूछा था । तो उसमें बताया गया कि सिर्फ ५ फार्म हैं जो कि सेल्स टैक्स के लिए साइकिल पार्ट्स, वायर नेल्स, वायर गॉज़ में डील करती हैं । उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने आदमियों को कोटा मिलता है। अब उस कोटे में लगभग ४५ फर्म्स का नाम है और उनको एक वर्ष में सैकड़ों टन का कोटा मिलता है । सैकड़ों टन का कोटा इन फर्म्स को मिलता है और सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन है सिर्फ ५, ६ फर्मों का । सारे राजस्थान का सैकड़ों टन का कोटा इन्डस्ट्रीज़ को चालू रखने के लिये मिलता है । इस बात की आवश्यकता है कि सेल्स टैक्स में ५ हजार से ऊपर का डील हो जाता है तो होता है, लेकिन यहां पर सैकड़ों टनों का जिनका कोटा है उनका नाम भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है । मैं मानता हूं कि वे बोगस डीलर्स हैं ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट यहां पर आपको मिलेगी । वहां पर बार्ब्ड वायर के लिये आयर्न का कोटा लेकर रखते हैं और मार्केट में जो गेलवेनाइज्ड वायर है, Galvanised wire is being sold at a higher rate than barbed wire.

(श्री पी. के. चौधरी)

तो जितने लोगों ने पर्मिशन ले रखी है बार्ब्ड वायर बनाने की वे आइर्न कोटा को सीधा बाजार में बेच देते हैं, they don't prepare the barbed wire, दूसरे इन्डस्ट्रियल एस्टेट में जाकर तलाश करके देखें तो जिन्होंने सैकड़ों हजारों टनों का कोटा ले लिया है लेकिन आप उनके इलेक्ट्रिक मीटर्स को चैक करेंगे उनके इलेक्ट्रिक कन्ज़म्पशन को चैक करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बिल्स कन्जम्पशन के बहुत कम मिलेंगे। हजारों रुपयों का डीलिंग बताया कि इतना प्रोड्यूस किया and look at their electric meter. The consumption of the energy in their machines will be like a domestic consumption. एक घर में जितना खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का उतना कन्ज़म्पशन भी नहीं होगा। वहां पर बाकायदा स्टाफ बता रखा है। एक दो आदमी रख छोड़ हैं, लेकिन आयर्न और स्टील का जो कोटा है उसको लेकर बाजार में बेच देते हैं। यह जो मेरा १५ नम्बर का कट मोशन है उसके जरिये मैं इस बात की ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट की परमिट दे दी, आयर्न एण्ड स्टील का कोटा दे दिया लेकिन there should be a proper checking machinery. पॉवर हाउस गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इतनी तकलीफ नहीं उठा सकती है। उसके पास इन्सपेक्शन स्टाफ नहीं है कि वह देखे कि ५०० टन का कोटा जिस फर्म का है और वह शो करती है कि हज़ार रुपये की मशीनरी बेच दी कारखाने में बना कर और उस कारखाने का १०० महीने का इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आता है कन्ज़म्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेगलीजिबल रहता है तो साफ है कि मशीनरी नहीं चली है। If the machine was put to work the consumption of Power would have been much more.

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए लिबरल लॉन की पॉलिसी होनी चाहिये, अभी है उससे भी लिबरल। उसके साथ साथ there should be proper checking. जिससे मिसयूज़ नहीं हो। आज घर में जो कि केपिटल सिटी है, in the Capital city itself उसमें जाकर देखें तो पता लगेगा कि किस तरह से आयर्न कोटे का मिसयूज़ होता है।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं बोल कर जो मेरा नेक्स्ट कट मोशन है for my own constituency.. और माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं। फिर मैं Industrial and Economical Survey of Jaipur डिस्ट्रिक्ट पर बोलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि इर्रिगेशन की जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिये और जितनी फैसिलिटीज़ दूसरी जगह पर हैं उतनी फैसिलिटीज़ यहां पर नहीं हैं। यहां पर ट्यूब वेल करने पड़ते हैं और केनाल इर्रिगेशन की यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी इन्डस्ट्रियल पॉसिबिलिटी है ....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कृषि के वास्ते भी काफी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जोबनेर में हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जोबनेर में ही नहीं दूसरी जगह भी हैं।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया जाय इन्डस्ट्रियल और इकॉनोमिक सर्वे और करके उस पर डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ कदम उठाये जांय, हालांकि गवर्नमेंट ने तय किया है नेशनल इन्डस्ट्रियल सर्वे हैं उसके जरिये कुछ कुछ जगह करेंगे। लेकिन उनका सर्वे, that is a sample survey; रेन्डम सेम्पल लेकर सर्वे कर देते हैं। वह कोई इन्टेन्सिव सर्वे नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर में स्पेसिफिकेली यह किया जाय।

दूसरा मेरा कट मोशन है जयपुर में स्टील प्लान्ट खोलने के लिये। जहां तक जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है जयपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास में राजस्थान का सबसे ज्यादा आयर्न ओर के डिपाज़िट्स हैं और यहां का जो आयर्न ओर है उसको हम जापान एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्टील प्लान्ट की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि भिलाई के पेटर्न पर या रूरकेला के पेटर्न पर कोई प्लान्ट हो, लेकिन स्मॉल स्केल पर स्टील प्लान्ट भी बन सकते हैं, दूसरे देशों में बने हैं, और चाहता हूं कि स्टील प्लान्ट जयपुर में बनाया जाय, जिसके जरिये जयपुर और आसपास के आयर्न ओर को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं ताकि उसका स्टील और पिग आयर्न बन सके।

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

इसके बाद, सभापति महोदय, मेरे दो कट मोशन और हैं। एक तो सांभर के अन्दर इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलने का और दूसरा सोडा एश के प्लान्ट का। जहां तक सोडा एश के प्लान्ट का सवाल है वह सेकण्ड फाइव इयर प्लान में इन्क्लूडेड था कि सोडा एश प्लान्ट खोला जायगा, with a few crores' investment; लेकिन आज तक सोडा एश कहां तक पहुँचा है and the Second Plan is nearing its end.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने भी एक प्रश्न उठाया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : पता ही नहीं लगता है कि क्या हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। सोडा एश प्लान्ट के बनने की जो प्रोगेस थी वह प्रोगेस नहीं मालूम पड़ी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायेंगे कि सोडा एश की प्रोगेस कहां तक हुई और कहां जाकर अटक गई है? उसके बारे में इन्डियन सोडा एश कम्पनी से बात चली थी लेकिन गवर्नमेंट को निगोसियेशन में कुछ डिफिकल्टी आई है। क्या हुआ है, यह सदन में क्लिअर पिक्चर चाहता हूं कि सोडा एश प्लान्ट क्यों नहीं बन पाया है और कब तक बन पायेगा?

दूसरी बात, मैं सांभर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट चाहता हूं। साम्भर पहले एक बिज़नेस टाउन था। मकराना बिजली ले जाई जायगी, इसलिए इन्डस्ट्रियल पॉवर उसको मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि साम्भर के अन्दर इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किया जाय और उसके इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट

(श्री पी. के. चौधरी)

के लिए मंत्री महोदय बराबर ध्यान देंगे । इस उम्मीद के साथ मैं यह कट मोशन मूव करता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा कट मोशन है मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग, में १) रु० की कटौती की जाय (टोंक जिले में उद्योगों के अभाव पर विचार करने हेतु)

चेयरमैन महोदय, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ वह डिस्ट्रिक्ट पहले एक रियासत थी। उस रियासत के ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं थे कि वहां पर रेल लाई जा सके या कोई मेजर इन्डस्ट्री स्थापित कर सकें । ताहम भी उन्होंने आगामी बात सोच कर कि इधर कोटा है रेल पर, नसीराबाद है, इधर निवाई है और कोई नज़दीक रेल नहीं है, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन असफल हुए, ताहम भी वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : No quorum, Sir.

२.५६ म०प०

श्री सभापति : आप प्रारम्भ रखें ।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुन :)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उन्होंने गवर्नमेंट से खर्चा लेकर आगामी सोच कर कि हमारे इस क्षेत्र में कोई मेजर इन्डस्ट्री स्थापित करेंगे और इसको विकसित करेंगे, तो एक पुल का निर्माण किया । उसी की बदौलत आज पहले उस स्टेट की आबादी डेढ़ लाख थी और आज ४ लाख के करीब है । लेकिन सन् ४८ से इस रियासत का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ है लेकिन देखा जाता है कि आज दिन तक वहां पर मेजर इन्डस्ट्री की स्थापना नहीं हुई । माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी....वे तो हैं ही नहीं....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : हैं, साहब । वे सुन रहे हैं ।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पर कोई मेजर इन्डस्ट्री नहीं है । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह तो जानते हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट आज-कल ऐसा है कि वहां पर न तो कोई कारखाना है और न कोई और इन्डस्ट्री है । रियासतों के विलीनीकरण की वजह से और जागीरों और जमीदारियों के रिज़म्पशन की वज़ह से हजारों आदमी बेकार हो गये हैं और मारे मारे फिरते हैं । सरकार से हम यह उम्मीद करते थे कि उनको काम दिलाने के लिये कोई मेजर इन्डस्ट्री खोलेंगे । वहां पर मेजर इन्डस्ट्री खुलना तो दूर रहा वहां पर पहले एक कोटन जिनिंग प्रेस थी उसको भी सरकार ने नीलाम कर दिया । वहां पर जो बर्फ का कारखाना था उसका भी न मालूम क्या हुआ ? मैं सच्ची बात अर्ज करूं कि वहां पर एक ही इन्डस्ट्री थी उसको भी नीलाम कर दिया तो आपकी नाराजगी इतनी टोंक डिस्ट्रिक्ट पर हो रही है । उसका क्या कारण है कि वहां पर कोई इन्डस्ट्री स्थापित नहीं कर रहे हैं ? सन् ४८ के बाद सैकड़ों बांध बन गये । उनियारा में ३१ लाख रुपये लगा कर बांध बनाया है,

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

घूमू का बांध बना है जिसके कारण एग्रीकल्चर पर असर पड़ा है । वहां पर शुगर फैक्ट्री स्थापित हो सकती है। यह ऐसा इलाका है जहां पर ऑयल मिल स्थापित हो सकती है। लेकिन सरकार ने अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार वहां के प्रति जागरूक नहीं है । या तो सरकार यह समझती है कि खास टोंक की तरफ से कोई मंत्री चुन कर नहीं आया है इसलिये वह ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि जिस क्षेत्र से मंत्री चुन कर आये हैं उसका तो मोडल ही चेन्ज हो रहा है....

एक माननीय सदस्य : वह भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आज सरकार समाजवादी प्रथा को अपनाना चाहती है तो सबके लिये समान व्यवहार क्यों नहीं किया जाता जैसी सुविधा दूसरी जगह दी जाती हैं वैसी ही वहां भी दी जानी चाहिये और वैसी ही इन्डस्ट्रीज यहां भी स्थापित करनी चाहिये। पहले राजाओं के जमाने में जो प्रथा थी उसी को यहां भी अपना लिया है । जहां कोई योजना या इन्डस्ट्री चालू की जाय पहले उसको एक जगह बैठकर बांट लें कि अपनी अपनी कॉन्टिट्युएन्सी में क्या क्या करना है। उसके अलावा बचे तो बाद में जो ज्यादा बोलते हैं उनके यहां या जिनसे ज्यादा डर लगता है उनके यहां खोलते हैं ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : आप से भी डर लगता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिनिस्टर साहब के यहां ऐसा है कि उदयपुर का मोडल चेन्ज हुआ वैसा, ही मोडल मालपुरा का चेन्ज हो रहा है। उनके मुकाबले में हम तो १७ वीं शताब्दी में पड़े हुए हैं । मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया कि सब जगह सर्वे होना चाहिये मैं उसकी ताईद करता हूँ और जहां पर जिस इन्डस्ट्री की आवश्यकता हो वहां जल्दी ही स्थापित करनी चाहिये । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो कोटन जिनिंग प्रेस थी उसको बाहर से लेने वाले आये थे उसको राजस्व मंत्रीजी ने नहीं लेने दिया और वहीं के आदमियों को रियायत से बांट दिया। अब न मालूम वह चलती है या नहीं? उसमें से कुछ पार्ट मालपुरा ले गये या कोई कहां लग गया, इसका पता नहीं है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हम लोगों ने राजाओं ने अपनी रियासतों का इसलिये त्याग किया था कि हम उनको विकसित नहीं कर सकते थे; इसलिये यह कहा कि ज्यादा बड़े भाग में मिलोगे तो विकसित हो पाओगे। लेकिन आज वहां के लोग महसूस करते हैं कि हम तो पहले ही ज्यादा अच्छे थे। दिन दिन ऐसी भावना लोगों में बढ़ रही है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था और आज भी अर्ज़ कर रहा हूं कि यदि इस तरह की भावना रखोगे तो किंचित् मात्र का आपके प्रति जो विश्वास रहा है वह भी जाता रहेगा। आप बिल्कुल क्षेत्रीय भावना को अपना रहे हैं....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : आप अपोजीशन में खड़े हुए हैं, आपको कैसे सहूलियत मिल सकती है?

रावराजा श्री सरदारसिंह : कल भी मैंने अर्ज किया था और आज फिर अर्ज करता हूं कि विकास के लिये कोई अपोज़ीशन नहीं है। मैं मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में कहता हूं कि चाहे कांग्रेसी भाई हो या सोशियलिस्ट भाई हो, उनसे भी कहता हूं कि विकास के लिए सब मिल कर कार्य करेंगे तभी उत्थान हो सकेगा। इसी तरह से आप क्षेत्रीय भावना रखोगे तो सन् ६२ आ रहा है, आपका भी तीसरा चुनाव होने वाला है; इसलिये आपको कुछ करना चाहिये। कुछ शुगर मिल आयर्न मिल, या कोटन टैक्सटाइल भी बना सकें तो बनावें।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, मुझे इसके बारे में कुछ अर्ज करने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मन्त्रीजी शायद यह कह सकते है कि आपके एरिया को हम पहले से ही जानते हैं और वहां पर जो इन्डस्ट्री चल रही है वह काफी है। हो सकता है कि आपके खयाल से वह काफी हो, हो सकता है वहां पर बेकारी नहीं हो, हो सकता है वहां का स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो; यह भी हो सकता है कि उनकी नजरों से वहां का कारोबार ठीक ढंग से चल रहा हो और इन्डस्ट्री की जरूरत नहीं हो लेकिन सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि उन राजाओं और जागीरदारों के वक्त में इस तरह की बात करता तो कहते कि यह क्या बात है? आउट ऑफ ट्यून है। लेकिन जब यह वैलफेअर स्टेट है, आजादी के बाद स्वतन्त्र होने का फल मिल रहा है तो एक अमुक एरिया पिछड़ा हुआ रह जाय, उस ओर ध्यान न दिया जाय, यह समझ में नहीं आता। सुना है जगह जगह का मॉडल बदला है लेकिन मैंने देखा है कि बाड़मेर का मोडल बिल्कुल नहीं बदला है....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : असलियत इसी में है।

श्री अनूपसिंह : बाड़मेर में वही ढांचा और ढर्रा चल रहा है। आज जो नये प्रगतिशील देश हैं उनमें यह है कि जो कल मॉडल मोटर का निकला है वह आज नहीं रहेगा। जो ४१ में मॉडल था वह ४२ में नहीं रहा और जो ४२ में निकला वह ४३ में नहीं रहा और सालों साल बढ़ोत्तरी होती है। यदि इसी तरह की प्रगति का कदम दिखता तो मैं यहां खड़ा होकर सदन का वक्त नहीं लेता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो इन्डस्ट्रीज पहले थीं, जिस तरह थीं वे आज वैसी ही हालत में हैं। जिस तरह का कपड़ा वहां पर बनाया जाता था आज भी उसी तरह का बनाया जाता है। आपकी आजादी का असर या स्वतन्त्रता का असर या योजनाओं का असर नहीं दिख रहा है। मैं मन्त्रीजी से अर्ज करूंगा कि वे जाकर देख लें।

मैं चन्द इन्डस्ट्रीज जो वहां पर चल रही हैं उनके बारे में अर्ज करूंगा कि जैसी बालोतरा में रंगाई–छपाई अच्छी होती आ रही है उसी तरह की आज भी है। बाड़मेर में भी अच्छी रंगाई छपाई होती थी, मैं अर्ज करूंगा कि रंगाई छपाई में, डिज़ाइन में कोई आज फर्क आया है क्या, या नई चीज़ निकली है क्या? यहां तक कि सांगानेर में जो डिज़ाइन निकलती है वैसी भी वहां पर होती है क्या? उसको मोडर्नाइज करने का या नया रूप देने का आपने कोई प्रयास

(श्री अनूपसिंह)

किया है क्या ? वे जो पीढ़ियों से करते आये हैं वही कर रहे हैं। उनका काम है, वे करते ही हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि आपने नई चीज़ क्या की ? आपने उनके लड़कों को बाहर भेजा है क्या या शिक्षा दिलाई है क्या या उनके धन्धे को रीमोडल करने के लिये आपने कुछ किया है या उसको आधुनिक स्तर पर लाने के लिये कुछ किया है ? मैं मानता हूं कि लाखों रुपये आपके खर्च हो रहे हैं लेकिन आप उनको रीमोडल नहीं कर सके, तो आपकी योजना से क्या मतलब है ? जो हो रहा है, जो पीढ़ियों से हो रहा है, बाप-दादों के वक्त से हो रहा है वही हो रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि बालोतरा में कपड़े की रंगाई-छपाई होती है उसके अन्दर कोई नया डिजाइन निकाला गया हो, तो मैं मान लूंगा कि कुछ काम किया है। जो वहां हाथीदांत का काम होता है, उसके लिए सब्सिडी देकर, कोआॅपरेटिव बना कर, रंगाई-छपाई करने वालों की कोआॅपरेटिव बना कर, उनका कपड़ा किसी गवर्नमेंट एम्पोरियम में रखते, लोकल दूकान खोलते, अगर लोकल दूकान नहीं चल सकती हो तो बाहर भेजते, इस तरह से कुछ किया होता तो मैं मानता कि कुछ प्रगति की है इसलिये यह बजट मांगना जस्टीफाइड है। लेकिन वह तो वही का वही है जो पहले था। समदड़ी-बालोतरा में चमड़े का उद्योग बहुत वर्षों से चला आ रहा है, वही आज भी चल रहा है। मैं मानता हूं कि वहां टेनरी खोली गई है, सब्सिडी देकर, कोआॅपरेटिव बनाई है। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोआॅपरेटिव क्या काम कर रही है ? मैं निवेदन करूं कि वही का वही ढंग है, वही का वही चमड़ा है, वही का वही जूता है और वे ही खरीदने वाले हैं, उनके काम में कोई प्रगति होने वाली बात नहीं है। यह किस्मत की बात है कि वहां की जनता बढ़ गई, इसलिये डिमान्ड बढ़ गई और डिमान्ड बढ़ जाने से लोगों को फायदा हो गया, यह दूसरी बात है। लेकिन आपने उसको नया ढंग देने के लिये कुछ किया हो, कोआॅपरेटिव बना कर, नई मशीनरी लगा कर; स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री के रूप में किया होता तो मैं मानता कि आपने कुछ किया। इसी तरह हाथी दांत को लें। हाथी दांत के लिए अगर अमेरिका में मानते हैं कि वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ है तो आप भी मान लेते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन यह काम हमारे यहां होता है फिर भी इसको पेट्रोनेज देनेवाले, क्रेडिट देनेवाले आप नहीं। इसलिये, मैं, माननीय सभापति महोदय, अर्ज करूंगा कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के बाद में बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिए अर्ज करूंगा कि बाड़मेर का मोडल वही है, वही मोडल नज़र आता है, उसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। जो काम पहले करते थे, जो कारीगर करते थे वही काम आज कारीगर करते हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनका ख्याल है कि आजादी नाम की चीज़ उनके लिए नहीं, योजना नाम की चीज़ उनके लिये नहीं है। इसके साथ ही मैं बड़ी इन्डस्ट्रीज के बारे में कुछ सजेशन्स अर्ज करते हुए यह अर्ज करूंगा कि बाड़मेर कृषि-प्रधान और पशु-पालन का एक महत्वपूर्ण एरिया है और उसका कारण यह है कि वहां पर जो जानवर मरते हैं

(श्री अनूपसिंह)

उनका चमड़ा वहीं के लोगों को मिलता है। वहीं पर बोन्स मिलती हैं, जो वहां काम में नहीं आती हैं, वे या तो कोटा जाती हैं या जोधपुर जाती हैं। उसके लिए बोन क्रशिंग फैक्ट्री वहां हो सकती है। लेकिन उसका विचार आज तक नहीं आया। यह प्राइवेट सेक्टर में होता या स्टेट सेक्टर में होता, किसी तरह होता, यह होना चाहिये था। वहां से रॉ मेटीरियल कोटा या जयपुर आता है। यहां पर बोन क्रशिंग होता है, बोन बनती है, यह काम वहीं हो सकता था जिससे हज़ारों लोगों की बेकारी भी आप दूर सकते थे, वहां के लोगों का स्तर ऊंचा कर सकते थे, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ। वहां की बोन्स वैगन्स में भर भर कर जयपुर आती हैं, कोटा जाती हैं और वहां बोन क्रशिंग होता है

(घंटी)

दो मिनट में और लूंगा...

श्री सभापति : समय बहुत कम है, पौने चार बजे तक खत्म हो जायगा। इस डिमान्ड पर दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे। इसलिए सबको बोलने का मौका देने के लिए आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री अनूपसिंह : सभापति महोदय, हमारे यहां से बोन्स एक्सपोर्ट हो जाती हैं, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं। वे उसको साफ करते हैं, क्रशिंग करते हैं और उसका फायदा बाड़मेर को नहीं होता है। जानवर रखने वालों को नहीं होता है; उसका फायदा होता है जो मिडिल मैन है उनको और उसका जिक्र आज नहीं होता है कि बाड़मेर से इतनी बोन्स एक्सपोर्ट होती है, जिनको वहीं काम में नहीं लाया जाता है। इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा कि वहां फर्टीलाइज़र फैक्ट्री हो सकती है लेकिन कवास की जिप्सम सिन्दरी के कारखाने में जाती है। आप यही कहेंगे, आपका जवाब एक झटके के साथ यही होगा कि वहां पर पानी नहीं है, हम पानी के बिना क्या कर सकते हैं और पानी के बिना इन्डस्ट्री चलाना नामुमकिन बात है। मैं मानता हूँ कि पानी आज नहीं है लेकिन वहां पर पानी निकालने के लिए, वहां पर पानी लाने के लिए आपने क्या किया? लिलवाड़ जगह ऐसी है, कवास के पास कि अगर वहां पर बोरिंग करवा कर देखते तो वहां आपको पानी ही पानी मिलता। लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं हुए

(घंटी)

इसलिए जो इलाका पिछड़ा हुआ है वह आज भी पिछड़ा हुआ है। उसको आगे लाने के लिए आपने योजना नहीं बनाई; इस बात को मानें कि अपने आप हाल चाल बदल जायेंगे। मैं निवेदन करूं कि हालचाल वहीं बदलेंगे जहां का इन्फ्लुएन्स होगा

(घंटी)

और इन्फ्लूएन्स तो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे माननीय सदस्य आये हैं, वे ही डाल सकते हैं। मैं तो इतना कह कर ही अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि बाड़मेर एरिया को बढ़ाने के लिये, वहां के लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिए, वहां कोई योजना

(श्री अनूपसिंह)

कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इस बात को आप भी मान लें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): माननीय सदस्य ने अमल के बारे में नहीं कहा। अमलदारी वहां बहुत होती है। गवर्नमेंट इस चीज़ को अपना रही है ?

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में भाषण दें ताकि सबको समय मिल सके। पौने चार बजे बहस समाप्त हो जायगी, चार बजे तक मन्त्री महोदय जवाब दे देंगे। निर्धारित टाइम के अन्दर सब कट मोशन मूव हो जायं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इतनी देर में सब को बोलने का मौका कैसे मिलेगा ?

श्री सभापति : Well, I cannot do anything. This has been decided by the Business Advisory Committee. According to its, report, all the cut motions will be placed before the House upto 3. 45 P. M. and after that the Hon'ble' Minister will give his reply upto 4. 00 P. M.

डॉ० चन्द्रकला : इतने कम समय में सब को बोलने का मौका कैसे मिलेगा ?

श्री सभापति : Atleast the limitation is before us.

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला प्रस्ताव औद्योगिक बस्ती के सम्बन्ध में विचार करने के लिए है। हम सब जानते हैं कि छोटे उद्योगों के विकास के लिए, सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। निस्सन्देह यह सुन्दर योजना है क्योंकि इस योजना से हमारे यहां एक और कुछ बेकारी दूर होती है और दूसरे उद्योगों का विकास होकर आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन केवल योजना सुन्दर होना ही काफी नहीं है। उस योजना को अच्छी तरह से, सही रूप में कार्यान्वित करना और वांछित परिणाम लाना अधिक जरूरी होता है। हां, जयपुर शहर में सरकार ने एक औद्योगिक बस्ती बसाई है, उसके शैड्स वगैरह बन चुके हैं और काम शुरू हो चुके हैं और वहां पर कुछ और शैड्स बनाने की बात मैंने सुनी है। लेकिन जो उस औद्योगिक बस्ती के हालचाल हैं वे वैसे ही हैं जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इन औद्योगिक बस्तियों का कच्चा माल सीधा बाजार में चला जाता है और वहां जो औद्योगिक विकास होना चाहिए, वह नहीं होता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वे किसी भी समय जाकर उस बस्ती का निरीक्षण करें, मंत्री के रूप में प्रगट न होकर, अप्रगट रूप में वहां निरीक्षण करें तो आपको तथ्य मालूम होंगे कि जो कच्चा माल है वह सीधा बाजार में जाकर बिकता है और

(डॉ० चन्द्रकला)

उससे कितना नुकसान होता है; वह है ही; पर उसके साथ ही उसकी वजह से इन औद्योगिक बस्तियों में सही रूप से काम नहीं होता है। इसके साथ ही औद्योगिक बस्ती बसाते हैं तब उद्योग विभाग यह नहीं सोचता है कि जहां बस्ती बसाने जा रहे हैं वहां पर और कुछ होने वाला है या नहीं। जयपुर के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि जहां अच्छी खेती होती है, जहां कृषि योग्य भूमि है, जहां बहुत कुछ पैदावार होती है वहां हमारी सरकार औद्योगिक बस्ती बसाने जा रही थी। अब क्या योजना है, यह मुझे मालूम नहीं है। पर मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप औद्योगिक एस्टेट बनाने जा रहे हैं, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए लेकिन जहां पहले से साग-सब्जी, खेती आदि का उत्पादन हो रहा है उस जमीन को एक्वायर करके, उस जमीन को लेकर बर्बाद करके औद्योगिक बस्ती बसाते हैं उसके लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन उसके लिए आपको शैड्स खड़े करने हैं, इमारतें खड़ी करनी हैं, तो कर सकते हैं लेकिन जहां कर रहे हैं, वहां एक कदम आगे जाकर कर सकते हैं जहां खुली भूमि है। तो जयपुर की औद्योगिक बस्ती के लिए इतना ही कहना है कि जहां शैड्स बढ़ा रहे हैं, सो मेहरबानी करके इतना और करवाने की कृपा करें कि जो जमीन एक्वायर करेंगे, वहां किसानों की साग सब्जी आदि की जो पैदावार होती है, उसकी जो जमीन है उसका ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर शहर का स्युएज इकट्ठा होने वाला है। जो शैड्स बनायें उसके लिए जहां खाली जमीन आगे पड़ी है उस भूमि को एक्वायर कर लीजिये। तो मुझे जयपुर के बारे में इतना ही कहना था।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव कुटीर उद्योगों के बारे में है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर खेती का काम जो होता है वह पूरा पूरा नहीं होता है। पैदावार की दृष्टि से राजस्थान में कृषि का काम उतना नहीं होता है। उस दृष्टि से कुटीर-उद्योग की सख्त जरूरत है और राजस्थान में कुटीर उद्योग काफी मात्रा में पहले से भी जीवित हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करके, उनका विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि कुटीर उद्योगों से हमें आर्थिक स्वावलम्बन मिलेगा। हमारे यहां जो कुटीर उद्योग हैं, उनका घर घर में जाकर प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। लेकिन आज तक कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो जिस तरह से चले आ रहे हैं, उसी तरह से चल रहे हैं। हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए विचार नहीं किया। अगर किसी का सामान आ जाता है, सरकारी समिति कोई बना लेते हैं, वह सरकार के सामने आ जाती है तो उसको थोड़ी सहायता भी मिल जायगी और उससे सरकार को प्रोत्साहन भी मिलता है। मैं, माननीय मंत्री से निवेदन करूंगी कि राजस्थान में जो सैकड़ों नहीं, हज़ारों कुटीर उद्योग हैं, जो आज जीवित हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग चलाने वाले हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी ओर ध्यान देकर उन कुटीर उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दें तो ठीक होगा। क्योंकि समयाभाव है, इसलिए हर एक उद्योग की गिनती गिना कर हर एक के लिए सरकार से निवेदन करना नहीं चाहती हूं लेकिन मैं तो कहती हूं कि जयपुर शहर में लाख का उद्योग है, हाथी

Page No.85

(डॉ० चन्द्रकला)

दांत का उद्योग है, मीनाकारी का उद्योग है, गोटा–किनारी का उद्योग है, ये सब ऐसे उद्योग यहां हैं जिनसे बने हुए माल की न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ी भारी मात्रा में खपत व आवश्यकता है; तो इनके सर्वेक्षण की ओर सरकार पूरा पूरा ध्यान दे।

ग्रामोद्योगों की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि कुछ उद्योग ऐसे हैं जो घर-घर में होते हैं, पर कुछ उद्योग ऐसे हैं जो घर–घर में नहीं हो सकते, गांव में हो सकते हैं। चर्खा-उद्योग है यह घर-घर में चल सकता है पर कपड़ा बनाने का उद्योग हर घर में नहीं हो सकता यह गांव गांव में चल सकता है; वस्त्र बुनाई के काम को यदि वहां ले लें तो इस काम को अच्छी तरह किया जा सकता है। सरकार इन चीजों के बनाने की ओर तो ध्यान दे देती है पर इनके लिये बाजार बनाना पड़ेगा, बिना बाजार के ये कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग चल नहीं सकते। जिन उद्योगों के लिये बाहर बाजार है उनकी ओर, उनको बढ़ाने की ओर सरकार ध्यान दे देती है पर जो दूसरे उद्योग हैं, दूसरे ग्रामोद्योग हैं उनको भी बढ़ाना होगा और उनके लिये बाजार तैयार करना होगा। यह कार्य पंचायत समितियों के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

मैं कुछ शब्द खादी ग्रामोद्योग के संबंध में भी कहना चाहूंगी। जितने बापू के दिये हुए रचनात्मक कार्यक्रम हैं उनमें से यदि सबसे ज्यादा दुर्गति किसी कार्यक्रम की हुई है तो वह खादी ग्रामोद्योग की हुई है। इसीलिये फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि खादी ग्रामोद्योग को सब्सिडी देकर चलाने की अपेक्षा उसे बन्द कर दिया जाय तो कोई बुरा नहीं होगा। जिस खादी को लेकर हमने स्वराज्य प्राप्त किया....

श्री परसराम मैदरीना (आसीन) : वे तो इस कल्पना को ही बिल्कुल गलत समझते हैं कि गलत कल्पना थी।

डॉ० चन्द्रकला : नहीं, ऐसा उनका ख्याल नहीं। बापू का कहना तो यह था कि चर्खा चला चला कर स्वराज्य लेंगे, जितना लम्बा तार चर्खे से निकलेगा उतना ही जल्दी स्वराज्य हमारे नज़दीक आयेगा और वह स्वराज्य नज़दीक आया। बापू ने विस्तार से विवेचन किया कि हम चर्खे से, खादी से अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। मैं समयाभाव से इस बारे में विशेष नहीं कहना चाहती। पर हमारी सरकार ने खादी ग्रामोद्योग को उस रूप में ग्रहण नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : कोरम नहीं है, श्रीमान्!

(गणपूर्ति के पश्चात् पुनः)

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि खादी को हमने उस अर्थ में न लेकर केवल धंधे के रूप में ग्रहण किया है। जैसे दूसरे ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग हैं उसी तरह खादी उद्योग महज़ इस वजह से इनके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि बापू का आदेश था। बापू ने खादी उद्योग को चलाया था। मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए कि जब खादी उद्योग बोर्ड

(डॉ० चन्द्रकला)

में होने वाले भ्रष्टाचार और बेईमानियों को देखती हूँ तो मैं महसूस करती हूं कि हमारी सरकार इस खादी ग्रामोद्योग को एक नोटिस निकाल कर बन्द कर दे तो कोई बुरा नहीं होगा। क्योंकि बापू के आदेश को, बापू की बात को, बापू के चलाये हुए कार्यक्रम को सही रूप में ग्रहण नहीं किया जाकर उससे बुराइयां फैलें, उसमें बुराइयां पनपें, इसकी अपेक्षा उसका बन्द हो जाना अच्छा है। हम खादी की बात कहते हैं, युनिफार्म की तरह खादी पहिनते भी हैं और दूसरी ओर बड़ी बड़ी मिलें खोलते जा रहे हैं कपड़े की। खादी बेचारी मिल की प्रतिद्वन्द्विता में कहां तक खड़ी रह सकती है तो इसको सब्सिडी दे कर जीवित रखने की कोशिश करते हैं। मैं साफ शब्दों में कह दूं सब्सिडी के रूप में सरकार खादी ग्रामोद्योग के सामने टुकड़ा फैंकती है। खादी का उद्देश्य यह कभी नहीं रहा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि यदि वह खादी को सही स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो बन्द कर दे। एक ओर खादी को सब्सिडी देती है और दूसरी ओर कपड़े की मिलें खोलती है। एक ही घर में ये दो प्रति-द्वन्द्वी चीजें नहीं चल सकतीं।

श्री परसराम मैंदरीना : तो क्या मिलें बन्द कर दें?

डॉ० चन्द्रकला : नहीं, मिलें बन्द करने की बात नहीं। खादी और मिलें दोनों प्रति-द्वन्द्विता में खड़ी हुई हैं। या तो खादी को खोना पड़ेगा या मिलों को खोना पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है केवल विभाग की योजना के लिये रखा गया है, पूरे विभाग का क्या कार्य होना चाहिये यह नहीं कहा है। सरकारी पक्ष से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके मन में कोई स्पष्ट कल्पना इस सम्बन्ध में नहीं थी, उसी का स्वाभाविक परिणाम है कि हमारी सरकार के सामने कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है। पैसा आता है, उद्योगों में लगाया जाता है पर ऐसे उद्योगों में वह पैसा चला जाता है जिनका कोई आउटपुट नहीं। गांधीजी ने जिस उद्देश्य से खादी–उद्योग को चलाया, खादी–उद्योग की स्थापना की वह ठीक था पर आज केवल उस ढर्रे पर चला जाय तो ठीक नहीं। सिद्धान्ततः इस चीज़ को मानें तो उद्योगों का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। हमने विकेन्द्रीकरण किया है तो उद्योगों के मामले में भी विकेन्द्रीकरण करके हम दिखा दें कि विकेन्द्रीकरण में हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। इसके लिये हमें यह करना चाहिये कि हैंड लूम की जगह पॉवर लूम चालू करें। आज हमारे पास बहुत बिजली आ रही है। छोटे छोटे रूप में पॉवर लूम्स के आधार पर अधिक से अधिक स्थानों पर हम हैंड लूम की जगह पॉवर लूम्स चालू कर सकते हैं। इससे गांव–गांव में कपड़ा पैदा होगा, कपड़ा ज्यादा तादाद में पैदा होगा और बड़ी आसानी से सहूलियत के साथ कपड़ा पैदा होगा। पर आज जिस रूप में खादी ग्रामोद्योग चला रहे हैं, जिसके साथ गांधीजी का नाम जुड़ा हुआ है, उससे गांधीजी बदनाम होते हैं। इसको बन्द कर-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के इसके स्थान पर जगह जगह पॉवर लूम शुरू कर दें, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कर दें तो हमारा कपड़े का उत्पादन बढ़ सकता है। इस तरह खादी के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है वह पॉवर लूम्स पर खर्च करके इस उद्योग को गांव गांव में पनपा सकते हैं। आज जयपुर से रींगस रोड पर खादी ग्रामोद्योग के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। लाखों रुपयों के भवन खादी ग्रामोद्योग के नाम पर गोविन्दगढ़ और चौमू में बन रहे हैं कि हम खादी घर बना रहे हैं। इस प्रकार इस रुपये का दुरुपयोग करने से क्या लाभ होगा ?

बजट में देखा कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये सरकार ने लोन्स के रूप में ५८ लाख रुपया स्वीकार किया है। अब इससे कैसे विकास होगा ? दूसरी ओर सरकार स्टेटमेंट देती है कि सवाई माधोपुर में वेगन फैक्ट्री, उदयपुर में जिंक स्मेल्टर और खेतड़ी में कॉपर फ़ैक्टरी लगने वाली है लेकिन इससे कितने आदमियों को नौकरी मिलेगी ? आज, सभापति महोदय, देखना यह है कि इससे कितने उद्योग खुल रहे हैं, कितने आदमियों को काम मिलता है। जिस समय खादी का नाम आता है तो कहा जाता है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिलता है। खादी की अच्छाई है वह यही है कि सरकार इसको मदद देती है और खादी पहिनने से लोगों को काम मिलता है। स्मॉल स्केल पर अधिक पैसा गरीबों को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में पढ़ा था कि सरकार ऋण देने की प्रणाली में सुधार कर रही है और जो लोगों को दिक्कतें आती हैं उनको दूर कर रही है। मैं यह कहूंगा कि आप इस ऋण देने के कार्य को डीसेन्ट्रलाइज़ करें। आप, ऋण जिला विकास समितियें हैं, उनके आधार पर दें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो वे ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सुधार होगा।

इसके बाद में जो कुछ सरकार गाडोलिया लुहारों के लिये और पिछड़ी हुई जातियों के लिये काम कर रही है और इसके लिये चित्तौड़ में सरकार ने कारखाना कायम किया है जिसमें गाडोलिये लुहारों को काम दिलाया जावेगा। आपने बस्ती बनाई वहां पर लाखों रुपये लगाये। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि या तो आपने उन गाडोलिया लुहारों की क्या मनोवृत्ति है उसको नहीं समझा है या समझने की कोशिश नहीं की या समझने में सरकार असफल रही है और आज जो कुछ धन-राशि उनके नाम पर खर्च की जा रही है उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिल रहा है और जो कारखाना बनाया है उसमें वे लोग नहीं आते हैं। गाडोलिया लुहार उस कारखाने में काम करने नहीं आते फिर भी हम केवल उसको उनका नाम देना चाहते हैं और अगर कोई पूछे तो कह सकते हैं कि फलां कारखाना हमने उनके लिये खोला है। उनकी क्या मनोवृत्ति है और किस ढंग से काम कराया जा वह है उसको सबसे पहले देखने की चीज है ? आप कहते हैं कि हमने कारखाना बनाया। अगर आप देखेंगे तो आपको

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मालूम होगा कि उस कारखाने में कितने गाडोलिया लुहार काम करने जाते हैं, आपको बहुत कम पर्सेन्टेज मिलेगा । इसी प्रकार आपने बस्ती बनाई....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो हमारे देश की आवश्यकता क्या है, किस आधार-भूमि पर हमारा देश खड़ा है उसको नहीं समझते और इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और पैसे का दुरुपयोग होता है । लघु उद्योग हैं उनके लिये सरकार ने ५८ लाख रुपया रखा है वह बहुत कम है और सरकार को इसमें अधिक रुपयों का प्रावधान करना चाहिये और केवल खादी पर ही रुपया खर्च नहीं किया जाना । चाहिये सबसे ज्यादा रुपया खादी के लिये ही हो....

(घंटी)

अगर इसका प्रोविजन हो तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा ।

श्री सभापति : श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आप पांच मिनट में ही अपने भाषण को समाप्त करेंगे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है : "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के स्थानीय कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित तथा प्रोत्साहित करने पर बहस हेतु)" ।

सभापति महोदय, हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि हमारे देश में बेकारी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच गई है । हजारों, लाखों शिक्षित और अशिक्षित लोग रोजी-रोटी के लिये दर दर मारे मारे फिरते हैं और हमारी सरकार की ओर से भी इसके लिये कुछ व्यवस्था की जाती है लेकिन जिस संख्या में बेकारी और बेरोजगारी है उसको देखते हुए नगण्य सी हो रही है । खाली सेवाओं और दूसरे किसी प्रकार के कामों में लगा कर बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या है उसको कम नहीं कर सकते हैं । इसके लिये तो एक ही उपाय है जो लोगों को काम दे सके और वह है उद्योग-धन्धे । ये भी दो प्रकार के हैं । एक तो बड़े बड़े उद्योग धन्धे और दूसरे छोटे छोटे उद्योग-धन्धे । बड़े उद्योगों में तो हमारी सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये काफी रुपया लगा रही है । लेकिन मेरा यह विश्वास है कि बड़े उद्योगों से उत्पादन तो बहुत हो सकता है लेकिन इतने लोगों को धन्धा नहीं दिया जा सकता । इसलिये ज्यादा लोगों को धन्धा देने के लिये केवल एक ही साधन है और वह यह है कि हम अपने देश के छोटे २ कुटीर उद्योग जो पहले से हमारे देश में प्रचलित रहे हैं उनको पुनःजीवित करें । मैंने यह कटौती का प्रस्ताव भरतपुर जिले के नाम से रखा है । लेकिन यह सारे राजस्थान

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के लिए उपयुक्त हो सकता है। जो वहां के स्थानीय धन्धों के नाम से पहले काम चल रहे थे उनको पुनःजीवित किया जावे। भरतपुर का कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां ५० या ६० वर्षों पहले इस प्रकार के धन्धे नहीं चलते थे। खेती के अतिरिक्त लोग अपना दूसरा धन्धा करते थे और वे केवल खेती पर ही निर्भर नहीं रहते थे। मैं आपको इसके लिये कई मिसालें बता सकता हूं। भरतपुर में हाथी दांत और चन्दन के बहुत ऊंचे दर्जे का काम होता था। ये चीजें बड़ी बड़ी दूर जगहों पर जाती थीं। इसी प्रकार इसके आसपास खस पैदा बहुत होती है। खस को कच्चे रूप में भी प्रयोग किया जाता था और इसका इत्र बना कर भी बाहर भेजने की व्यवस्था थी। इसके पास कामरा और डीग के बीच में ५० गांवों में नमक पैदा होता था। आज से ६०,७० वर्ष पहले महाराजा के जमाने में इतना नमक पैदा होता था जो बहुत सस्ता पड़ता था। करीब १४ लाख मन नमक वहां पर पैदा होता था और वहां पर ५० हजार मजदूरों को इससे धन्धा मिलता था। उस समय भरतपुर की आबादी ७॥ लाख या ७ लाख थी और आज से २० वर्ष पूर्व बहुत कम, ५ लाख के लगभग हो गई थी। केवल २॥ लाख लोग इसलिये कम हो गये कि वहां से नमक का उद्योग बन्द कर दिया गया। आप देखेंगे कि आपके सांभर में उस समय जब वहां पर १४ लाख मन नमक पैदा होता था उस समय ६ लाख मन नमक पैदा होता था और सांभर के नाम से कीमत में भी भरतपुर का नमक सस्ता था और स्वास्थ्य के लिये भी वह बहुत प्रसिद्ध था। अपनी स्वच्छता और सस्तेपन के कारण वह उत्तर भारत की मंडियों में बहुत खपता था। आज वह काम बन्द पड़ा है। मैं समझता हूँ कि सरकार नमक के कुटीर उद्योग को पुनः चालू करे।

डीग में चमड़े और लोहे के और तिल्ली से तेल का कार्य होता था। बड़े बड़े कारखानों के सामने वह नष्ट होता जा रहा है।

इसी तरह नगर में मिट्टी के बर्तन, भूसावर की खादी बहुत प्रसिद्ध थी। रूपावास में पत्थर की वस्तुओं का काम बहुत चलता था। लेकिन आज वे प्रायः नष्ट होते जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आम तौर पर यह कहा जाता है कि हमने वहां पर वैगन फैक्ट्री बना दी। हम इसके लिये बड़े आभारी हैं, लेकिन मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप देखेंगे कि वहां पर वैगन फैक्ट्री में बाहर के लोगों को बहुत काम मिलता है और वहां के रहनेवालों को बहुत कम काम मिला है। इतना ही नहीं; यहां पर बाहर से पार्ट्स आकर जुड़ते हैं। अगर आपको ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना है तो छोटे २ उद्योग-धन्धों को आपको बढ़ाना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि भरतपुर में बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा।

आज के जमाने में मैं समझता हूं कि भरतपुर कागज़ बहुत अच्छा बना सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके लिये जिस चीज की जरूरत है

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वह वहां पर मौजूद हैं। चूंकि समय कम है, मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देगी तो बेकारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जावेगी और खास तौर से भरतपुर के लिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह इस प्रकार है: "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोले जाने पर बहस करने हेतु)"

यह इलाका सब तरह से बैकवर्ड है। वहां पर डेवलपमेंट के काम बहुत कम चल रहे हैं और बहुत कम गुंजायश है। इसके अलावा वहां पर एक फसल होती है और दूसरी पैदावार बहुत कम है। अगर ऐसे पिछड़े हुए इलाके में इण्डस्ट्रियल इस्टेट खोल कर काम चालू करावें तो इसका डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे झुंझुनूं के निवासी इस इण्डस्ट्री के मामले में काफी दिलचस्पी रखते हैं और उसका नमूना आप देखते हैं कि हमारे जिले के बहुत से उद्योग-पतियों ने बाहर जाकर अच्छी २ मिलें स्थापित की हैं। पूंजीपति बाहर जाकर मिलें स्थापित कर सकते हैं लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाती है कि वह बाहर जाकर मिलें स्थापित करे। उन छोटे २ उद्योगपतियों के लिए जो बड़े २ उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं और न करना चाहते हैं उनके लिए इन्डस्ट्रियल सेक्टर खोला जाकर उनको सहायता दी जाय तो काफी उद्योग-धन्धे वहां पर चल सकते हैं। खास तौर पर वहां पर ऊन का अच्छा धन्धा चल सकता है। ऊन का बड़ा भाग झुंझुनूं के क्षेत्र में पैदा होता है लेकिन वहां पर ऊन की इन्डस्ट्री के लिए सहूलियत न होने के कारण बाहर चली जाती है और हम हमारे उस धन को उपयोग में नहीं ला सकते। ऊन का ग्रेडेशन हो सकता है, सफाई करने के लिए कपड़े, बनाने के लिए वहां पर इसकी इन्डस्ट्री चल सकती है। लेकिन सहूलियत नहीं होने से नहीं चल सकती हैं। हड्डियों का है—इसका भी एक कारखाना चल सकता है।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां भाखरा से बिजली आने वाली है। उसकी इस साल के अन्त तक उम्मीद करते हैं। यदि झुंझुनूं को भाखरा से इस साल बिजली मिल सकती है तो छोटी २ इन्डस्ट्रीज़ के खुलने की बड़ी गुन्जाइश हो सकती है और उसको इन्डस्ट्रियल सेक्टर के जरिये से या अन्य जरियों से इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो मजदूरों को जिला छोड़ कर बाहर जाना पड़ेगा। हमारे यहां के आज भी बहुत से बेकार लोग बाहर भाखड़ा आदि दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। आज उनके सामने वहां पर उद्योग-धन्धे न होने से रोजी कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। यदि वहां पर इन्डस्ट्रीज़ को पनपायें तो उन बेकारों को वहां पर रहने के लिए स्थान मिल जाय, उनकी कमाई हो

(श्री शिवनाथसिंह)

जाय। यदि सहूलियतें नहीं मिलती हैं तो उन निवासियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। इन्डस्ट्रीज़ भी लोग लगाना चाहते हैं लेकिन गुन्जाइश न होने से, सहूलियतें न होने से नहीं लगा पाते। इस तरह से साधन होते हुए भी वहां पर इन्डस्ट्रीज़ नहीं पनप रही हैं। इसलिए इन्डस्ट्रियल सेक्टर की स्कीम लागू करके सहूलियतें दी जांय जिससे कि वहां पर छोटी २ इन्डस्ट्रीज़ पनप सकें।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव इस आशय से रखा है कि इस कटौती प्रस्ताव द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि राजस्थान सरकार ने चर्म उद्योग के क्षेत्र में प्रचुर साधन होते हुए भी इस उद्योग के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सभापति महोदय, वैसे तो यदि यह देखा जाय कि राजस्थान सरकार ने उद्योग क्षेत्र में अब तक कितना विकास किया है, इसके लिए मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि यदि न्यायपूर्वक देखा जाय तो राजस्थान सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में अभी कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। सरकार ने जो कुछ इन्डस्ट्रियल सेक्टर में विकास कार्य किये हैं वे कार्य एक सीमित जनता तक के लिए ही लाभदायक सिद्ध हुए हैं। हम तो यह चाहते हैं कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में, प्राकृतिक सम्पत्ति का प्रचुर भंडार है वहां पर ऐसे उद्योगों का विकास होना चाहिये जिनसे राजस्थानी जनता के अधिक से अधिक भाग को लाभ पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा कि इस दिशा में राजस्थान सरकार अभी तक ज्यादा कार्य नहीं कर सकी है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय योजना करीब २ खत्म होने को है और दस वर्ष में इस राजस्थान के प्राकृतिक साधनों के विकास में राजस्थान सरकार कितनी कामयाब हुई है, इसका सच्चा चित्रण यदि आप चाहें तो यह राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग से मिल सकता है। उद्योग ऐसी चीजें हैं यदि उनका समूचे तौर पर और भलीभांति विकास किया जाय तो राजस्थान का बहुमुखी विकास का चित्र प्रकट हो सकता है। यदि किसी प्रान्त में उद्योग विकसित हों तो यह नतीजा निकल सकता है कि वहां पर उस राज्य के प्राकृतिक साधनों का विकास हुआ है। जिस राज्य में उद्योगों का विकास हुआ है तो यह नतीजा निकाल सकते हैं कि वहां पर बेकारी नहीं है और वहां की जनता बड़ी सजग है और उस राज्य की प्राकृतिक सम्पदा का विकास....

(घंटी)

हुआ है। तो मैं यह कहूंगा कि इस ओर भी राजस्थान सरकार को चाहिये कि उसने विकास इस मायने में किया है उसका सच्चा और सही चित्रण, सही रूप में भारत के दूसरे राज्यों के सामने लाने के लिए भारी प्रयत्न करना चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि इस राज्य में कितने उद्योगों का विकास भली भांति हुआ है।

(घंटी)

मेरा कटौती प्रस्ताव चर्म उद्योग के विषय में था। मैं चाहता था कि इस विषय में मुझे समय ज्यादा मिलता लेकिन चूंकि

(श्री रामचन्द्र)

समय का अभाव है इसके लिए विशेष निवेदन नहीं करता हुआ मैं केवल इसको शीर्षक के रूप में ही रख देना चाहूंगा ।

(घंटी)

सभापति महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में चमड़े के उद्योग के प्रचुर साधन होते हुए भी राजस्थान सरकार ने इस उद्योग के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में इस उद्योग के लिये कितनी सम्पदा भरी पड़ी है। किसी भी धन्धे को चलाने के लिये कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहां पर हमारे राजस्थान में इस कच्चे माल का प्रचुर भंडार मौजूद है। राजस्थान राज्य ऐसा है कि जहां पर पशुपालन का काम विशेष रूप से किया जाता है और खेती बाड़ी का भी काम विशेष रूप से किया जाता है। जिस राज्य में पशुपालन पर विशेष जोर दिया गया हो, जहां पर खेती बाड़ी का प्रधान साधन उपलब्ध हो और लोगों का मुख्य धन्धा हो तो वहां पर लाज़िमी तौर पर कच्चा चमड़ा मिलना अनिवार्य है। इस कच्चे चमड़े को आज बाहर भेज दिया जाता है। राजस्थान में चमड़े रंगने के वास्ते साधनों की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। वह राजस्थान में बहुतायत से मौजूद हैं क्योंकि यहां पर जंगलों की भरमार है। यहां पर इस पदार्थ का प्रचुर भंडार होने पर भी राजस्थान में चमड़े का टेनिंग उद्योग न होने से यहां का कच्चा चमड़ा टेनिंग के लिए बाहर; यू. पी., बंगाल, मद्रास में भेज दिया जाता है जहां कि चमड़े के कारखाने मौजूद हैं। चमड़े के साधन होते हुए भी राजस्थान सरकार उन साधनों का उपयोग नहीं कर रही है। तीसरा प्रश्न मजदूरों का आता है! मजदूर भी इसके लिए काफी हैं राजस्थान में। १०, १२ लाख परिवारों का यह पारिवारिक धन्धा है कि जो चमड़े के रंगने का काम करते हैं। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं तो एक तरह से राजस्थान सरकार की कमजोरी महसूस करता हूं। माननीय सभापति महोदय ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे एक मिनट के लिए ही बोल लेने दीजिये।

श्री सभापति : समय का अभाव है।

श्री रामचन्द्र : मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और वह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चमड़े का धंधा करने वाले, चमड़े को रंगने वाले चमार-मोची होते हैं, वे यह धंधा करते हैं। जब से समाज-सुधार की लहर चली है उन लोगों में भी यह भावना पैदा हो गई है कि हमारी गिरावट का कारण चमड़े का धन्धा करना है। आज वे इस धन्धे को छोड़ते जा रहे हैं। राजस्थान में यदि चर्म उद्योग को स्वच्छ रूप से आरम्भ नहीं किया गया तो मैं आपके जरिये राजस्थान सरकार को आगाह किये देता हूँ कि यह धन्धा दिन पर दिन गिरता जावेगा और एक दिन यह होगा कि फिर राजस्थान सरकार को इस समस्या को सुलझाने के लिए नये तौर पर प्रयत्न करना होगा। मैं एक वार्निंग के तौर पर राजस्थान सरकार को कह देना चाहता हूं कि चर्म उद्योग राजस्थान का मुख्य धन्धा हो सकता

(श्री रामचन्द्र)

है उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

(घंटी)

कुछ और बाकी रह गया है, समय नहीं है इस कारण फिर कभी अर्ज करूंगा ।

श्री सभापति : Hon'ble Minister in-charge of Commerce and Indust-ries Department.

(विराम)

I will request the Minister incharge to conslidote his debate within 15 minutes if possible.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, अब तो सिर्फ दो सदस्य ही बोलने से रह गये हैं, हमको भी पांच–पांच मिनट दिये जांय । हम पांच मिनट में ही खत्म कर देंगे ।

श्री सभापति : Order Please. The Hon'ble Minister will please reply.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सदस्यों ने अपने अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा जो सुझाव और जो इस विभाग में खामियां हैं वे बतायी हैं । पहले फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहा है पहले मैं उसी पर कुछ कहूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी के उत्पादन के लिये जो संस्थायें चल रही हैं उनके बारे में कहा खादी, उत्पादन जो होना चाहिये उसके बारे में भी कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है । लेकिन आज देश जिस नीति को मद्देनजर रखते हुए चल रहा है, उसमें यह निर्विवाद बात है कि देश का औद्योगीकरण सिर्फ बड़े कारखानों के लगाने से नहीं हो सकता, इसके साथ साथ लघु उद्योग और ग्रामोद्योगों को भी साथ साथ चलाना होगा । यह अवस्था सिर्फ भारतवर्ष की ही नहीं उन बड़े बड़े देशों के अन्दर भी है जो आज उद्योग–धंधों में काफी बड़े गिने जाते है, जिन्होंने इस बारे में काफी तरक्की है जैसे जापान, अमेरिका । इन देशों में भी ऐसी बात नहीं कि वहां पर सिर्फ बड़े बड़े उद्योग–धंधे ही चलते हों छोटे से छोटे कुटीर उद्योग भी उसी प्रकार चलते हैं । इसलिये हरएक देश की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर किस प्रकार की कन्डीशान है, इसको देखते हुए यह निर्धारित करना पड़ता है कि हम हमारे यहां के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को एम्पलॉयमेन्ट दे सकें और इसलिये हम किस किस प्रकार के उद्योग हमारे यहां चला सकते हैं, यह देखना होता है ।

जहां तक खादी के उत्पादन का सवाल है इसी से तो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है । इसको हम यह मान कर चले हैं कि इससे हमारे लाखों आदमी धन्धे में लगे हुए हैं और इसी खादी के कार्य के अन्दर जो धन्धे में लगे हुए हैं उनको बेरोजगार कर देना मुश्किल बात नजर आती है । कहा यह जाता है कि एक ओर मिलें चलती हैं दूसरी ओर खादी चलती है और तीसरी ओर हैन्डलूम का कार्य चलता है, यह इस प्रकार के उद्योग हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं,

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

साथ साथ नहीं चलाये जा सकते, यह बात सही नहीं। हैन्डलूम इण्डस्ट्री ने आज जिस प्रकार की प्रगति की है वह आप सब को मालूम है। हमारे मिलों में जो उत्पादन होता है वह बाहरी देशों में भी जाता है इसी पर वह एग्ज़िस्ट भी कर रहा है। साथ साथ हमारा खादी का उत्पादन भी बढ़ा है और लोगों को काफी रोजगार मिला है। इस प्रकार से सारे धन्धे हमारे चल रहे हैं।

सवाल यह रह जाता है, जैसा कि सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I came from Phulera.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I stand for correction.

इस प्रकार माननीय सदस्य ने जो फुलेरा से आते हैं उन्होंने खादी के अन्दर कमियां बतलाईं। मैं समझता हूं इसी बिना पर यह कह देना कि इस सारे उद्योग की उपयोगिता नहीं है, यह उचित नहीं है। इसमें कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है किसी संस्था का कार्य ठीक प्रकार से न हो, किसी संस्था के अन्दर गल्त कार्य हो सकता है; इस वास्ते यह कह देना कि जो यह देश व्यापी उद्योग है उसे प्रोत्साहन न दिया जावे, इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि आपने बताया वैसी स्थिति सब जगह की नहीं है। बहुत सारी ऐसी संस्थायें भी चल रही हैं। जिनको हमने एड या सब्सिडी दी है उनका उन्होंने सही उपयोग भी किया है। मैं आपका आभारी हूंगा आप यदि उन संस्थाओं को बतायें जहां पैसे का दुरुपयोग हुआ है, वे दोषी हैं और उनका सुधार होना चाहिये।

३. ५६ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

दूसरी बात यह भी कही गई कि सब्सिडाइज्ड इण्डस्ट्रीज़ किसी देश में नहीं चलती हैं। हमारे देश में जो उद्योग चल रहे हैं वे केवल सब्सिडीज़ के कारण चलते हों, यह बात नहीं। हर इन्डस्ट्रीज जो ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में है हमें उसे सहायता के रूप में कुछ देना पड़ता है और वह क्या हो सकता है इसकी डिफ्रेन्ट स्टेज हो सकती है। समय पर सब्सिडाइज्ड–एड बदली भी जा सकती है, उसमें परिवर्त्तन लाया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है। ज्यों ज्यों ये उद्योग–धन्धे अपने पांवों पर खड़े होते जायेंगे हम उनको जो सब्सिडी देते हैं उसे कम करते जावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : सब्सिडी इनीशियल स्टेज पर दी जाती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : We are still in infancy. We are not developed to that stage at all.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या खादी इन्डस्ट्री विकासोन्मुख है ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will please continue the debate.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो मैं यह

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

निवेदन कर रहा था कि जो जो खामियां माननीय सदस्य ने बतायीं साधारणतया. मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। खादी इन्डस्ट्री को जो हम छूट दे रहे हैं इस प्रकार की छूट न दे कर, हो सकता है वह आगे जाकर पनप न सके, यह तो एग्ज़ामिन करने की बात है; कम्पीटीशन में स्टेण्ड करनी चाहिये, यह सही बात है। आखिर बहुत अर्से तक तो ऐसा चलाया नहीं जा सकता। ज्यों ज्यों समय समय पर यह ध्यान में आता जायगा इसके ऊपर ऑल इण्डिया बेसिस पर जो निर्णय होंगे उसी प्रकार हम भी करेंगे। चूंकि समय नहीं है, इसलिये मैं ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चहाता।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन बातों के बारे में कहा कुछ इन्डस्ट्रीज वहां की बन्द हैं उनमें ऐसा कारण था कि धौलपुर में जो उदयमान इन्डस्ट्री लगाई थी वह प्राइवेट सैक्टर द्वारा लगायी गई है उसमें फाइनेन्शियल डिफिकल्टी होने की वजह से वह ट्रबल में आयी, अस्त-व्यस्त हालत में है।

जहां तक तेल मिलों का सवाल है उसके लिये माल पूरा नहीं मिलता। जैसा कि धौलपुर, भरतपुर सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां की ऑइल मिल्स के क्लोज़ होने के कारण है सीड की कमी। इस सर्वे रिपोर्ट में उन बातों का उल्लेख है जिस कारण ये मिलें बन्द पड़ी हैं कुछ डिफिकल्टीज़ थीं इस वजह से ये मिलें नहीं चलीं।

छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग या ग्राम उद्योग जिनमें सरकार सिर्फ एक हैल्पिंग हैंड होती है और प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ या तो कन्सेशन के रूप में या अन्य प्रकार से हैल्प करती है। पर आखिर में उनके चलाने के लिये तो प्राइवेट सैक्टर ही आवेगा सामने। उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनमें या तो उनको चलाने की क्षमता न हो, या पैसा न हो या गलत तरीके से, तजुर्बा न होने से चला कर नुकसान उठा लेते हैं और उनके पास टैक्निकल हैन्ड्स न होने से ये उद्योग बन्द हो जावें तो वह हो सकता है; पर आज उसका सारा दोष सरकार पर लगाना ठीक नहीं। अगर वे सामूहिक रूप से बन्द होते हैं तो इन्क्वायरी करके सरकार उन्हें मदद देकर चलाये जाने की बात सोच सकती है पर जहां पर चलाये जाने का मतलब यह है कि उनको मदद दी जावे तो मदद थोड़ी बहुत दे सकती है पर इन्डिविजुअल केसेज़ में तो उन्हीं को देखना चाहिये कि मामला क्या है ?

जहां तक धौलपुर में इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का सवाल है हमने निश्चय यह किया है कि हम अगले साल में इसका कार्य शुरू करेंगे।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। यह कहा गया कि छोटे–छोटे उद्योग-धन्धों को आयर्न और स्टील का कोटा ४०–४५ को दे दिया गया जब कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन चार-पांच या छः फर्मों का ही था। उनकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करूं कि अब तक केवल तीन पार्टी को आयर्न और स्टील का कोटा मिला है, बाकी को तो अभी कोटा ही नहीं मिला क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो कोटा सर्टीफिकेट उनको दिया जाता है उसे वे प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं और उसके बाद

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कोई ६-१० महीनों बाद उसका माल मिलता है ।

श्री पी० के० चौधरी : ५७-५८ की लिस्ट है मेरे पास ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिन इन्डस्ट्रियल इन्स्टिट्युटों के बारे में जिक्र किया गया और जिनके नाम बताये गये उनमें से मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार सिर्फ ३ पार्टियों को कोटा मिला है। कुछ कोटा का माल मिला है और बाकी को अभी मिला ही नहीं। सर्टिफिकेट जरूर इश्यू किये गये हैं। तो यह तो निश्चित बात है कि आप लघु उद्योगों को जिनका कि रॉ मैटीरियल आयर्न और स्टील है तो उसके बारे में प्रबन्ध तो देने का सरकार को करना पड़ता है आपका यह कहना सही है कि वे व्यक्ति उस रॉ मैटीरियल को लेकर उससे तैयार माल न बना कर ब्लैक मार्केट में जो बचते हैं तो उनको जरूर चैक किया जाना चाहिये। यह सरकार मानती है, उनको जरूर पीनेलाइज़ करना चाहिये ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वही तो बात कही मैंने ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप जनरलाइजेशन कर देती हैं ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आप नाराज़ क्यों होते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप इन्डिविजुअल केसेज़ लाइये। अगर वहां साबित हों तो पीनेलाइज़ कर सकते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : आप चैक करिये, उनके पॉवर कन्ज़म्पशन को ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सही है जिनको कोटा मिला है और कोटा का माल मिला है उसका प्रोडक्शन चैक किया जाना चाहिये । किसके पास में जाकर बेचा उस आदमी के पास का हिसाब जांचें, उसकी बुक्स ऑफ अकॉउन्ट्स चैक करिये, उसका मीटर कन्ज़म्पशन कितना होना चाहिये, कितना है; ये सारी की सारी चैकिंग के लिए वाजिब बातें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Only one minite more.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो यह इस तरह से हुआ ।

श्री पी. के. चौधरी : सांभर के लिए बता दीजिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझे अफसोस है कि सांभर में अगले साल इन्डस्ट्रियल एस्टेट नहीं हो सकेगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन के सीलिंग के अनुसार ही हम कर सकते हैं, उसी सीमा में कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते ।

श्री जनार्दनराय नागर : दो मिनट हो गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will please take only one minute in winding up his speech.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक पार्टी को लाइसेन्स के लिये रिकमन्ड किया था सोडा

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

एश का प्लान्ट लगाने के लिये और जैसा आपने कहा हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी इसको करेगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस पार्टी को दिया था, बराबर परशुएड वह कर रही है। यदि वह फेल होती है किसी तरह से तो और किसी न किसी प्रकार से करना है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी सांभर स्वयं गया था। और भी पार्टियों से बातचीत की थी और भी प्राइवेट पार्टियों को हम परशुएड कर रहे हैं। सोडा एश का प्लान्ट वहां लगे, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे अफसोस है कि समय नहीं होने की वजह से टोंक के बारे में जो बातें कही गई उनका विस्तार से जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर फिर भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें कुटीर उद्योग वहां चल रहे हैं। लेकिन यह सही है कि बहुत बड़ा उद्योग वहां पर स्थापित नहीं हो सका। यह तो हरएक जगह पर जैसा मैंने निवेदन किया राजस्थान में औद्योगीकरण की दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट पार्टी टोंक में उद्योग लगाना चाहे तो हमें ऐतराज नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of Order Sri. it is guillotine time...

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी मांगों के सम्बन्ध में मैं मुखबन्ध का प्रयोग करता हूँ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,९९,५५, ३००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २१ स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुखबन्ध

मांग संख्या १८-कृषि

शेष मांगों पर मत दान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, ५८, ८७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १९–पशुपालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४१–पशु–पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८९, ८३,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४-सिंचन नौचालन, तट बन्धन आदि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य

(श्री उपाध्यक्ष)

शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ तक समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,००,२८,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २-राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५३, ४९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३-स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३, १७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ५-पंजीयन (Registration)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११-पंजीयन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६-वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १२-वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,२७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ७-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १२ 'का' बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले, वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४८,५७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई ।

Page No.99

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्य ८-अन्य कर तथा महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०८,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९ व १८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १७-सिंचन, नौचालन तट बन्धन, तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) कार्य वाहन व्यय तथा अन्य राजस्व व्यय जिनके लिए साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, तथा १८ सिंचन (संयुक्त) स्थापना, औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०१,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०-सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,६०,६१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,२६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ११ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १२-कारागृह

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,५७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३-पुलिस

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

१९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,३५,५५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १४-वैज्ञानिक

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,८६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २०-सहकारिता

प्रश्न यह कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७२,१७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २० स्वीकार की गई।

मांग संख्या २२-विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४७-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४७,२६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४-बहु प्रयोजन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५१ बी-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,८४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २५-दुर्भिक्ष

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष से संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,४०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य

Page No.101

(श्री उपाध्यक्ष)

शीर्षक ५४ ए-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २८-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५५-व ५५-क अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन अन्य सरकारों और विभागों से के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,०३,१९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २९-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२, ७५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३०-विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८३,४१,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१-असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order, Sir, सदन में नवनीत आ गया....

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be any Point Of Order when the Chair is putting the demands to vote.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think the Hon'ble Member should be asked

(श्री श्रोभानसिंह)

to withdraw his Point Of Order. It is an aspersion on the Chair to raise a Point Of Order when the Chair is on its legs.

श्री उपाध्यक्ष : It could not attract my attention. I don't recognise the Point Of Order.

मांग संख्या ३३-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फल-स्वरूप हानि-पूर्त्ति देय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई।

मां गसंख्या ३५-जन-स्वास्थ्य सुधार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७०-जन स्वास्थ्य-सुधार पर पूंजी लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४२,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६-कृषि सुधार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७१-कृषि-सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,८०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६८,५३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३८ राजस्व लेके से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत-नागरिक निर्माण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

Page No.103

(श्री उपाध्याय)

६,५०,५४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३८ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३९-राजस्व लेखों से बाहर अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ८२-राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४०-सड़कों तथा जल परिवाहन योजना पर राजस्व लेखे बाहर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ८२-ख-सड़कों तथा जल परिवाहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४१-निवृत्ति वेतनों की सेराशियों के भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की सराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकृत की गई।

मांग संख्या ४२-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ८५-का-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८६,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४३--राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक-ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,३५,२५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६०

(पुरःस्थापन)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय....

कई माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है ? वित्त मन्त्री महोदय कहां गये ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point Of Order, Sir, यह क्या पेश हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप सुनने के बाद ऐतराज करें।

श्री उपाध्यक्ष : He is introducing the Appropriation Bill.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No/Sir, the Finance Minister should present the Appropriation Bill.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Every Minister can do it.

श्री श्रीभानसिंह : That is all right, but there has been a definite ruling from the Chair that the budget and financial matters should be presented by the Finance Minister.

श्री बी० एन० जोशी (बांदी कुई) : On a Point Of Information, Sir, I may submit that in accordance with our Rules of Procedure, the term 'Finance Minister' 'means and includes any Minister.

श्री श्रीभानसिंह : That is known. But there has been a ruling here in the House.

श्री उपाध्यक्ष : There was no ruling as such, but it was a sort of direction to the member of the Treasury Benches.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार का निर्णय कर चुके हैं।

श्री पी० के० चौधरी : That direction should be respected. Direction is enough.

श्री उपाध्यक्ष : I hope it will be respected in future.

श्री पी० के० चौधरी : The Government should give full respect to to the directions of the Chair.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : एप्रोप्रियेशन बिल एक महत्वपूर्ण बिल होता है। वह माननीय वित्त मन्त्री महोदय को पेश करना चाहिये। (वित्त मन्त्री महोदय को आता हुआ देख कर) वे आ रहे हैं। Thank you very much.

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : I think his presence will solve the tangle.

श्री पी० के० चौधरी : When he was present in the House, he should have had the courtesy to come and present the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I mean a little thing disturbs the whole House for nothing.

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६० को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. २५ बजे शनिवार, दिनांक २६ मार्च, १६६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित गई।)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों की सूची	४६५७		

श्री सत्संगी, इन्जीनियर के विरुद्ध चल रहे मामलों में जांच ।

सिरोही जिले में चर्म उद्योग हेतु हरिजनों को प्रदत्त ऋण ।

श्री गुप्ता, एस.पी. भीलवाड़ा द्वारा गिरफ्तारियां ।

विकास अधिकारियों में परिगणित जाति एवं जन जाति व्यक्तियों की नियुक्ति ।

बलात्कार के मुकदमे ।

विश्व कृषि-प्रदर्शनी, दिल्ली में निर्मित राजस्थान पैवेलियन का गेट ।

कोटा जिले में विस्तार सेवा खण्डों की स्थापना ।

झालावाड़ में मकसूम नामक कैदी की जेल के बाहर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी ।

खेरड़ा, कलासिया तथा सराड़ा शैडो ब्लॉक्स में विकास–कार्य पर हुआ खर्चा ।

समाज कल्याण विभाग को प्रदत्त गाड़ियों पर खर्चा ।

पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा योजना के तहत अलाउन्स ।

सिरोही जिले की हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण-कारी कार्य ।

अधिकार प्रेस के कर्मचारियों तथा कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार करते समय उनके हथकड़ी डालना ।

धौलपुर उप-जिले की माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को निश्चित ग्रेड ।

केन्द्रीय जेलों के लिए सलाहकार समितियां ।

चूरू जिले की राजगढ़ तथा तारानगर तहसील पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्त्ति ।

टायरों का कन्ट्रोल ।

महाराजा कॉलेज, जयपुर के शिडयूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को स्कौलरशिप्स ।

डिस्ट्रिक्ट सशियल वैलफेयर बोर्ड, उदयपुर के सुझावों पर सरकार द्वारा कार्यवाही ।

४ मेड़ता सब-डिविजन के खंगारदान नामक रेवेन्यू पटवारी की स्त्री की मृत्यु का मामला ।

भरतपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्चा ।

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन ५००४

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा ६ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये ।

श्री सम्पतराम मंत्री, वन विभाग के उत्तर के पश्चात् इस मांग पर प्रस्तुत कुल ४३ कटौती प्रस्तावों में से १६ प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए ।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय ५०७६

उपरोक्त मांग श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर २३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

उद्योग मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

तदुपरान्त मुखबन्ध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई :–

क्र. सं. १	मांग सं. २	मुख्य शीर्षक ३
१.	१८	४०-कृषि
२.	१९	४१-पशु-पालन ।
३.	३४	६८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ८०का-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
४.	२	८-राजकीय आबकारी कर ।
५.	३	९-स्टाम्प्स ।
६.	५	११ पंजीयन ।
७.	६	१२-वाहनों पर कर ।
८.	७	१२का-बिक्री कर ।

Page No.108

स्कम्भ स्कम्भ

९. ८ १३-अन्य कर और महसूल।

१०. ९ १७ व १८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) कार्यवाहक व्यय आदि आदि।

११. १० २५-सामान्य प्रशासन।

१२. ११ २७-न्याय प्रशासन।

१३. १२ २८-कारागृह।

१४. १३ २९-पुलिस।

१५. १४ ३६-वैज्ञानिक विभाग।

१६. २० ४२-सहकारिता।

१७. २२ ४७-विविध विभाग।

१८. २४ ५१-खा-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं से संबंधी अन्य राजस्व व्यय।

१९. २५ ५४-दुर्भिक्ष।

२०. २६ ५४-का—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन।

२१. २८ ५५-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन ५५-का-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशि—दान।

२२. २९ ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण।

२३. ३० ५७-विविध।

२४. ३१ ६३—असाधारण व्यय।

२५. ३३ ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय।

२६. ३५ ७०-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।

२७. ३६ ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत।

२८. ३७ ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

२९. ३८ ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा।

३०. ३९ ८२-राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा।

३१. ४० ८२-खा-सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत।

३२. ४१ ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान।

स्कम्भ स्कम्भ

३३. ४२ ८५-का-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत।

३४. ४३ ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री हरिभाऊ उपध्याय, वित्त मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित किया।

शनिवार, दिनांक २६ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६०

(विचार-विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ का उत्तर देखिये)

उदयपुर जिले के सराड़ा, खेरवाड़ा, कलालिया छाया खण्डों (शैडो ब्लॉक्स) में २ अक्टूबर, सन् १६५६ से अब तक हुए विकास कार्यों व उन पर खर्च हुई रकम की सूची :—

क्रम संख्या	सराड़ा विकास कार्यों का विवरण	खर्च हुई रकम
१	२	३
	जल कष्ट निवारण योजना	
१	(१) ग्राम थाना में बावड़ी	४१६)
	(२) बगतड़ा में (१) नारायण बावड़ी पावन्ड में (२) मोती बावड़ी	४१६)
	(३) सराडा भिस्ती वाली हुई	४२४)
	(४) भाडोल में मोती बावड़ी	४१६)
	(५) केवड़ों की कुई थाना	४१६)
	(६) कुण्डा में हनुमानजी की कुई	४१६)
	(७) प्रसाद में श्रा० नं० १६४६ श्रा० नं० १६५६	४१६)
	(८) जाम्बूड़ा नाड़ा कला की बावड़ी	४१६)
	(९) ग्राम वडांवली में बावड़ी	४१६)
	(१०) ग्राम केवड़ा कलां में बावड़ी	४१६)
	(११) भीमपुर में बावड़ी	४१६)
	(१२) जावद में बावड़ी	४१६)
	लोकल डेवलपमेन्ट कार्य	
	(१) स्कूल भवन डिगरी	३००)

१	२	३
	(२) स्कूल भवन उदयपुरिया	५००)
	(३) ,, ,, जूनाबाना	३००)
	(४) ,, ,, पाडला	३००)
	(५) ,, ,, डायली	३००)
	(६) ,, ,, त्रिरपुरा	४००)
	(७) ,, ,, बटूका	२००)
	(८) ,, ,, शक्तावतों का गुड़ा	५००)
	(९) ,, ,, आछनठारा	२००)
	(१०) ,, ,, पाल छिम्बोदा	२००)
	(११) ,, ,, परसाद	४००)
	(१२) ,, ,, जोधपुरिया	३००)
	(१३) ,, ,, सेमाल	३००)
	(१४) ,, ,, केजड़	४,०००)
	(१५) ,, ,, खगतड़ा	१,०००)
	(१६) ,, ,, डेलवास	५००)
	(१७) ,, ,, थाना	३००)
	सार्वजनिक सड़कें (मार्ग)	
	(१) खेमारी से रठोड़ा सड़क	१,०००)
	(२) धन का पाड़ा से बलूबा ,,	१,०००)
	(३) बेजपुर से झाडोल ,,	१,०००)
	(४) थाना से नठारा ,,	५००)
	(५) लछाड़ा से थरोड़ा ,,	१,५००)
	(६) रिखबदेव तक जानी वाली सड़क के कराडू ग्राम तक ,,	५००)

१	२	३	४
	(७) चावण्ड माताजी से गांव सड़क तक	,,	१,०००)
	(८) परसाद गांव से खरवड़	,,	५००)
	(९) परसाद से पावन्ड डावली डिगरी	,,	२,०००)
	सार्वजनिक तालाब		
	(१) बावन्ड रु० भातछाई	,,	१,०००)
	खेरवाड़ा		
	डेवलपमेन्ट		
	(१) ग्राम खेरवाड़ा में सराय मरम्मत हेतु		१,५००)
	(२) छानी पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु		१,०००)
	(३) ,, थाना गांधी पार्क हेतु		१,०००)
	(४) ,, करावाड़ा पंचायत भवन निर्माण हेतु		१,०००)
	(५) ,, कल्याणपुर औषधालय भवन निर्माण हेतु		१,०००)
	(६) ,, जवाड ग्राम्य में कूप निर्माण हेतु		१,०००)
	(७) ,, बावलवाड़ा औषधालय भवन निर्माण हेतु		१,०००)
	(८) ,, पाटीय झांझरी ग्राम में कूप निर्माण हेतु		१,०००)
	(९) ,, रिखबदेव		१,०००)
	ग्राम जल-प्रदाय योजना		
	(१) कूप बाजल वाड़ा		२००)
	(२) ,, सरेरा कला भाटीया		३००)

१	२	३
	(३) कूपा खाड़ी उवरी	१५०)
	(४) ,, सपलाई पानवा	५००)
	(५) ,, मौजा ढ़ेपुर	४००)
	(६) ,, झुथरी पंचायत, जबास	२५०)
	(७) ,, ,, ,, ,,	६००)
	(८) ,, थरोटी पंचायत, आसलवाड़ा	२००)
	(९) ,, डेवाबाड़ा ,, ,,	४००)
	(१०) ,, करावाड़ा पंचायत	१,०००)
	(११) ,, ,, टोकर पहाड़ा	१,०००)
	सिंचन	
	(१) रजोल तालाब हेतु	४,०००)
	अन्य ग्राम्य तालाब	
	(१) तालाब बलीया	५००)
	(२) ,, नगरे	५००)
	समाज कल्याण	
	(१) झुथरी घाटा की सड़क	४,५००)
	(२) कल्यापुर से भगारे सड़क	४,५००)
	(३) सिंचाई के आदिवासी कृषकों को १८ व्यक्तियों को प्रति कुंआ ५००) रु०	९,०००)
	कलाडिया (झाडोल)	
	सड़क	
	(१) ग्राम झाडोल से केथरिया तक सड़क हेतु	२,०००)
	(२) ग्राम दमाना से कमल थाना तक सड़क हेतु	२,०००)

१	२	३
	(३) ग्राम कोल्यारी से फलासिया तक सड़क हेतु	१,०००)
	,, ,, ,, बिरोठी तक सड़क हेतु	१,०००)
	(४) ,, गोराना से झाडोल तक सड़क हेतु	१,०००)
	(५) ,, बागपुरा से पालीयाखेड़ा तक सड़क हेतु	२,०००)
	कूप	
	(१) ग्राम झाडोल में कूप हेतु	२,१००)
	(२) ,, खारवड ,, ,, ,,	४००)
	(३) ,, ननामा की नाल ,, ,,	५००)
	(४) ,, अटाटीया ,, ,, ,,	१,०००)
	(५) ,, गोराना ,, ,, ,,	१,०००)
	एनीकट	
	(१) ग्राम नकम्बा में एनीकट हेतु	४,५००)
	(२) ,, सारीया ,, ,, ,,	४,५००)
	(३) ,, पीथल बारा ,, ,,	१,०००)
	पंचायतों को अनुदान	
	(१) ग्राम झाडोल	१,०००)
	(२) ,, खालड़	१,०००)
	(३) ,, कोल्यारी	१,०००)
	(४) ,, फलासिया	१,०००)
	(५) ,, ओगना	१,०००)

१	२	३
	(६) ग्राम गोराना	१,०००)
	(७) ,, बागपुरा	१,०००)
	(८) ,, भादड़ी	१,०००)
	(९) ,, डेमा	१,०००)
	एग्रीकल्चर मशीन खरीदने हेतु	
	(१) ग्राम कोल्यारी	२००)
	(२) ,, गोराना	२००)
	(३) ,, बागपुरा	२००)

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ का उत्तर देखिये)

प्रत्येक गाड़ी पर प्रति वर्ष हुये खर्चे की सूची
जिसमें पैट्रोल, मोबिल ऑइल, टीयर वेयर, मरम्मत, स्पेशल पार्ट्स आदि सम्मिलित हैं।

क्र० सं०	स्थान व किस्म गाड़ी	स्कीम का नाम जिसके अन्तर्गत गाड़ी स्वीकृत है।	अधिकारी जिसके अधिकार में गाड़ी कार्य कर रही है।	वर्ष और खर्च की गई रकम ५६—५७	५७—५८	५८—५९
१	२	३	४	५	६	७
				रु०	रु०	रु०
१.	उदयपुर–पब्लिसिटी वाहन		सहायक संचालक, उदयपुर	२,६८०	३,००७	२,८२४
२.	उदयपुर–पिक–अप	मोबाइल मेडीकल व प्रोपेगंडा ओ. बी. सी. स्कीम	,, ,, ,,	२,५८५	३,००५	३,११०
३.	बांसवाड़ा–पिक–अप	मोबाइल मेडीकल व प्रोपेगंडा एस. टी. स्कीम	समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा	७१२	३,६०८	२,६५३
४.	डूंगरपुर–पिक–अप	,, ,, ,,	समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	२२०	२,६४३	३,८८५

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
५.	अजमेर–जीप	अजमेर प्लान	समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर	५,८६८	३,६३७	५,७८०
६.	जोधपुर–पिक–अप	मोबाइल मेडीकल व प्रोपेगंडा ओ. बी. सी. स्कीम	सहायक संचालक, जोधपुर	१,६७१	३,६६४	४,५५३
७.	जयपुर–जीप	,, ,, ,,	संचालक, जयपुर	२,८३३	१,६८६	५,६१३
८.	जयपुर–पब्लिसिटी वाहन	—	संचालक, जयपुर	१,११७	१,६३६	२,६६४
			योग :—	१८,०१६	२६,११६	३१,६८२

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ का उत्तर देखिये)

जिला सिरोही में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सहायता दी गई और कार्य किये गये उनकी सूची :—

क्र० सं०	कार्य जिनके लिये सहायता दी गई		जहां सहायता दी गई	रकम जो स्वीकृत की गई	विशेष
१.	अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए कोलोनी बसाने हेतु सहायता।	१.	डूंगरी	३६,००० रु०	
		२.	तैलपुर	४३,४५० रु०	
२.	हरिजन बस्तियों में जल व प्रकाश हेतु सहायता।	१.	म्युनिसिपल बोर्ड, सिरोही	२,६०२ रु०	
		२.	म्युनिसिपल बोर्ड, पिंडवाड़ा	६५० रु०	
		३.	ग्राम पंचायत नया, सानवाड़ा।	१,००० रु०	
३.	जल कष्ट निवारणार्थ सहायता।	१.	आबू	२,००० रु०	
		२.	कजारा	५०० रु०	
४.	अग्नि-पीड़ितों को सहायता दी गई।	१.	नदिया	६६ रु०	
५.	सड़क व पार्क के लिये सहायता।	१.	डूंगरी	५,००० रु०	
६.	तालाब व डेम : छोटे बांधों के लिये सहायता।	१.	पिंडवाड़ा ब्लॉक	५७,५४० रु०	

सिरोही जिले में इस विभाग की ओर से निम्न केन्द्र चल रहे हैं :—

क्र० सं०	प्रवृत्ति	स्थान का नाम
१.	छात्रावास (अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिये)	सिरोही
२.	छात्रावास (अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये)	निचलागढ़, तहसील आबू रोड
३.	अंश कालिन संस्कार केन्द्र (महिलाओं व पुरुषों के लिए)	सिरोही खास
४.	सिलाई शिक्षण केन्द्र (अनुसूचित जाति के लिए)	सिरोही
५.	सिलाई शिक्षण केन्द्र (अनुसूचित जन जाति के लिए)	आबू रोड

दूसरे ज़िलों की तरह इस ज़िले में भी अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ का उत्तर देखिये)

जिला समाज कल्याण बोर्ड, उदयपुर के सदस्यों की सूची

१.	जिलाधीश, उदयपुर	अध्यक्ष
२.	निरीक्षक, शिक्षा विभाग, उदयपुर	सदस्य
३.	पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ,,	,,
४.	चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, नाथद्वारा	,,
५.	श्री दयाशंकर श्रोत्रिय, उदयपुर	,,
६.	श्री के. एल. बोर्दिया ,,	,,
७.	चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, उदयपुर	,,
८.	श्री लक्ष्मण हीरात एम. एल. ए.	,,
९.	श्री दीनबन्धु	,,
१०.	सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर	पदेन सचिव

प्रत्येक उप जिले से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्य

११.	श्री दामोदरलाल यादव, राजनगर	सदस्य
१२.	श्री रामू भाई भील, उदयपुर	,,
१३.	श्री हरिप्रसाद यादव, एम. एल. ए. भूपाल सागर	,,
१४.	श्री खेताजी मोरीला, सलूम्बर	,,
१५.	श्री लाडू मीणा, वारेडी	,,
१६.	श्री पूनमचन्द बड़ाला, सदस्य हरिजन सेवक संघ, उदयपुर	,,

प्रत्येक बैठक में दिये गये सुझावों की प्रतिलिपि संलग्न है।

बैठकों में जो सुझाव दिये गये उनकी प्रतिलिपि

प्रथम बैठक दिनांक २५.७.५५ को हुई जिसमें मुर्दा मवेशी के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़ों व तनाव कैसे कम हो, इस पर विचार-विमर्श किया गया। दूसरी बैठक दिनांक ६.११.५५ को रखी गई जिसमें हरिजन दिवस के समारोह के बारे में विचार-विमर्श किया गया! तीसरी बैठक दिनांक १५.३.५६ को हुई। परन्तु बैठक का कोरम पूरा नहीं होने के कारण कार्यवाही स्थगित की गई। चौथी बैठक दिनांक २७.११.५६ को हुई जिसमें उदयपुर शहर के हरिजनोत्थान सप्ताह समारोह मनाने पर विचार-विमर्श हुआ तथा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पांचवीं बैठक दिनांक १२.६.५६ को हुई जिसमें निम्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

१. सघन क्षेत्र योजना एवं अस्पृश्यता निवारण।

२. समाज सेवा कार्य की निर्देशिका तैयार करना।

३. पिछड़ी जातियों में सामाजिक कुरीतियां एवं उसका निवारण।

छठी बैठक दिनांक २५.११.५७ को एवं सातवीं बैठक दिनांक १०.२.५८ को हुई परन्तु उक्त दोनों बैठकों में सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने से बैठक स्थगित रखी गई।

आठवीं बैठक दिनांक २७.११.५८ को रखी गई जिसमें हरिजन सप्ताह मनाने हेतु विचार-विमर्श किया गया व कार्यक्रम तैयार किया जाकर पास किया गया। परिवार नियोजन पर श्री आचार्य, मेडीकल विभाग, उदयपुर से विचार-विमर्श करने का निश्चय किया गया तथा सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर को उनसे इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करने को कहा गया।

६वीं बैठक दिनांक ४.७.५६ को खेरवाड़ा में हुई जिसमें छात्रावासों के विषय में विचार-विमर्श किया गया और यह भी सुझाव रखा गया कि कालीभोत स्कूल में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जावे। दसवीं बैठक दिनांक २४.११.५६ को हुई, जिसमें हरिजन सप्ताह समारोह मनाने हेतु निर्धारित कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया।

११वीं बैठक दिनांक १८.१२.५६ को जवाहरनगर में हुई जिसमें जवाहरनगर की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

———

शुद्धि–पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २५ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४९५१	१४	सिस रोज़	जिस रोज
४९६२	अन्तिम से४	nost Carries	post carries
४९६३	८	take pesonb	take persons
४९७१	६	keep seret	keep secret
४९७४	शीर्ष	ी भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४९७५	११	श्रीमती आनन्दी देवी जे	श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया
४९८०	४	जात हैं	जाते है
४९८२	प्रथम	Don' try	Don't try
४९८३	६	(गोकन्दा)	(गोगुन्दा)
४९८४	शीर्ष	यास	व्यास
४९८९	,,	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	४	उनक हथड़ीक	उनके हथकड़ी
,,	११	यदि ाह तो'	यदि हां, तो
४९९०	अन्तिम से२	परम के खि	परमानन्द के खिलाफ
४९९१	३	श्री रामकिशोसर	श्री रामकिशोर
४९९२	१५	उप-जिले के ।	उप–जिले की
४९९३	११	कमिश्न अजमेर	कमिश्नर अजमेर
४९९५–९६	शीर्ष	—२५ मार्च ६—	–२५ मार्च, ६०–
५०००	प्रथम	खंगारदा नाम	खंगार दान नाम
,,	२५	उजर किया	उज्र किया
५००५	अन्तिम	जैसे पमिट	जैसे पर्मिट
५००६	२१	उसको काटने	उनको काटने
५००७	३	झाड़ी, इस	झाड़ी इस
५०१०	२३	विशेषज्ञां	विशेषज्ञों
५०११	३	मोहन्जोदारो	मोहन्जादरो
,,	६	रहा । होगा	रहा होगा ।
५०२३	शीर्ष	मांग संख्या ७	मांग संख्या ४
५०२४	५	मैं बैठे	में बैठे
५०२८	१४	फोरेस्ट से	फोरेस्ट से
५०२९	२३	अखिर लकडी	आखिर लकड़ी

१	२	३	४
५०३८	१०	म बरात	में बरात
५०४०	५	बस्ते हैं	बसते हैं
५०४३	शीर्ष	४०४३	५०४३
,,	,,	श्री मौतीलाल	श्री मोतीलाल
५०४८	१३	में बहस	में बहस
५०५६	२२	कन्सेन्सश	कन्सेशन्स
५०६१	८	सोसाइटीव्ज	सोसाइटीज़
५०६६	४	गुजाइश है।	गुंजाइश है।
,,	१०	ग्रोइगकिस	ग्रोइंग किस
,,	१५	हैन्डस	हैन्ड्स
५०७४	शीर्ष	मुख्य शीर्षक १	मुख्य शीर्षक १०
५०७६	३	(आज्ञा प्रदान की गई)	आज्ञा प्रदान की गई।
५०७७	१७	K Industries	Industries
,,	२१	Indestries	Industries
५०७९	शीर्ष	मांग संख्या २१–२४ मार्च, ६०– उद्योग व प्रदान	मांग संख्या २१–२५ मार्च,६०– उद्योग व प्रदाय
५०८१	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
५०९२	५	Othere thing	Other thing
५०९३	२८	Industrs and notthrough	Industries and not through
५०९९	शीर्ष	मांग'संख्य	मांग संख्या
५१००, ५१०२, ५१०४ व ५१०६	,,	उद्योग व प्रदान	उद्योग व प्रदाय
५१०३	शीर्ष	मांग'संख्या २५	मांग संख्या २१
५१११	,,	मांग संख्य	मांग संख्या
,,	२०	Its, repost,	its report-
५११४	शीर्ष	उद्योग य प्रदाय	उद्योग व प्रदाय
५१२०	अन्तिम से ३	वह है उसको	सकता है वह
५१२७	२	हो जाता	हो जाती
५१३१	११	Conslidote	Consolidate.
५१३८	१२	one minite	one minute
५१३९	अन्तिमसे५-६	guiilotive	guillotive
५१४०	६	शेष मांगों पर मत-दान	—
५१४३	प्रथम	मांग संख्य	मांग संख्या

(३)

१	२	३	४
५१४६	२१	मां ग संख्या	मांग संख्या
५१५०	२३	लेके से	लेखे से
५१५१	शीर्ष	(श्री उपाध्याक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	अन्तिम से३	की सेराशियों	के संराशियों
५१५२	१०	की लाएत	की लागत
५१५४	अन्तिम से६	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
५१५५	शीर्ष	–२६ मार्च	—२५ मार्च
५१५६	अन्तिम	गई ।)	हुई ।)
५१५६	प्रथम	सशियल	सोशियल